आभार

प्रस्तुत शोध कार्य परम आदरणीय **प्रोफेसर डॉ. सुषमा सूद,** पूर्व विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के सूक्ष्म मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण का परिणाम है। जिन्होने अनेक विषम परिस्थितियों में शोध कार्य निष्पादन में उचित मार्गदर्शन ही नहीं दिया, बल्कि समय–समय पर मुझे अपने शोध लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्साहित भी किया। जब कभी भी हतोत्साहित हुई, तथा उन्होने मुझे अपने सत्यपरामर्शो से भावात्मक संबल प्रदान किया है। यही कारण है कि आज मैं अपने शोध कार्य के उददे्श्य में काफी स्तर तक सफल हुई उनके द्वारा किया गया सहयोग एवं मार्गदर्शन मेरे लिए एक स्थाई संबल है। इसके लिए मैं उनका ह्रदय से आभार व्यक्त करती हूँ।

मैं सर्वप्रथम अपने परम पूजनीय सास–ससुर स्व. रतनलाल जी एवं श्रीमती कलावती देवी एवं मेरे माता–पिता श्री नवाब सिंह एवं श्रीमती मीना देवी का आभार व्यक्त करती हूॅ जिन्होंने मुझे इस कार्य के प्रति प्रेरित किया, मैं अपने पति श्री सुरेन्द्र सिंह एवं पुत्र तेजस्व कुन्तल की ऋणी रहूंगी जिन्होंने निरन्तर मुझे परिश्रम करने के लिए प्रेरित करते रहे है। इसके साथ–साथ में अपने छोटे भाई भारत सिंह एवं निकट मित्रों में अनुकम्पा शेखावत एवं **डॉ. महेश नावरिया** जिन्होने समय–समय मेरे शोध विषय से सम्बन्धित सहायता प्रदान करते हुए मुझे अनुग्रहित किया है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध को पूर्ण करते समय जिन लेखक विद्वानों के ग्रंथों से मुझे सहायता प्राप्त हुई है, उन सभी विद्वज्जनों का श्रद्धा से आभार व्यक्त करना मेरा परम कर्तव्य है। शोध कार्य को सम्पूर्ण करने मे समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष तथा सभी सह आचार्यो, सहायक आचार्यो सहित विभाग में कार्य करने वाले अशैक्षणिक कर्मचारियों, कोटा विश्वविद्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों का शोध संकाय में कार्यरत सभी कर्मचारियों का तथा कुलपति सचिवालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों जिनका योगदान शोध में रहा है, का भी आभार प्रकट करती हूँ।

प्रस्तुत शोध से सम्बन्धित उन सभी सहजनों का भी मैं आभार प्रकट करती हूँ जिन्होने मुझे समय–समय पर गहन कार्य के प्रति मेरे अन्दर जिज्ञासा प्रवृति जागृत की।

अन्त में मैं उन सभी ग्रामीण व शहरी नागरिकों का जिन्होंने उत्तरदाता के रूप में तथा अनौपचारिक विचार विमर्श के द्वारा इस शोध कार्य में जो जीवन सहयोग दिया, उसके लिए उन सभी की अत्यन्त आभारी हूँ।

शोधार्थी

कविता चौधरी

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ. संजीव महाजन, भारतीय समाज।

2. प्रकाश नारायण नाटाणी, भारत में कन्या भ्रूण हत्या एवं महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा।

3. अल्वा मिर्डल व वायोला क्लयान, 'वीमेंस टू रोल्स'।

4. दैनिक हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, फरवरी 2004।

5. आचार्य रोहित, नारी और शिक्षा, दलित साहित्य प्रकाशन संस्था, नई दिल्ली।

6. डॉ. धर्मकीर्ति, मनु बनाम लादेन, परममित्र प्रकाशन, दिल्ली।

7. आज का सुरेख भारत, सितम्बर 2002 एवं फरवरी 2003।

8. मध्य प्रदेश के दलित।

9. दैनिक हिन्दुस्तान।

10. नवभारत टाइम्स।

11. जनसत्ता।

12. वॉयस ऑफ वीक।

13. अश्वघोष व चौथी चुनियज्ञं

14. प्रकाश नारायण नाटाणी – कन्या भ्रुण हत्या और महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा बुक एक्वल एस. एस. टावर, धामाणी स्टेट, चौडा रास्ता, जयपुर।

15. राम आहुजा, 2002, सामाजिक समस्याएं, रावत पब्लिकेशन, जयपुर

16. एल. मेनन, 1957, 1964 वुमेन इन इण्डिया एण्ड अब्रांड तारा अभी बेग (स) वुमेन ऑफ इण्डिया, दिल्ली पब्लिकेशन डिवीजन

17. विमला मेहता 1979, एटीव्यय ऑफ एजुकेटेड वीमेन दुवर्डस सोश्य इशूय दिल्ली नेशनल

18. लिन्डसे मेकी एण्ड पाली पटुलो विमेन एट वर्क लन्दन ट्रा, विस्फोट, 1977

19. हेजल. डी, 1983 भिमावोमोशन लोकल गवस्मेन्ट दिल्ली कोन्सेप्ट पब्लिसिंग कम्पनी

20. गिरीजा खन्ना एण्ड मरिम्मा 1978, ए वरगीज इण्डियन विभिन्न डूडे विकास पब्लिसिंग हाउस, नई दिल्ली

21. प्रमिला. कयूर, 1970, मैरिज एण्ड वर्किंग विमेन इन इण्डिया दिल्ली, विकास पब्लिकेशन

22. के. एम. कपाडिया, 1959 ''दी मेमिल इन ट्रान्जिशन सोशियों लॉफी कल बुलेटन 8 सितम्बर

23. प्रमिला. कयूर, 1978, मैरिज एण्ड वर्किंग विमेन इन इण्डिया दिल्ली, विकास पब्लिकेशन

24. रमा. कपूर, 1967, रोल काम्पलिफट आयोग एम्पलॉयड हाउस वाईफ, इण्डियन जनरल ऑफ इंडट्रीयल रिलेशन्स

25. उषा, तलवार. 1984, सोशल प्रोफाइल ऑफ इण्डियन विमेन, जोधपुर जैन ब्रदर्स

26. सीमल. एलवर्ट, डिपेन्डेट एण्ड इन्डीपेन्टड इन द चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग मदर्श वाईल्ड.

27. कमला नाथ अरबन वुमेन वर्क्स 1965, ए प्रेलिमिनटी स्टडी द इकोनोमिक वीकली.

28. विजय एन्यू एलीट 1979, विमन इन इण्डियन पोलिटिक्स दिल्ली विकास पब्लिकेशन.

29. एरेन्ज होनेकर 1979 वुमेन इन जी.डी.आर फेक्ट्स एण्ड फिगर स्टार स्वीरिंग 1975 करन फीन्सटॉन – वर्किंग वुमेन एण्ड फेमिलीय सेग ईयर बुक्स इन वुमेन्स पोलिसी स्टीडी भाग– 4 लन्दन सेज पब्लिकेशन.

30. प्रमिला कपूर 1970, मेरिज एण्ड वर्किंग वीमेन ऑफ इण्डिया नई दिल्ली विकास.

31. तारा, अली. 1975, वेग इण्डियाज वीमेन पावर दिल्ली एस चन्द.

32. महावीर कुमार जैन – दजित समाज : मुद्दे एवं समस्याएं राजस्थान एण्ड जनरल ऑफ सोशियॉलाजी वॉल्यू 2 अक्टूम्बर 2010 बुलेटिन जनरल ऑफ राजस्थान सोशियोलॉजीकल एसोसियशन.

33. बलवीर सिंह स्वपना मीणा – लिगानुपात भेदभाव : कतिपय आयाम राजस्थान एण्ड जनरल ऑफ सोशियोलॉजी वॉल्यू 2 अक्टूम्बर 2010 बुलेटिन जनरल ऑफ राजस्थान सोशियाल्जीकल एसोसियशन।

34. महिला सशक्तिकरण में घरेलू हिंसा 2006, 2012

35. घरेलू नक्शा रूविला 2011

36. महिलाओं के विरूद्ध अपराध, राम आहूजा, रावत पब्लिकेशन, जयपुर.

37. फिल्कलर डविड, गोलेश रिचार्ड, हॉटलिन मेरार्ल, 1983, दी डास्क साईड ऑफ फैमिलिस, सेज पब्लिकेशन.

38. समानता की नीवं, दिल्ली हाईकोर्ट 2 जूलाई 2009.

39. महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्र जयपुर (दक्षिण और उत्तर) की रिपोर्ट 2002–2011

40.

41. राम आहूजा, 2002, सामाजिक समस्याऐं, रावत पब्लिक स्कूल, जयपुर

42. मन्जू जैन, 1982, रूपा बुक्त प्राईवेट लिमिटेड प्रिन्टवैल जयपुर, कार्यशील महिला एवं सामाजिक

43. मोती लाल गुप्ता, भारत में समाज, राष्ट्रीकरण हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर

44. मानचन्द खण्डेला 2000, ''समाज और नारी'' अरिहन्त पब्लिकेशन्स हाउस जयपुर

45. मानचन्द खण्डेला 2000, महिला सशक्तिकरण, अरिहन्त पब्किेशन हाउस, जयपुर

46. दीपा जैन, 2007, महिला सुरक्षा एवं महिला पुलिस राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर

47. Ahuja Ram, Research Methos, Rawat Publication, Jaipur, 2001

48. Ahuja Ram, Samajik Swarvekshan awam Anusandhan, Rawat Publication, Jaipur.

49. Akanf, Rasel L., Scientific Methods, John Ville & Sons, Newyork, 1962

50. Akanf, Rasel L., The Design of Social Research, Univeristy of Chikago Press, Chikago, 1961

51. Baule, A.L., Reliment of Staticstics, P. S., King and Stepals Ltd., London, 1937

52. Beli, Kennath D., Methos of Social Research, the free press, Newyork, 1982

53. Brayman, Allen, Postmortem and Social Resarch, Open University press, Bankigham, 2002

54. Burns, Robert B., Introduction to Research Methods, Sage Publication, London (4^{th} Edition) 2000.

55. Dooley, David, Social Research Methods (3rd Edition)] Prentice Hall & India New Delhi, 1997.

56. Ejoberg G. & Nett, Methodolgy for Social Research, Rawat Publication, Jaipur.

57. Feathure, R.A., Statictical Menders for Research Works, Henfar Publication Co., Newyrok, 1958

58. Freedman, P., The Principle of Scientific Research, Prigmen Press, Newyork, 1960

59. Gopal, H.S., An Interoduction to Research Process in Social Science, Asia Publicaion House, Bombay, 1964

60. Gude Viliam and Hand Paul, Methods in Social Research, Mc'grahil, Newyork, 1952

61. Laldas, D.K., Practic of Social Research, Rawat Publication, Jaipur.

62. Millar, C. Delbert, Handbook of Research Design and Social Mejorment, Longman, Newyork, 1983

63. Sarantocos, S., Social Research, Mc'milan Press, London, 1998

64. Sharma, C.L., Samajik Anusandhan awam Sarvekshan Padhtiya, Rajasthan Hindi Granth Akadami, Jaipur.

65. Yong, P.V., Scientific Social Serve and Research, Printing Hall of Indian Pvt. Ltd., New Delhi, 1992

प्रोफेसर (डॉ.) सुषमा सूद
पूर्व विभागाध्यक्ष
समाजशास्त्र विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **कविता चौधरी** ने कोटा विश्वविद्यालय की डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (समाज विज्ञान) की उपाधि हेतु अपना शोध प्रबन्ध **''महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा एक समाजशास्त्रीय अध्ययन''** विषय पर मेरे निर्देशन व अधीक्षण में लिखा गया है यह शोधार्थी का मौलिक कार्य है तथा इस कार्य हेतु शोधार्थी ने प्रकाशित व अप्रकाशित साहित्य सामग्री का अनुशीलन किया है। इस कार्य के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा परिनियमावली द्वारा निर्धारित समय की न्यूनतम अवधि एवं उपस्थिति को भी पूर्ण करते हुए एक वर्ष में 180 दिवस से अधिक उपस्थित होते हुए इन्होंने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है।

मैं इसके शोध प्रबन्ध को "डॉक्टर ऑफ फिलॉसिफी" हेतु प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करती हूँ।

मैं कविता चौधरी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ

दिनांकः–

प्रोफेसर (डॉ.) सुषमा सूद
निर्देशिका

प्राक्कथन

वर्तमान दौर में पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण एवं आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रियाओं ने सम्पूर्ण विश्व को एक 'वैश्विक गांव' के रूप में रूपान्तरित कर दिया है। रूपान्तरण की इस प्रक्रिया में महिलाओं के साथ बढ़ रहे अत्याचारों में घरेलू हिंसा भी एक गम्भीर समस्या के रूप में रूपान्तरित हो रही है।

सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक वर्चस्व का यह मूलाधार है। महिलाएं जीवन की आधारभूत कड़ी है। इसके बिना कोई भी विमर्श, अनुष्ठान, संदेश, कार्यक्रम, अंतर्विरोध फीका लगता है। हम यह भी कह सकते है कि महिलाएं इस समाज की आधारशिला है। यह सिर्फ भोग विलास का माध्यम ही नहीं है, बल्कि परिवार का आधार भी है और इस समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्था आर्थिक व राजनैतिक व्यवस्था के परिवर्तन में भी महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

प्रस्तुत शोध में महिलाओं के प्रति समाज में बढ़ रही घरेलू हिंसा के संदर्भ एक परिचयात्मक पृष्ठभूमि व सैद्धान्तिक विवेचन प्रस्तुत की गई है।

तत्पश्चात् द्वितीय अध्याय में अनुसंधान प्रारूप के अन्तर्गत अध्ययन की समस्याएं उद्देश्य, प्राक्कल्पना, क्षेत्र तथा समग्र एवं निदर्शन विधि द्वारा भ्रतपुर जिले में से निदर्शन चयनित किये गये व साथ ही तथ्यों के स्त्रोतों एवं प्रकारों को बताया गया है। जिसके अन्तर्गत प्राथमिक व द्वितीयक स्त्रोतों को बताते हुए तथ्य संकलन प्रविधियों के उपयोग के परिणामस्वरूप ही तत्यों का संकलन किया गया है।

तृतीय अध्याय में उत्तरदाताओं की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को बताते हुए मुख्य आयामों को प्रस्तुत किया है जैसे – आयु, लिंग, शिक्षा, पारिवारिक संरचना, वैवाहिक स्थिति आय इत्यादि को बताया गया है।

चतुर्थ अध्याय में घरेलू हिंसा के सामाजिक एवं आर्थिक कारकों को ज्ञात करने के पश्चात् मूल्यांकन करने का प्रयत्न किया गया है।

पंचम अध्याय में महिला सशक्तिकरण, कानूनी प्रावधान एवं प्रभावों के संदर्भ में प्रभावों को ज्ञात किया गया।

प्रस्तावित अध्ययन के अंतिम चरण में अध्ययन से निष्कर्ष को प्रस्तुत किया गया है व साथ ही परिशिष्ट तथा संदर्भ ग्रन्थ सूची अंत में रखकर अनुसंधान की परम्परा एवं दायित्व का निर्वाह किया है।

प्रस्तुत अध्ययन विषय से सम्बन्धित एक समाजशास्त्रीय सोच को विकसित करने का एक निष्ठावान प्रयास है।

कविता चौधरी

अध्याय – प्रथम

घरेलू, हिंसा अवधारणात्मक विवेचन

नारी का मानव की सृष्टि में ही नहीं, वरन् समाज निर्माण में भी महत्वपूर्ण स्थान है। नारी और पुरूष मिलकर परिवार का निर्माण करते है। अनेक परिवारों से समुदाय और अनेक समुदायों से मिलकर एक समाज निर्मित होता है। यदि हम विश्व इतिहास पर दृष्टि डालें तो हमें यह पता चलता है कि संस्कृति की नींव डालने का श्रेय सर्वप्रथम नारी को ही दिया जाता है। परन्तु नारी की प्रस्थिति सभी समाजों में एक–समान नहीं है। जिस तरह परिवार में नारी व पुरूष के कार्य व स्थान भिन्न–भिन्न होते है, उसी तरह समाज में भी नारी और पुरूष के कार्यों व स्थान में भिन्नता पाई जाती है। किसी समाज में यदि नारियों को पुरूषों के बराबर का दर्जा दिया जाता है तो किसी समाज में उन्हें पुरूषों की तुलना में बहुत कम अधिकार प्राप्त होते है। भारतीय नारी की सामाजिक प्रस्थिति और समस्याओं का अध्ययन अपने में एक बड़ा जटिल विषय है। एम. एन. श्रीनिवास ने उचित ही लिखा है कि इसके अनेक स्वरूप हैं और सामान्यीकरण करना प्रायः असम्भव है क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में, नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में, विभिन्न वर्गों में, विभिन्न

धर्मों और जाति समूहों में नारी की सामाजिक प्रस्थिति और उससे जनित समस्याएं बहुत भिन्नताएं रखती है। इतना ही नहीं, वरन् आदर्श और व्यवहार में भी बहुत अन्तर है। एक ओर यदि नारी को 'गृहस्वामिनी', 'अर्द्धांगिनी', 'देवी' कहा जाता है तो दूसरी ओर वह सदैव ही पर–निर्भरता की स्थिति में बताई जाती है। विभिन्न शास्त्र परस्पर विरोधी आदर्श प्रस्तुत करते हैं। इसलिए उनकी समस्याओं पर विचार करना कठिन हो जाता है। फिर भी, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनसे हमारे समाज की नारी पीड़ित है।

भारत में प्राचीनकाल में किसी प्रकार का लिंगभेद नहीं था, लेकिन धीरे–धीरे सांस्कृतिक पतन के कारण लिंग के आधार पर भेद किया जाने लगा। पुरूषों को महिलाओं से उच्च स्थान प्राप्त हो गया तथा महिलाओं का स्थान समाज में गौण हो गया। इसमें मुसलमानों के आक्रमण एवं अनेक कुप्रथाओं का अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान रहा है। धीरे–धीरे महिलाओं का स्थान बद से बदतर होता गया। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही हमारी सरकार का ध्यान महिलाओं की स्थिति सुधाररने की ओर गया और इसके लिए सभी पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान रखे गये। अनेक

योजनाएं एवं कानून भी महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए बनाई गई।

लैंगिक समानता पर हाल में में श्री चतरसिंह मेहत्ता द्वारा प्रकाशित लेख 'मानव विकास और महिलाएं' महत्वपूर्ण है। इनके अनुसार, ''विश्व की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है, पर उन्हें पुरूषों के समान अवसर प्राप्त नहीं हैं। विश्व के गरीबों में 70 प्रतिशत और निरक्षरों में दो–तिहाई महिलाएं ही है। वे केवल 14 प्रतिशत प्रशासनिक पदों पर हैं और 10 प्रतिशत संसद विधानसभा सदस्य है। कानूनी दृष्टि से यह असमानता है। उन्हें पुरूषों से अधिक समय काम करना पड़ता है तथा उनके अधिकांश कार्य की कोई कीमत ही नहीं आंकी जाती है।'' समाज में महिलाओं को पुरूषों के बराबर अवसर प्राप्त नहीं है। महिला–पुरूष में प्रकृति द्वारा ज्ञान, व्यवहार, प्रकृति आदि आवश्यक स्थितियों में अन्तर होता है। पुरूष लैंगिक असमानता में मुख्य भूमिका अदा करता है। लगभग सभी समाजों में पुरूष जीवन के हर पहलू में अपना निर्णय सर्वोपरि रखता है। पुरूष को यह जिम्मेदारी महिला को भी सौंपनी चाहिए कि महिला पुरूष जीवनसाथी के रूप में निजी एवं सार्वजनिक जीवन में एक समान ही ऐसा करने पर ही लैंगिक समानता में सुधार होगा और परिवार एवं सामाजिक जीवन के आनन्द में

वृद्धि होगी, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि विश्व के सभी देखों में लैंगिक असमानता व्याप्त है।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार काफी तेजी से हुआ है, परन्तु आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में प्रगति बहुत धीमी है। विश्व में 130 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं, जिसमें 70 प्रतिशत महिलाएं है। यह श्रम बाजार एवं परिवार में उनकी निम्न स्थिति को इंगित करता है। यद्यपि महिला साक्षरता दर में दो–तिहाई वृद्धि हुई है लेकिन श्रमिकों में इनकी वृद्धि केवल 4 प्रतिशत ही हुई है। महिलाएं बैंकों की श्रण सुविधा से भी पूरी तरह लाभान्वित नहीं हो पातीं, क्योंकि ऋणाधार के लिए, उनके पास कोई सम्पत्ति नहीं होती। मजदूरी में भी इनके साथ भेदभाव किया जाता है। महिला मजदूरी एवं पुरूष मजदूरी में अन्तर रखा जाता है। महिलाओं को पुरूषों की अपेक्षा तीन–चौथाई मजदूरी ही मिलती है। सभी स्थानों पर महिला बेरोजगारों की संख्या भी अधिक होती है। महिला मजदूरी के सन्दर्भ में 55 देशों का सर्वेक्षण करने पर उपरोक्त तथ्य सामने आए हैं। इन 55 देशों में कोई महिला संसद सदस्य भी नहीं है और यदि है तो 5 प्रतिशत से भी कम। इन देशों में गरीब एवं उच्च आय दोनों प्रकार के

देश शामिल है। गरीब देश हैं – भूटान एवं इथियोपिया तथा उच्च आय वाले देश हैं – ग्रीस, कुवैत, कोरिया गणतन्त्र एवं सिंगापुर।

महिलाएं प्रारम्भ से ही किसी न किसी रूप में आर्थिक रूप में अपना योगदान देती रही है। शिकारी अवस्था में महिलाएं शिकार करने नहीं जा सकती थीं तो घर में अनेक आर्थिक धन्धे, जैसे– बांस की चीजें बनाना, अनाज साफ करना आदि कार्य किया करती थीं। पशुपालन युग में पशु की देखभाल, दूध से अनेक वस्तुएं बनाना, कपड़ा बुनना इत्यादि कार्य महिलाओं द्वारा किये जाते थे। कृषि युग में भी महिलाएं पुरूषों को कृषि कार्य में सहायता पहुंचाती रही है। औद्योगिक क्रान्ति के बाद महिलाओं को घर से बाहर धन्धे के अधिक अवसर मिलने लगे है।

जनगणना तथा अन्य आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि अधिकांश महिलाएं कृषि कार्य में ही संलग्न है। यहां भी वे अकुशल श्रमिक के रूप में कार्यरत दिखाई पड़ती है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि महिलाओं की शिक्षा और प्रशिक्षण की मात्रा इतनी कम है कि उच्च पद की नौकरी बहुत कम महिलाएं ही प्राप्त कर पाती हैं। अल्वा मिर्डल तथा वयोला क्लयान ने अपनी पुस्तक 'वीमेंस टू रोल्स' में लिखा है – ''प्रशिक्षण प्राप्त तथा व्यावसायिक ऐसे सब धन्धों की परिधि में कार्य का

विवरण लैंगिक आधार पर हुआ हो, ऐसा दिखाई पड़ता है। महिला स्वातंत्र्य का केवल इतना प्रभाव दिखाई पड़ता है कि जो महिलाओं के क्षेत्र गिने जाते थे, उसमें अकुशल के बदले कुशल एवं प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को स्थान दिया जा रहा है। परम्परा से, जो व्यवसाय पुरूषों के व्यवसाय के रूप में अलग माने जाते थे, उन्हें छेड़ने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। यद्यपि इधर कुछ समय से परम्परागत पुरूष क्षेत्र में महिलाओं का छुटपुट अस्तित्व दिखाई पड़ता है।''

बांग्लादेश की सरकार और इस्लामी कटमुल्लेपन की शिकार, इस्लाम विरोधी करार दी गई, जान से मार डालने और देश निकाले के फतवे से नवाजी गई प्रख्यात बांग्लादेशी लेखिका तसलीमा नसरीन का यह कथन कि– ''मैं बांग्लादेश में फर्जी राष्ट्रवाद की शिकार बनाई गई हूं। औरत की आजादी, उसकी निजी जिंदगी की पीड़ा, पुरूष के साथ उनके रिश्ते और शारीरिक समझौते की वास्तविकता का जब मैने अपनी किताओं में खुलासा किया, तो कट्टरपंथी मुल्लाओं ने मुझे इस्लाम विरोधी करार दे दिया। एक औरत के रूप में मेरे लेखन को इस्लाम और इस्लामिक राष्ट्रवाद पर हमलों का मामला बना दिया। वे मेरे खिलाफ संगठित हो गए। उन्हें यह गवारा नहीं था कि एक औरत सैक्स और स्त्री–पुरूष के विवाहेतर संबंधों पर मुंह खोले। जब मैंने

उनके इन कारमानों पर अपनी लेखनी से हमला करना शुरू किया, तो मुझे काफिर घोषित कर, देश निकाले का फतवा जारी कर दिया गया। लेकिन जब उन्होंने मुझे वेश्या और गंदी गली का बदनाम औरत कहना शुरू किया, तो मुझे लगा कि मेरा लिखना सार्थक हो रहा है। मुल्लाओ के इस काम ने मुझे साहस दिया। यही मेरी सफलता है। यह सच है कि मैने अपनी किसी भी किताब मे इस्लाम के बारे में गलत बात नहीं कही। बांग्लादेश में नारी पीडा के बारे में सिर्फ पुरूष को ही लिखने की आजादी है। अपनी आत्मकथा के पहले खंड 'मेरे बचपन के दिन' में मैने जब खुलकर लिखा, तो उन्हें लगा कि हम पुरूष समाज को बदनाम कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। मैने महज अपने साथ हुई बेईमानी के लिए उन लोगों के नाम लिये थे, जो आकाश से चांद और तारे तोडकर मेरे चरणों में पेश करना चाहते थे।'' तसलीमा ने गंभीरता से कहा – ''जिसे जुड़ने का अहसास नहीं, उसे टूटने का संताप नहीं होता। प्यार एक अनुभूति का नाम है, वह हमेशा देता है कुछ मांगता नहीं।''

उन्होंने कहा कि कट्टपंथ सिर्फ इस्लामी धर्म मे ही नहीं है। यह तो हिन्दू धर्म में भी है। हिन्दू धर्म की आड में भी ऐसी बहुतेरी ताकतें सक्रिय हैं। वह हमें सतर्क करता है। 28 विख्यात पुस्तकों की विवादास्पद लेखिका तसलीमा नरीशेन मानती हैं कि बांग्लादेश एक

बहुत ही संकीर्ण विचारधारा वाला इस्लामी देश है। वहां औरत की आजादी पर कोई मुंह खोलने का साहस ही नहीं कर सकता। मैं तो इसकी भुक्तभोगी हूं। उन्होंने कहा कि पुरूषों से सहयोग की उम्मीद किए बगैर महिलाओ को इसके खिलाफ संगठित होना होगा। पुरूष प्रधान समाज कहीं का भी क्यों न हो, वह औरत की तरक्की ही नहीं चाहता।

पिछले दिनों दैनिक हिन्दुस्तान के साथ नई दिल्ली में बातचीत के दौरान तसलीमा नसरीन का यह कथन यहां पर उदृधृत करने का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि कहीं भी और किसी भी देश में पुरूष प्रधान समाज अपने अहं मे चलते औरत की तरक्की का प्रक्षधर नहीं दिखाई देता, वह उसे अपनी जडखरीद गुलाम बनये रखना चाहता हैं। औरत की आजादी उसके पुरूषवादी अहं को चुनौती देती प्रतीत होती है। औरत औरत है, वह चाहे सवण्र हो या दलित, पुरूष के लिए तो वह केवल उसके शारीरिक ताप को बुझाने वाल एक वस्तु से अधिक कुछ नहीं है। तसलीमा का यह कथन है कि ऐसी ताकतें हिन्दू धर्म में भी संक्रिय हैं, गलत नहीं है। हिन्दू धर्म में तो नारी की स्थिति और भी सोचनीय है।

हिन्दू धर्म में तो वर्ण–व्यवस्था को धार्मिक पाखंड और अपने स्थायित्व की खातिर रचे–बुने गए षडयंत्रों के चलते नारी को केवल भोग्या ही माना गया है। उसे कहीं भी कोई सम्मान प्राप्त नहीं है। हिन्दू धर्म में नारी की क्या स्थिति है, निम्न उदाहरणों से साबित हो जाता हैंः

हिन्दू धर्म के सबसे बडे अलंबरदार, धम्र और रक्षक व संस्कृति, सभ्यता और नैतिकतावादी संगठन के रूप में प्रख्यात संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अनुसार वर्ण–व्यवस्था के नीति–नियामक कहे जाने वाले ऋषि मनु ही हैं। उनके अनुसार स्त्री बच्चे पैदा करने की मशीन के अलावा कुछ नहीं है। इस संदर्भ में वह कहते हैं कि ''स्त्रियों और मनुष्यों की रचना संतानोत्पति के प्रयोजन से की गइ है। इसलिए वेद में दोनों का उभयनिष्ठ धर्म (गृहस्थ के कर्तव्य) पत्नी के साथ विहित है।'' (मनुस्मृति, 9/96) मनु ने स्त्रियों की दुश्चरित्रता के लिए बड़ी लंबी – चौडी व्यवस्थाएं दी हैं, लेकिन जब मनु संतानोत्पति के लिए नियोग प्रथा का प्रावधान करते हैं, जिसका सीधा अर्थ संतान की प्राप्ति के लिए स्त्री को व्याभिचार के लिए स्वीकृति प्रदान करना ही है। इसके अलावा कुछ नहीं। यथार्थ में लगभग पूरा महाभारत ही व्याभिचारों से भरा पड़ा है। ''यदि संतान के अभाव में आदिप्ट स्त्री देवर अथवा अन्य संबंधी से अभीष्ट संतान प्राप्त करें।'' (मनुस्मृति, 9/59) परोक्षरूप से

मनु नियोग अर्थात व्याभिचार को अनुमति देते हैं। पुनः मनु कहते है – ''विधवा से नियोग करने वाले को चाहिए कि शरीर पर घी चुपडकर, मौन हो रात्रि में एक पुत्र उत्पन्न करें, दूसरा किसी प्रकार नहीं।'' (मनुस्मृति, 9/60) इस व्यवस्था से तो ऐसा प्रतीत होता है कि पुत्र भी आम, अमरूद और जामुन की तरह पेड पर लटकते हेांगे कि आदमी जब चाहे उसे तोड़कर दे दे। मनु की यह बात कितनी अप्राकृतिक, अमनोवैज्ञानिक, अव्यावहारिक एवं बेतुकी है। इसको झुठलाया नहीं जा सकता।

मनु ने स्त्री द्वारा किए गए सेक्स संबंधी अपराध के लिए अत्यंत कठोर एंव पैशाचिक दंड की व्यवस्था की है। मनु के अनुसार ''जो स्त्री अपने धनी बंधु और सौंदर्यादि गुणों के घमंड में अपने पति के स्थान पर या उसे त्याग कर परपुरूष से व्याभिचार करे, तो राजा उसे सब के सामने कुत्तों को खिला दें।'' (मनुस्मृति, 8/371) मनु की यह व्यवस्था अत्यंत पैशाचिक है। इसे किसी भी अवस्था में न्याय–संगत नहीं कहा जा सकता है। इसे सबसे बडा कारण कहें या यथार्थ कि जब स्त्री और पुरूष संभोग या काम–तृप्ति में लीन होते हैं, तो वे काम के संवेग और उद्वेग के वशीभूत हेाते हैं, वास्तव में यह एक प्राकृतिक क्रिया है। इस सच्चाइ को नकारा नहीं जा सकता।

यह सर्वविदित है और कटु सत्य भी कि हमारे समाज में वैदिक काल से लेकर आज तक महिलाओं के साथ भेदभाव थमा नहीं है, वह निर्बाध रूप से जारी है। हमारे नारी को दोमय दर्जे की नागरिक समझा जाता है। इसमें दो यहां नहीं है कि आज की बालिका कल की नारी होगी और देश का भविष्य होगी। इस तथ्य की ओर हमारे यहां के सामंती विचारकों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। बालिका जो माता–पिता के स्नेह के अधिकारिणी थी, उसे स्नेह का पात्र न समझकर मुसीबत का पहाड़ समझा गया। हमारे वेदों में तो स्त्री की दशा और भी दयनीय वर्णित है।

ऋग्वेद के अनुसार पुत्री के जन्म को ही अशुभ माना जाता है, जबकि पुत्र का जन्म शुभा–शुभ। 'ऐतरेय ब्राह्मण'' में दुहिता (पुत्री) को दुख का खान और पुत्र को आकाश की ज्योति के समाना माना गया है।

भारतीय ग्रामीण सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थान की सर्वेक्षण रिपोर्ट को आधर मानें तो पता चलता है कि पूरे देश में बीस से कम आयु वर्ग की लगभग पंद्रह करोड़ से भी अधिक बालिकाएं है। कन्या भ्रूणों की हत्या का जायजा लें, तो पता चलता है कि अकेले 1977–78 में यानी दो वर्षों में ही लिंग निर्धारण परीक्षण में 78,000,00 (अठत्तर लाख)

कन्या भ्रूणों को नष्ट कर दिया गया और जनवरी 1980 से मार्च 1990 यानी दस वर्षों के बीच दिल्ली, बंबई, मद्रास, कलकता, लखनऊ, आगरा, कानपुर, जयपुर, भोपाल आदि भारत के विभिन्न शहरों में लगभग आठ लाख से अधिक कन्या भ्रूणों की हत्या की गई। डॉ. आंबेउकर सामाजिक–आर्थिक अध्ययन संस्थान की सर्वेक्षण रिपोर्ट यह खुलासा करती है कि कुपोषण और जच्चा – बच्चा से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, पारिवारिक अवहेलना तथा हिसा के कारण लडकियों की मृत्यु दर ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में लडकों की अपेक्षा अधिक है।

गौरतलब है कि जब पितृ सत्तात्मक व्यवस्था के समर्थक पिता लडकियों के जन्म लेते ही उन्हें अशुभ मानने लगते हैं, उसे अवांछनीय मानते हैं, उस हालत में ये रूढिवादी लोग लडकियों की पढाई–लिखाई पर भला क्या खर्च करेंगे, उनका क्या विकास करेंगे? इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। आज भ्रूण लिंग परीक्षण एक अपराध घोषित कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद यह निर्बाध गति से जारी है। हां, इस प्रक्रिया में पहले डॉक्टरों को कम राशि मिलती थी, जबकि अब उनकी पौ–बारह है। अब तो वह इस काम के मनमाने पैसे वसूल रहे है। उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। इसी मानसिकता के

चलते बहुत से पिता लडकियों की पढाई–लिखाई की ओर विशेष ध्यान नहीं देते, जिसके कारण ही कक्षा पांच में पहुंचने वाली बालिकाओं की संख्या मात्र दो प्रतिशत ही रह गई है। भारत में 1951 में 24.95 प्रतिशत पुरूष साक्षरता की तुलना में महिला साक्षरता की दर मात्र 7.89 प्रतिशत थी। 1971 में पुरूष साक्षरता दर 39.45 प्रतिशत की तुलना में महिला साक्षरता दर 28.69 प्रतिशत हो गई। जब 1978 में महिलाओं की स्थिति संबंधी रिपोर्ट आई तो उससे पता चला कि महिला साक्षरता में वांछित प्रगति नहीं हो पा रही है। 1981 में महिलाओं को साक्षरता की दर मात्र 24.89 प्रतिशत थी। विडंबना तो यह है कि महिला साक्षरता की दर बीते 56 सालों में भी प्रगति के उस सोपान पर नहीं पहुंच सकी, जिसकी आजादी के बाद संविधान लागू होने के समय अपेक्षा की गई थी।

डायन कह कर जला देने की घटनाएं

हमारे देश का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है जबकि आज विश्व में लोग चन्द्रमा तक पंहुच चुके है और जब आज हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके है, उस समय भी भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जहां आज भी बर्बर आदि कालीन परम्पराएं सांस्कृतिक पचहान के नाम पर कायम है। 'डायन–प्रथा' ऐसी ही एक परम्परा है। देश में आज भी अंधविश्वास ओर पागलपन में जकडे लोग निरीह एवं भोली–भाली निर्दोष दलित तथा

जनजातियों की महिलाओं को डायन करार देकर जीवित जला देते हैं। पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, छतीसगढ और बिहार से अक्सर जाए दिन ऐसे समाचार आते रहते हैं।

डायन प्रथा से प्रायः देश का अधिकांश आदिवासी समाज जूझ रहा है। लेकिन इस मामले में बिहार का सिंहभूमि जिला देश में पहले स्थान पर है। एक गैर सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार बीते 56 वर्षों में अकेले सिंहभूमि जिलें में लगभग 800 से अधिक दलित व आदिवासी महिलाओं की ओझाओ के कहने प डायन बताकर गांव वालों द्वारा हत्या की जा चुकी है। जाहिर है कि इन हत्याओं के पीछे अंधविश्वास, अशिक्षा ओर गरीबी ही नहीं, बल्कि धन लोलुपता, आपसी ईर्ष्या, द्वेष व मैमनस्यता और राजनीतिक कारण भी प्रमुख हैं।

डायन – प्रथा की बुनियाद पूर्णतः अवैज्ञानिक और अंधविश्वास पर टिकी है। गांव में जब कभी किसी की असामयिक मृत्यु हो जाती है, तो उसे डायन का प्रकोप मानकर संदिग्ध महिलाओं पर जुल्म ढाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और तब तक जारी रहती है, जब तक कि उसके प्राण निकल नहीं जाते। पालतू जानवर की मौत भी हो जाती है, तो उसके लिए भी डायन की कुदृष्टि को ही जिम्मेदार माना जाता है और उसके बाद काफी चढ़ावा और दक्षिणा लेने के साथ ही ओझा की

कार्यवाही शुरू हो जाती है। सबसे पहले ओझा पीपल या साल के पत्तों पर तेल डालकर मंत्र बुदबुदाता है। बंगाली और संथाली मिश्रित इस मंत्र के बुदबुदाने के बाद ओझा की आंखे खुलती हैं और वह किसी अशक्त, गरीब, दलित या आदिवासी महिला पर, जिसका पीडित परिवार से पहले से ही मनमुटाव होता है, डायन होने का आरोप लगा देता है। ओझा के यह घोषित करते ही गांव की उन्मादी भीड उस महिला पर टूट पड़ती है। कई महिलाएं तो इस बर्बरता को सहन नहीं कर पाती औंर दम तोड देती हैं और कई तो इस अपमान के चलते आत्महत्या तक कर लेती है।

डायन – प्रथा के अस्तित्व को बनाए रखने और सीधी–सादी बेकसूर दलित व आदिवासी महिलाओं को डायन घोषित कर, उन्हें अमानुषिक यातना देने और उनकी हत्या के पीछे ओझा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सर्वोच्च न्यायालय में भी इस संबंध में याचिका दायर की गई है। इस याचिका के अनुसार बिहार के सिंहभूमि और अन्य दूसरे जिलों में ही हर वर्ष डायन होने के संदेह में लगभग सौ से अधिक महिलाओं की हत्या कर दी जाती है। गैर सरकारी आंकलन के अनुसार प्रत्येक वर्ष लगभग दस हजार औरतों को डायन घोषित करके समाज

के ठेकेदार उनसे पचास लाख रूपाये से अधिक जुर्माना वसूल करते हैं।

नंगा करके घुमाने की घटनाएं

राजस्थान के भीलवाडा जिले के रूपाहेली गांव में दिन–दहाडे लाडू देवी नामक दलित महिला को गांव के ही 25 सवर्णों ने उसके घर से घसीटते हुए बाहर लाकर उसके कपडों को नोंच–नोंच कर फाड डाला। उसे नंगा करके लातों और घूसों से मारा और पूरे गांव में घुमाकर चौपाल पर जाकर उस पर हमला बोल दिया।

राजस्थान के चितौडगढ़ जिले के मकरौली गांव मं सीता देवी तथा जानी देवी नामक दो दलित महिलाओं को सूटकेस चोरी के झूठे आरोप में क्षत्रिय सामंतों ने नंगा करके उल्टा लटका कर आमनवीय यातनाएं दीं।

मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के अकट पुरिया गांव में एक पचास वर्षीय दलित महिला को नंगा घुमाया गया। बताया जाता है कि बंजारा जाति की स्त्री चुन्नीबाई को पहले तो पीटा गया और फिर बाद में उसका काला मुंह किया गया तथा नंगा करके उसे पूरे गांव में घुमाया गया।

1 अक्टूबर 1998 को दशहरे के दिन बेगार करने से मना करने पर टीकमगढ़ क्षेत्र के लमेरा गांव में सामंतों ने हमला करके पचासों दलित महिलाओं को पीट–पीट कर नंगर कर दिया तथा उनके घरों को भी लूटा। उल्लेखनीय है कि इस घटना में कुछ ब्राह्मण भी सामंतों की मार का शिकार हुए। उनका पाप यह था कि उन्होंने दलितों का साथ दिया था।

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में इनायतपुर गांव की इमरती नामक एक 44 वर्षीया दलित महिला को गांव वालों ने नंगा करके लोहे की छडों से मारा और घंटों गांव में घुमाया। बिजनौर में एक दलित महिला को निर्वस्त्र घुमाया गया। मुजफ्फर नगर जिले के शाहपुर थाने के अंतर्गत मंधेडा गांव की दो दलित बहनों रेख और शीला को गांव के सवर्णों ने नंगा करके माते हुए रात के 3 बजे तक पूरे गांव में घुमाया। इन दोनों बहनों का 'अपराध' यह था कि वे अपने नवनिर्मित अच्छे मकान में अच्छी तरह रह रही थी। हरिद्वार में भोपटवाला क्षेत्र में रंगाचारी आश्रम के पास एक पंचायती नल से पानी भरने की कोशिश करने पर योगराज नामक एक दलित की पत्नी को सवर्णों ने नंगा करके माते हुए गली–गली में घुमाया। विडंबना यह कि पुलिस ने शिकायत के बाद भी कोई कार्यवाही तक नहीं की। फैजाबाद जिले के

चांदपुर हरवंश गांव में अज्ञात अपराधी की तलाश मे पुलिस के एक दस्ते ने श्याम लाल नामक दलित के घर धावा बोल दिया। वहां उपस्थिति कई महिलाओं को उसने नंगा कर दिया। विरोध करने पर उनके पुरूषों पर फर्जी मुकदमे बना दिये गये। सहारपुर के रंदेली गांव की 30 वर्षीय अनीता नामक एक दलित युवती को जाट पंचायत ने नंगा करके पंचायत के सामने उसके मुंह पर कालिख पोत दी। उसका 'अपराध' यह था कि उसने अपने दो पडोसी जाट युवकों राजू और पप्पू के खिलाफ अपने घर में चोरी करने की शिकायत की थी।

उत्तरकांशी के पास कंटारी गांव में सवर्णों ने अतुला नामक एक दलित महिला को नंगा करके पीटते हुए घुमाया। उस गरीब महिला का पाप यह था कि उसने एक मंदिर में प्रवेश करके पूजा की थी। दुख इस बात का है कि पुजारी के कहने मात्र पर सबडिवीजनल मजिस्ट्रेट जगदीश त्रिपाठी ने उसे जेल भेज दिया।

आंध्र प्रदेश के खम्माम जिले के मुगरलगप्पा नामक गांव में एक महिला को गांव में सामंतों की नंगा किया गया तथा उसे उस हालत में एक घंटे तक खडा रहने की सजा और यातनाएं दी।

हिमाचल विधान सभा में उस समय जर्बदस्त हंगामा हुआ, जब जमीन के मामले में राजपूत बंधुओं ने शकीना देवी नामक एक दलित

महिला को नंगा करके पेड से बांध कर, मार कर जला देने की घटना का उल्लेख किया गया। उन्होंने इसके साथ ही साथ शकीना के घर में आग भी लगा दी।

जीवित जलाने, उन पर तेजाब डालने, पूरी बस्ती जलाने, अपमानित करने और प्रेम संबंधों के कारण मार डालने की घटनाएं

महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले के सस्तूर गांव में अनुराधा सर्वउे नामक एक 14 वर्षीय दलित युवती को सवर्णों ने जलते हुए चूल्हें में डालकर भून डाला। बिहार के हाजीपुर जिले के पगातू गांव की पांच महिलाएं, जो पास के हाट–बाजार से घर को वापस लौट रही थी, उन सबके ऊपर रास्ते में गांव के सवर्ण सुनारों ने एसिड फेंक कर उन्हें अंधा बनाने की कोशिश की।

हरियाणा के हिसार जिले के देपल नामक गांव मे 21 वर्षीय अनिल कुमार नामक दलित की गांव की दो बच्चों की मां 25 वर्षीय सत्यवती नामक जाट महिला के साथ प्रेम संबंध होने के आरोप में जोटों ने उस महिला सहित उसकी कुल्हाडी से काट कर हत्या कर दी।

दिल्ली में त्रिलोकपुरी क्षेत्र में एक मंदिर के अहाते में प्रवेश करने के कारण एक 25 वर्षीय गुड्डी देवी नामक दलित महिला को बी जे पी

के स्थानीय सभासद सुभाष कोहली तथा विगत विधान सभा चुनावों में उसी पार्टी के उम्मीदवार राचरण गुजराती के समक्ष उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुरी तरह पीटा।

हरियाणा के हिसार जिलें में एक अजीबोगरीब स्थिति उस समय पैदा हो मई, जब मुख्यमंत्री बंसी लाल की बेटी सुमित्रा देवी ने वहां 'ड्यूटी' पर तैनात रेणु फुलिया नामक एक दलित महिला सिटी मजिस्ट्रेट को जाति सूचक गालियां देते हुए बुरी तरह पीटा। यह दलित महिला अधिकारी के प्रति अत्याचार की पराकाष्ठा और मनुवाद का प्रभाव नहीं तो और क्या है?'

कर्नाटक के बेल्लारी जिले में कलकुबा नामक गांव की सीमा पर स्थापित हनुमान मंदिर में जहां मल्लामा देवी को खुश करने के लिए दलित स्त्रियो का नग्न नृत्य होता है, आखिर कथा और धर्म के नाम पर इस तरह की अश्लीलता, नंगेपन की खुलआम नुमाइश ब्राह्मणवादी, उच्च व सवर्ण वर्ग की ही तो देन है।

उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की माधोगढ तहसील से पांच किलोमीटर की दूरी पर बसे गांव अटा के ठाकुर शेर सिंह तोमर की 17–वर्षीया पुत्री मीनू उर्फ गुड़िया अपने गांव के ही दलित बैंक कर्मचारी युवक धर्मा उर्फ धर्म सिंह से ऊंच–नीच, जाति–पाति, धर्म सब कुछ

भूलकर व्यार कर बैठी आरद दोनों प्यार में लोक मर्यादा भूल गए। परिणामतः गुडिया गर्भवती हो गई गुडिया के पिता ठाकुर शेर सिंह और भाई विपिन के आतंक से सारा गांव भयभीत रहता था लेकिन गुडियां और धर्म सिंह और उसके साथी राकेश विश्वकर्मा को तो उनके घरों से शेर सिंह, विपिन व उनके हथियार बंद लठैत सोते से उठा लाए और गुडिया को गन्ने के खेत से पकडकर मारते–मारते लाया गया। गांव में पंचायत हुई और पंचायत के निर्णय के बाद दोनों प्रेमियों धर्मा और गुडिया को लाठियों से पीटा गया। अटा गांव के ठाकुरों को अपनी लडकी का दलित युवक से प्रेम करना, उसके साथ ससंर्ग करना और शादी कर उसका दलित महिला बनना गवारा न हुआ, जबकि गुडिया की मां यह चाहती थी कि दोनों कहीं दूर जाकर अपनी जिंदगी गुजारें। वह तो अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहती थी। उसने अपने बेटे से बेटी मीनू और धर्मा को छोड़ने की बहुंत गुहार की लेकिन उन्होंने उसे भी एक कमरे में बंद कर दिया। यह घटना मूंछ के अहम का जीता–जागता सबूत है। गुडिया लाठियों की मार से पिटते–पिटते मर गई और लाठियों की मार से बेदम हो चुके दोनों धर्म और राकेश को डीजल डालकर जिंदा जला दिया गया।

बलात्कार

अनहोनी बिहार के लिए कोई नई बात नहीं है। दलितों का नर संहार हो या बलात्कार, वहां पर ये रोजमर्रा की स्वाभाविक आम घटनाएं मानी जाती है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पटना में जब एक वरिष्ठ दलित आई. ए. एम. अधिकारी की पत्नी, बहन तथा मां से महीने भर तक बंदूक की नोंक पर, लालू प्रसाद यादव की शासक पार्टी की पिछडी जाति से संबद्ध एक वरिष्ठ महिला नेत्री के बिगडैल बेटे द्वारा बलात्कार किया जाता रहा और दलित अधिकारी अपनी जान बचाने की खातिर पूरे परिवार के साथ नौकरी छोडकर साल भर के लिए बिना किसी सूचना के अज्ञातवास में चला जाए, इस तरह की घटना तो औपन्यासिक कल्पना प्रतीत होती है, किन्तु यह कटु सत्य है। उक्त दलित अधिकारी का नाम बी बी विश्वास है, जो पटना में सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ऑफ लेबर में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे तथा नवंबर 1997 में अपने परिवार के साथ अचानक अज्ञातवास में चले गए। यह घटना इस बात का सबूत है कि दलित समाज के एक वरिष्ठ आई ए एस अधिकारी की प्रशासन रक्षा नहीं कर सकता तो फिर आम आदमी की सुरक्षा की आशा करना व्यर्थ है।

दरभंगा के मनीगाछी प्रखंड के जाटुका गांव की एक नाबालिग दलित लडकी के साथ भूस्वामी जीवांलाल और देव वोरा ने बलात्कार किया। सुपौल स्थिति वीरपुर क्षेत्र में एक दलित युवती की सामूहिक बलात्कार के बाद मिटटी का तेल छिडक कर आग लगाकर हत्या कर दी गई। पारसबीघा थाने के पनहुई गांव में हथियार बंद हमलावरों ने रात में ईंट भटटा पर कार्यरत दलित मजदूरों की झोपडियों पर हमला कर, उनकी जवान लड़कियों – पत्नियों के साथ कई–कई बार बलात्कार किया। विरोध करने पर उन्हें मारा–पीटा गया और उनके रूपये व सामान को लूट लिया। भोजपुर जिले के जगदीशपुर थानांतर्गत दावां गांव के धारी यादव, महेन्द्र यादव, अजय यादव, भुवनेश्वर यादव, सुरेन्द्र यादव, सहमत यादव तथा हुलास यादव ने दलित महिला कौशल्या के घर उसकी पुत्रवधू हीरामुनी से सामूहिक बलात्कार किया और उसके बाद महेन्द्र यादव ने हीरामुनी के गुप्तांग में बेरहमी से लाठी घुसेड दी। विडंबना यह है कि एक ओर जहां कौशल्या न्याय के लिए दर–दर भटकी, वंही पुलिस ने इस मामले को रफा–दफा करने में कोई कोर–कसर नहीं छोडी।

सीतामढ़ी जिले के परिहार थाना के थाथरा गांव की पिछ़डी जाति की महिला के साथ दो लोगों ने बलात्कार किया। पटना के मखदूरपुर

थाने में ढाकिनबीघा गांव के ईट भट्ठे पर कार्यरत पांच आदिवासी महिलाओं सोमवती, शुकमती, बोदरा, गुडबडी और कदमवती के साथ बलात्कार किया गया। नवादा में कुमारी ज्योति सोरेन ठेकेदार भागवत प्रसाद के यहां दासी का कार्य करती थी। ठेठेदार के पुत्र मंतो प्रसाद ने ज्योति सोरेन के साथ बलात्कार किया। दुख की बात यह रही कि पुलिस के द्वारा एक सप्ताह तक कोई कार्यवाही तक नहीं की गई।

पटना के शकूराबाद थाने के कुलहरी गांव के भट्टे में छः लोगों ने रिवॉल्वर दिखाकर दो आदिवासी मजदूरिनों रीता उरावं 16 तथा हीरा 17 के साथ बलात्कार किया। उन्होंने पुरूष मजदूरों को रिवाल्वर दिखाकर खामोश कर दिया और लडकियों के साथ बलात्कार के बाद उनके रूपये और सामान भी लूट लिया। हाजीपुर जिले के सराय अटरी थाने की 18 वर्षीया विवाहिता आशा देवी के साथ आतंक के पर्याय बने स्थानीय गुंडों ने सामूहिक रूप से बलात्कार किया। बलात्कार के बाद जब वह दलित महिला नजदीक के थाने में रिपोर्ट लिखवाने के लिए पहुंची तो पुलिसकर्मियों ने उसकी मदद करने के स्थान पर उसे चरित्रहीन, आवारा व बदमाश की संज्ञा देकर भगा दिया।

दलित महिलाओं के सामने चुनौतियों के संदर्भ में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय की प्रवक्ता डॉ. विमल थोरात का मानना है कि

अधिकांश दलित समाज की महिलाएं खेतिहर मजदूर हैं, जो बहुत कम मजदूरी पर कार्य करती है। उन्हें हर रोज बेरोजगारी का सामना भी करना पड़ता है। नीची जाति से संबंधित होने के कारण आर्थिक रूप से उच्च जाति के अमीर लोगों पर आश्रिम होने से उन्हें बलात्कार और सब तरह की हिंसा का शिकार भी होना पड़ता है। महिला दक्षता समिति की प्रधान रह चुकी पूर्व सांसद, प्रख्यात समाज सेविका प्रमिला दण्डवते का कहना है कि भारत में हर साल बीस लाख महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है। इस शताब्दी में तो यह संख्या बढ़ कर लगभग एक करोड तो हो ही गई होगी। हालांकि सरकारी आकडे इस कड़वे और घिनौने यथार्थ को छुपाते है।

यह कड़वा सच है कि अधिकांश बलात्कार की घटनाएं दलित महिलाओं पर ही होती है। सवर्ण महिलाएं इस खौफनाक दर्द से एक सीता तक अभी बहुत दूर है। उनके सवाल अलग है, इसलिए जवाब भी अलग ही होते है। महिला आयोग में भी दलित महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं है। इस बारे में प्रख्यात साहित्यकार एवं राजस्थान दलित साहित्य अकादमी की अध्यक्ष डॉ. कुसूम मेघवाल का कहना है कि दलित वर्ग की महिलाओं के उत्थान, कल्याण एवं उनकी समस्याओं को निपटाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अलग से दलित महिला आयोग

व दलित महिला कोष की स्थापना की जानी चाहिए, जो पूर्ण रूप से इस वर्ग की महिलाओं के लिए ही कार्य करें, उनकी समस्याओं का निराकरण करे और उनकी बहबूदी के लिए सरकार पर योजनाएं बनाने व उनके क्रियान्वयन के लिए बाध्य करे। ऐसा होने पर ही बलात्कारी के विरूद्ध कार्यवाही और अपराधी को दंड मिल पाना सुनिश्चित हो सकेगा। ऐसा न होने पर अपराधी को सजा मिल पाना एक सपना ही रहेगा। क्योंकि आज तक इस अपराध में किसी भी जमींदार, सामंत या सरमायेदार व्यक्ति को गिरफ्तार तक नहीं किया गया है, सजा दिए जाने की बात तो कोसों दूर है।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि यथार्थ में दलित महिलाओं के साथ सवर्णों द्वारा अमानवीय अत्याचार, दुर्व्यवहार, बलात्कार उनके संघर्ष की चेतना कुंद करने और उनके दमन का सबसे घिनौना हथियार रहा है। इनमें हो रही आये दिन बेतहाशा बढोतरी आतंक के रूप में पूरे दलित समुदाय को यह चेतावनी देती प्रतीत होती है कि यदि तुमने हमारे और हमारी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठायी या कभी सिर उठाने की हिम्मत की, तो उसका परिणाम तुम्हे इसी तरह भोगना होगा और उसके बाद तो तुम बोल भी नहीं सकोंगे, आंख या सिर उठाने की तो बात की दीगर है।

इसमें दो राय नहीं है कि देश में सुरसा के मुंह की तरह आए–दिन बढ़ती बलात्कार, वह भी दलित बच्चियों–युवतियों महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं ने जन–मानस को झकझोंर कर रख दिया है कि आखिर बलात्कारो का यह सिलसिला कर तक खत्म होगा? इन अपराधिकयो को दण्ड मिलेगा तो कब? दरअसल बलात्कार की घटनाओं में अपूर्व बढोतरी बेहद चिंता का विषय है। गैर सरकारी आंकडों के अनुसार देश में बलात्कार के रूप में महिला हो, नाबालिग लडकी हो, अबोध बच्ची हो या प्रौढा या फिर वृद्धा को मानसिक तथा शारीरिक रूप से पीडित करने के मामलों में बेतहाशा बढोतरी हुई है। क्या ये घटनाएं स्थिति की विकरालता और भयावहता की ओर इशारा नहीं करती। जबकि विडंबना यह है कि केवल दो फीसदी मामलों में ही अदालतों की जागरूकता और पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने के कारण ही उजागर हो सके है जबकि इस सच्चाई से भी इनका नहीं किया जा सकता है कि ऐसे सैंकडों – हजारों मामले राजनैतिक प्रभाव व पुलिस द्वारा अपनी अच्छी छवि पेश करने के चलते दर्ज ही नहीं हो पाते।

देश में महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। दलित महिलाएं तो हवस के भूखे इन भेडियों की आए–दिन शिकार होती रहती है। गौरतलब यह है कि केन्द्र सरकार के गृह राज्य मंत्री आई डी स्वामी

का यह कथन है कि हर महिला के पीछे पुलिस तो तैनात नहीं की जा सकती, उकी संवेदनहीनता और जिम्मेवारी से मुंह मोडने का जीता–जागता सबूत है।

बलात्कार के आए–दिन अखबारों में प्रकाशित होने वाले ये मामले ही स्थिति की भयावहता की ओर इशारा करते हैं। हमारे देश की विडम्बना है कि जब किसी बड़े घर की बेटी, विदेशी या फिर नामी–गिरामी हस्ती के साथ बलात्कार होता है, तो पुलिस–प्रशासन–सरकार द्वारा आसमान सिर पर उठा लिया जाता है, रोज अखबारो के उसके बारे में समाचार आते हैं और अधिकारी से लेकर मंत्री तक उसके बारे में चिंतित नजर आते है उसे देश के नाम व प्रतिष्ठा पर आंच की संज्ञा देते हैं, लेकिन जब एक गरीब या दलित की लडकी के साथ बलात्कार होता है, तो वह 'एक दिन की छोटी सी बात' या फिर रोज मर्रा की बात है, कहकर उडा दी जाती है और पुलिस ज्यादा से ज्यादा दो तीन दिन हाथ पैर मारकर चैन से बैठ जाती है।

बलात्कार चाहे अबोध बच्ची के साथ हुआ हो, नाबालिक, मानसिक रूप से विक्षिप्त के साथ, नवयुवती, प्रौढा या वृद्धा के साथ, वह मानवीयता और नैतिकता की दृष्टि से जघन्य, घृणित और अक्षम्य

अपराध तो है ही, मानवता के नाम पर कलंक है। यह हैवानियत और नीचता की पराकाष्ठा है। स्वस्थ समाज के नाम पर काला धब्बा है। इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय मे दिए गए एक फैसले, जिसमें माननीय न्यायमूर्ति श्री कुलदीप सिंह व मानवीय न्यायमूर्ति एस संगीर अहमद का कथन महत्वपूर्ण है। अपने निर्णय में माननीय न्यायमूर्ति द्वय ने कहा है कि – ''दुर्भाग्य है कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति कमजोर है, लेकिन उन्हें भी सम्मानपूर्वक और शांतिपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। महिलाओं के व्यक्तित्व में मां, बेटी, बहन और पत्नी जैसे अनेक व्यक्तित्व सामहित होते है। इसलिए किसी को भी किसी महिला का सम्मान, मर्यादा को छूने या उसे भंग करने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

गत दिनों रॉयल सोसाइटी फॉर दि प्रोटेक्शन ऑफ दि वर्ल्डस के अध्ययन में कहा गया है कि भारत में गिद्धों की प्रजाति खतरे में है और इसे लुप्त होने से बचाने के लिए अविलंब उपाय किए जाने की जरूरत है। समूचे विश्व मे पशु–पक्षी प्रेमी के रूप में विख्यात पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने भी कई माह पहले कहा था कि देश से गिद्धों की प्रजाति खत्म हो रही है। यदि यह पूरी तरह विलुप्त हो गई, तो एंथ्रेक्स और बाटुलिज्म जैसी बीमारियो को महामारी बनने से रोकना

असंभव हो जाएगा। यह कथन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूरी तरह सही है, लेकिन हमारे देश में कन्या के जीवित मांस को नोचने खसोटने वाले, उसको देखते ही भूखे भेडियों की तरह टूट पडने वाले मानव रूपी गिद्धों की तादाद दिनों–दिन बढती ही जा रही है। यह बीमारी जो विकृत मानसिकता की जीती–जागती मिसाल है, एंथ्रेक्स और बाटुलिज्म जैसी बीमारी से भी भयंकर है। देश में आए–दिन तेजी से बढती बलात्कार की घटनाएं प्रमाण है कि यदि इन पर शीघ्र अंकुश न लगाया गया, तो मानव रूपी गिद्धों की तेजी से बढती प्रजाति को रोक पाना असंभव हो जायेगा।

गौरतलब है कि बलात्कारी व्यक्ति का सबसे बडा मानदंड और कसौटी यह है कि वह आसानी से हमला करके अपनी भड़ास निकाल सके और ताकत का प्रदर्शन वह वहां करे, जहां उसका कोई प्रतिवाद न कर सके। मानव रूपी गिद्धों के लिए सौंदर्य और आयु की कोई कसौटी नहीं है। उनके लिए तो बस विपरीत लिंगी होना ही काफी है। बच्चियां बलात्कारी की घटनाओं में विशेष ध्यान देने योग्य यह है कि बच्चियां बलात्कारी के लिए सबसे आसानी से मिल जाती है। इसलिए वह उन्हें सबसे ज्यादा शिकार बनाता है। बच्चियों के साथ होने वाली बलात्कार की घटनाएं इसकी जीती–जागती मिसाल है।

दरअसल बढते बलात्कारों को रोकने की दिशा में राष्ट्रीय महिला आयोग तकरीबन आठ साल पहले गृह मंत्रालय से मांग कर चुका है कि 1973 की भारतीय दंड संहिता, अपराध प्रक्रिया संहिता तथा 1872 के भारतीय गवाही अधिनियम में शीघ्र संशोधन किया जाएं। इसके लिए वह संशोधित अपराध कानून बिल में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 375, 376 और 376 (ई) में तथा 1872 के गवाही अधिनियम की धारा 114 (ब) व 155 में और अपराध प्रक्रिया संहिता 1975 की 8 धाराओं में संशोधन व उसमें धारा 153 (अ) को जिसमें धारा 26, 54, 157, 137, 173, 198, 309 और 327 शामिल हैं को जोडने हेतु गृह मंत्रालय को बहुत पहले एक मसौदा भेज जुका है। यह मूलतः क्रिमिनल प्रोसीजर एंड विटनेसस एक्ट से जुडा है। आयोग का यह दृढ मत है कि भयभीत बलत्कृता को न्याय मिले व समाज की तस्वीर बदलने के लिए यह जरूरी है बलात्कारी को कडा दंड मिले। यह इसलिए भी जरूरी और महत्वपूर्ण है कि सबूत जुटाने के नाम पर मौजूदा पेचीदगियों के चलते बलात्कारी दंड मिलने की प्रक्रिया से बचने में कामयाब न हो सके।

इस संबध में यह गौरतलब है कि बलात्कार चाहे बच्ची के साथ किया गया हो, अवयस्क के साथ वयस्क महिला के साथ भूल, अज्ञानता या धोखे में किया जाने वाला अपराध नहीं है, वह स्थान, समय, सुरक्षा

का ध्यान रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से और षडयंत्र के तरह पूरे संज्ञान में किया जाने वाला अपराध है। तीस हजारी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश माननीया विमला मकीन का एक ऐसे ही मामले में निर्णय देते हुए यह कथन कितना सटीक है कि – ''बलात्कार औरत की आखिरी दुर्गति है। पीडित महिला अपना आत्मविश्वास, स्वाभिमान व सोचने की शक्ति सभी कुछ खो देती है उसे सहानुभूति की जरूरत होती है, किंतु इस पुरूष प्रधान समाज में युवती न्याय पाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। चूंकि औरत के साथ इससे बडा अत्याचार हो ही नहीं सकता, इसलिए अदालत ऐसे अपराधी को माफी नहीं दे सकती और ऐसी स्थिति मे उसके साथ सहानुभूति का प्रश्न कहीं नहीं उठता।''

अंत में निष्कर्ष यह है कि, ''नारी तुम केवल श्रद्धा हो' कहने वाला समाज ही नारी को अपनी जरखरीद गुलाम, दासी समझता है। और इसी सोच के चलते वह नारी पर जो किसी भी वर्ण या जाति की क्यों न हो, अत्याचार, अनाचार करता है, उसका शोषण करता है, उन पर शासन करता है। सवर्ण स्त्रियां भी इस शोषण। उत्पीडन से अछूती नहीं है। फिर उस हालत में दलित नारी दुहरा संत्रास झेलती है, एक नारी और दूसरा दलित होने का। अक्सर देखने में आता है कि समाज ने जहां मनुवादी व्यवस्था के चलते उसके छोटी जाति का होने के कारण

उसे न तो कभी इन्सान समझा और न मानव अधिकारों का अधिकार ही। इसलिए वह उसकी अस्मत से खेलना अपना अधिकार समझते हैं, वहीं विडम्बना तो यह है कि दलित नारी सवर्णों के अत्याचारों–अनाचारों की शिकार तो बनती ही है, वह दलित समाज, परिवार और अपने पुरूषों के अत्याचारों की भी बार–बार शिकार होती है। इस तथ्य को झुठलाया नहीं जा सकता। धोखा, बलात्कार, हिंसा, अपमान, श्रम व शारीरिक यौन शोषण तो उसकी नियति बन चुका है। और स्वतंत्रता, समता और बंधुतव एक सपना तथा संविधान में वर्णित ढेरों कानून एक दिखावा मात्र बनकर रह गये है। इन हालात में और सरकारों के नाकारेपन कहें या सवर्ण मानसिकता से ग्रस्त होने के कारण या फिर वोट की राजनीति के चलते कुछ कर पाने में असमर्थ होने की स्थिति में जब तक नारी और वह भी दलित नारी अपनी अस्मत गौरव और सम्मान की रक्षा की खातिर पुलिस, सरकार व कानूनों के भरोसे न रहकर अपने हाथों में हथियार नहीं उठायेगी, आतताइयों शोषकों, उत्पीडकों और बलात्कारियों को मुहंतोड़ जबाव नही देगी, उन्हें पौरूषहीन बनाने का साहस नहीं दिखायेगी, बल्कि ऐसे मानवरूपी गिद्धो को पौरूषहीन करने का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करेगी, तब तक वह

इनके अत्याचार, शोषण और बलात्कारों की न थमने वाली हैवानियत भरी कोशिशों की शिकार होती रहेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है।

घरेलू हिंसा (महिलाओं के प्रति)

महिलाओं के प्रति हिंसा की समस्या कोई नहीं है। भारतीय समाज में महिलाएं एक लम्बे काल से अवमानना, यातना और शोषण का शिकार रही है, जितने काल के हमारे पास सामाजिक संगठन और पारिवारिक जीवन के लिखित प्रमाण उपलब्ध है। आज शनैः शनैः महिलाओं को पुरूषों के जीवन में महत्वपूर्ण, प्रभावशाली और अर्थपूर्ण सहयोग माना जाने लगा है, परन्तु कुछ दशक पहले तक उनकी स्थिति दयनीय थी। विचारधाराओं, परम्परागत रिवाजों, और समाज में प्रचलित प्रतिमानों ने उनके उत्पीड़न में काफी योगदान दिया है। इनमें से कुछ व्यावहारिक रिवाज आज भी पनप रहे है। स्वाधीनता के पश्चात् हमारे समाज में महिलाओं के समर्थन में बनाये गये कानूनों, महिलाओं में शिक्षा के फेलाव और महिलाओं की धीरे–धीरे बढ़ती हुई आर्थिक स्वतंत्रता के बावजूद असंख्य महिलाएं अब भी हिंसा की शिकार हो रही है एवं उन्हें पिटा जाता है, उनका अपहरण किया जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है उनको जला दिया जाता है या उनकी हत्या कर दी जाती है।

पिछले कुछ दशकों में नारी के प्रति अपराध एवं हिंसा (अथवा हिंसात्मक अपराध) की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है तथा यह समाज वैज्ञानिकों, नीति–निर्धारकों, समाज–सुधारकों व अन्य सभी के लिए एक गहन चिन्ता का विषय बना हुआ है। यह सही भी है क्योंकि नारी को सुरक्षा व सुख प्रदान करने के बदले पुरूषों ने नारी को तिरस्कृत किया है, उसकी उपेक्षा की है, उसका अपमान व शोषण किया है तथा यहां तक कि उसके साथ अमानवीय हिंसात्मक व्यवहार भी किया है। मानवीय इतिहास में होने वाली ऐसी घटनाओं की वृद्धि के प्रति वस्तुतः चिन्ता होना स्वाभाविक ही है।

आज नारी के प्रति अनेक प्रकार के अपराध हो रहे है। 'अपराध' कानूनी रूप से परिभाषित शब्द ही नहीं है, अपितु सामाजिक दृष्टि से भी परिभाषित शब्द है। सामाजिक दृष्टि से इसे सामाजिक नियमों का उल्लंघन या विचलन कहा जाता है। नारी को शारीरिक व मानसिक यातनाएं देना, उसके साथ मार–पीट करना, उसका शोषण करना, नारीत्व को नंगा करना, भूखा–प्यासा रखकर या जहर आदि देकर उसको दहेज की बलि चढ़ा देना, निश्चित रूप से नारी के प्रति अपराध ही कहें जाएंगे। पूरे देश में नारियों के प्रति अपराधों एवं हिंसक घटनाओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। एक वर्ष राज्यसभा में

सरकार द्वारा केवल दिल्ली के बारे में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के बारे में जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए उनसे यह स्पष्ट पता चलता है कि उनके प्रति अपराधों में वृद्धि हो रही है।

भारतीय सरकार के गृह मन्त्रालय के अन्तर्गत 'नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो' प्रति वर्ष भारत में अपराध सम्बन्धी आंकड़ों का प्रकाशन करता है। इसी संगठन द्वारा प्रकाशित विभिन्न वर्षों के आंकड़े जो 'क्राइम इन इण्डिया' में प्रकाशित किये जाते है। उनके अनुसार भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा में वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि होती जा रही है।

भारतीय सरकार के गृह मन्त्रालय के अन्तर्गत कार्यरत संगठन 'नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो' प्रति वर्ष भारत में अपराध सम्बन्धी आंकड़ों का प्रकाशन करता है। इसी संगठन द्वारा प्रकाशित विभिन्न वर्षों के आंकड़े जो 'क्राइम इन इण्डिया' में प्रकाशित किये जाते है। उनके अनुसार भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा में वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि होती जा रही है।

राम आहूजा ने नारी के प्रति होने वाले अपराधों एवं हिंसा को तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया है – (अ) अपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा तथा सामाजिक हिंसा। प्रथम श्रेणी में उन अपराधों को रखा जा सकता है जो कि पुरूष द्वारा नारी के प्रति आपराधिक हिंसा की प्रवृत्ति

के कारण किए जाते है। बलात्कार, अपहरण तथा हत्या इस प्रकार के अपराधों के प्रमुख उदाहरण है। द्वितीय श्रेणी में परिवारों में नारी के साथ किए जाने वाले शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न को सम्मिलित किया जाता है। दहेज हत्याएं, पत्नी को पीटना तथा विधवाओं पर होने वाले अत्याचार इस श्रेणी के प्रमुख उदाहरण है। तीसरी श्रेणी सामाजिक हिंसा की है, जिसमें पत्नी/बहू को भ्रूण–हत्या के लिए विवश करने, छेड़छाड़, युवा विधवाओं को 'सती' के लिए विवश करने, नारियों को सम्पत्ति में हिस्सा न देने, बहू को अधिक दहेज लाने के लिए उत्पीड़ित करने जैसी हिंसक वारदातों को सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक हिंसा को यौन शोषण व यौन उत्पीड़न के रूप में भी देखा जा सकता है।

घरेलू हिंसा का अर्थ

आज नारी के प्रति आपराधिक हिंसा ही नहीं बढ़ रही है, अपितु घेरलू हिंसा में भी अत्यधिक वृद्धि हो रही है। घरेलू हिंसा का सम्बन्ध घर–गृहस्थी में नारी का किया जाने वाला शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न है। विवाह के समय नारी सुनरहे स्वप्न देखती है कि अब प्रेम, शान्ति आत्म–उपलब्धि का जीवन प्रारम्भ होगा। परन्तु इसके विपरीत सैकड़ों विवाहित नारियों के यह समपने क्ररता से टूट जाते हैं। वे पति

द्वारा मार–पीट और यातना की अन्तहीन लम्बी अन्धेरी गुफाओं में अपने आपको पाती हैं, जहां उनकी चीख–पुकार सुनने वाला कोई नहीं होता। दुख तो यह है कि ऐसी मार–पीट का जिक्र करने में भी उन्हें लज्जा अनुभव होती है और यदि वे शिकायत भी करें तो खुद उन्हें ही दोषी माना जाता है या उन्हें भाग्य के सहारे चुपचाप सहने की सलाह दी जाती है। पड़ौसी ऐसे मामलों में प्रायः हस्तक्षेप नहीं करते क्योंकि यह पति–पत्नी के बीच एक निजी मामला समझा जाता है। यदि पुलिस में रिपोर्ट करने जाएं तो वहां भी पुरूष प्रधान संस्कृति में पले पुलिस अधिकारी पहले नारी का ही मजाक उड़ाते हैं और रिर्पाट लिखने में आनाकानी करते हैं। पुरूष को पत्नी की पिटाई का निरपेक्ष अधिकार है और आम आदमी यह मानकार चलता है कि नारी पिटने लायक ही होगी। अतः पिटेगी ही। दुर्भाग्य की बात है कि ऊपर से शान्त और सम्मानित प्रस्थिति वाले अनेक परिवारों में, जहां पति–पत्नी दोनों शिक्षित और आत्म–निर्भर है, भी मार–पीट की घटनाएं हो जाती हैं और यह नियमितता का रूप लेने लगती हैं। कहीं–कहीं पिता भी अपनी अविवाहित बेटियों के साथ बहुत मार–पीट करते हैं। ऐसी स्थिति में सामाजिक दृष्टि से नारी बड़ा असहाय महसूस करती है क्योंकि वह जहां–कहां शिकायत करें, चाहे पड़ौसी हो, चाहे उसके सगे–सम्बन्धी,

चाहे पुलिस, वकील या जज, सभी उसे समझौता करने की सलाह देते है।

घेरलू हिंसा (भारत में)

सेनल का कहना सही है कि इस घरेलू हिंसा के विरूद्ध संगठित प्रयास किया जाना जरूरी है। नगरों में नारियों को परस्पर बातचित करना सीखना चाहिए और एक–दूसरे के अनुभवों से फायदा उठाना चाहिए। सबसे बड़ी जरूरत तो ऐसे संरक्षण–गृहों की है जहां ऐसी परिस्थिति में नारी अपने बच्चों के साथ सिर छिपा सके और फिर इसी दशा में आवश्यक कदम उठा सके। यहां यह बता दिया जाना आवश्यक है कि कानून की दृष्टि से नारी के प्रति यह घरेलू हिंसा एक अपराध है और पुलिस का यह दायित्व है कि ऐसे मामलों की जांच करे। ऐसा न करना उनकी कार्य के प्रति लापरवाही समझी जाती है जो दण्डनीय है। किसी भी व्यक्ति के प्रति हिंसा निजी विषय नहीं हो सकता, यह तो सार्वजनिक मामला है।

घेरलू हिंसा में दहेज हत्याएं, पत्नी के साथ भावात्मक एवं लैंगिक दुर्व्यवहार, पत्नी को पीटना, यौन शोषण, विधवाओं तथा बुजुर्ग नारियों पर अत्याचार, भ्रूण हत्याएं इत्यादि को प्रमुखतः सम्मिलित किया जा सकता है। इन्हें निम्न प्रकार से समझा जा सकता है –

(1) दहेज हत्याएं – भारतीय समाज में नारी के लिए विवाह में दहेज अनिवार्य है। इसलिए दहेज की समस्या एक भयंकर समस्या बनती जा रही है। आए दिन समाचार–पत्रों में दहेज की शिकार अभागी नारियों के जलाने की घटनाओं का विवरण छपा होता है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसी घटनाओं का प्रतिशत बढ़ता ही जा रहा है। इसके विरूद्ध हाल ही में कठोर कानून भी बनाए गए हैं, पर पति के परिवार में अकेली नारी क्या करे? पिता या भाई भी कब तक विवाहित बेटी या बहन को अपने घर पर रखें। कहीं–कहीं आर्थिक कठिनाई उन्हें मजबूर करती है कि बेटी के लालची ससुराल वालों के साथ समझौता करने का प्रयत्न करते रहें। परिणाम अभागी नारी की मृत्यु ही होता है।

ज्यादातर दहेज हत्याएं पति के घर में पति पक्ष के लोगों द्वारा एकान्त में की जाती है। इनका कोई अधिक ठोस प्रमाण न मिल पाने के कारण पति तथा पति पक्ष के लोग ऐसा करने पर भी कई बार बच जाते हैं। अनेक दहेज हत्याओं को सामान्य मृत्यु बता दिया जाता है और इस प्रकार से उनकी कोई सूचना भी प्राप्त नहीं हो पाती है।

(2) भावात्मक एवं लैंगिक दुर्व्यवहार – न्यायमूर्ति डॉ. पी. वेनूगोपालन ने भावात्मक एवं लैंगिक दुर्व्यवहार को घरेलू हिंसा का प्रमुख प्रकार बताया है। यदि पति अन्य लोगों की उपस्थिति में पत्नी का अपमान करता है,

उसे सारे दिन में किए गए कार्यों का लेखा–जोखा देने हेतु विवश करता है तथा अन्य किसी पुरूष के साथ उसके यौन सम्बन्ध के सन्देह में उनकी अवमानना करता है तो इसे भावात्मक दुर्व्यवहार कहा जाता है। लैंगिक दुर्व्यवहार से अभिप्राय पत्नी के साथ यौन सम्बन्धी कार्यों हेतु उसकी इच्छा के विरूद्ध जोर जबरदस्ती करना है। यदि पत्नी शराब अथवा किसी अन्य नशे के प्रभाव में हैं और वह उस समय नहीं जानती कि क्या हो रहा है, ऐसी स्थिति में उस पर लैंगिक प्रहार करना लैंगिक दुर्व्यवहार का एक अन्य रूप है। इनका कहना है कि बिना प्यार के यौन सम्बन्ध स्थापित करना लैंगिक दुर्व्यवहार है।

(3) पत्नी को पीटना – विवाह के सन्दर्भ में नारियों के प्रति हिंसा इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है कि जिससे उसे प्यार करने व संरक्षण प्रदान करने की आशा की जाती है वहीं उसे पीटना शुरू कर देता है। यह पति पर पत्नी के विश्वास को पूर्णतः भंग कर देता है। भारत में पत्नी को पीटने की घटनाओं में निरन्तर वृद्धि हो रही है। कई बार ऐसी घटनाएं पति नशे में ही अधिकतर करते हैं, परन्तु अन्यथा भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। वह सरा अत्याचार चुपचाप सहन करती है और अपने भाग्य को कोसती रही है।

(4) विधवाओं पर अत्याचार – नारी के लिए वैधव्य सबसे भयानक शब्द है। उसका सबसे बड़ा सौभाग्य सुहागिन बनना है। सूनी मांग मृत्यु से भी ज्यादा भयानक है। हिन्दुओं की उच्च जातियों में विधवा के पुनर्विवाह की परम्परा नहीं थी। विधवा से बड़े संयमी और तपस्वी जीवन की आशा की जाती थी। इस पर भी उसे अनिष्टकारी माना जाता था और घर की बड़ी–बूढ़ियां उसे डायन करती थीं जो अपने सुहाग को खा गई। उससे आशा की जाती थी कि वह यौन सम्बन्धी सभी बातों से विमुख रहेगी, जबकि परिवार के नजदीकी रिश्तेदार और समाज में फिरते भूखे भेड़िये उसकी देह लूटने की चेष्टा करते हैं। यदि जाल में फंस गई तो सारा दोष उसी का है, पुरूष तो उस लांछन से छूट ही जाता हैं। हिन्दू समाज ने शायद इसीलिए सत्ती प्रथा को आविष्कार कर लिया था कि विधवा अपने पति की लाश के साथ जिन्दा जला दी जाए, ताकि न रहेगा बांस और न बनेगी बांसुरी या फिर वृन्दावन और बनारस में विधवाओं को बाल मुंडवाकर रहने के लिए छोड दिया जाता था। आज भी ये हजारों की संख्या में सड़कों पर भिक्षा मांगती दिखाई देती हैं।

(5) नारी हत्या तथा भ्रूण–हत्या – नारी हत्या वह हत्या कही जा सकती है जो उस समय हो जबकि वह मां के गर्भ में है, या जन्म लेने के बाद

नारी शिशु–हत्या के रूप में है और चाहे जलती बहू या किसी अन्य प्रकार के उत्पीड़न से मारने के रूप में है। इतना ही नहीं, इसमें ऐसी घटनाएं भी सम्मिलित हैं जिनमें ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी गई हों कि नारी ने मजबूर होकर आत्म्हत्या कर ली हो। यह सामाजिक एवं घरेलू दोनों प्रकार की हिंसा मानी जाती है। ऐसी घटनाएं नारी के उत्पीड़न की बड़ी दर्दनाक कहानियां प्रस्तुत करती हैं ओर वह इक्का–दुक्का घटनाएं नहीं हैं कि जिन्हें अपवाद समझकर टाल दिया जाए। यह तो एक राष्ट्रीय खोज का विषय हे। बारबरा डी. मिलर ने उचित ही लिखा है कि नारी शिशु–हत्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो रूपों में हो सकती हैं। प्रत्यक्ष रूप में तो मारने–पीटने से, जहर देकर या गला घोंटने से हत्या होती है और अप्रत्यक्ष रूप से उनके लालन–पालन, पोषण या देखभाल की उपेक्षा करके उन्हें मारने का प्रयास किया जाता है। अब तो एक नया तरीका गर्भ में लिंग निर्धारण या मेडिकल परीक्षण है जिसे 'एमनियोसेंटेसिस' कहा जाता है, जिसके द्वारा यह पता चल जाता है कि गर्भ में लड़का है या लड़की, और हजारों की संख्या में लोग, यह पता लगने पर कि गर्भ में लड़की है, गर्भपात करा लेते हैं। जन्म लेने से पहले ही नारी की हत्या हो जाती है। बहुत से कुतर्की कहते हैं कि अगर पहले से ही किसी के कई

लड़कियां हैं तो ऐसे मां–बाप का, जहां केवल लड़के की चाह है, ऐसा करना अनुचित नहीं है। अनचाहे शिशु को जन्म देने से क्या लाभ? परन्तु यह तर्क तो ऐसा है जैसे यह कहना कि हम गरीबी नहीं चाहते तो गरीबों को मार ही क्यों न दिया जाए या फिर जिस माता–पिता के पहले से कई लड़के हैं और गर्भ परीक्षण से पता चले कि गर्भ में फिर एक लड़का है तो क्या ऐसे में भी वह गर्भपात करना चाहेंगे? सच तो यह है कि पुत्र या पुत्री के चरित्र व आचरण से परिवार का नाम चलता है न कि मात्र पुत्र के द्वारा। महात्मा गांधी के चार लड़के थे, पर आम आदमी उनका नाम तक नहीं जानता, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक पुत्री थी और सारी दुनिया उसका नाम जानती है। इसी भांति लड़की मां–बाप की ज्यादा सेवा करती है और नालायक बेटा तो माता–पिता के लिए मृत्युपर्यन्त जी का जंजाल बना रहता है।

दहेज के अतिरिक्त मार–पीट के द्वारा भी नारी हत्या की अनेक घटनाएं मिलती हैं। कभी–कभी भी कहा जाता है कि नारियां ही नारियों की दुश्मन हैं। प्रायः सास ही बहू पर अत्याचार करती हैं। परन्तु सच्चाई यह है कि अप्रत्यक्ष रूप से पुरूष ही नारियों को ऐसे उत्पीड़न का हथियार बनाते हैं। भला वह नारियां जिन्हें परिवार के लिएकिसी भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, किसी अन्य नारी की जान कैसे ले

सकती हैं? इस सम्बन्ध में हम नीना कपूर को पुनः उद्धृत करना चाहेंगे, जिन्होंने वस्तु–स्थिति का बड़ा सही निर्णय लिया है, ''सम्भवतः यह शक्ति का अहसास है, शक्ति किसी अपनी ही श्रेणी के किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर और उसके विरूद्ध, परन्तु यह आत्म–निर्णय की शक्ति नहीं है। ऐसी नारियां तो पितृसत्तात्मक परिवार की वफादार सिपाही हैं जो अपनी ही नारी जाति का खून बहाती हैं ताकि उनके मालिक का हित हो सके। वास्तव में, वह प्रायः निर्दोष पक्ष बनकर दूर खड़ा हो जाता है और नारी बनाम–नारी द्वन्द्व का निर्णायक और जज बन जाता है।''

महिलाओं की समस्याएं

समाज में महिलाओं की अनेक समस्याएं हैं, लेकिन उनमें से कुछ समस्याएं अन्य समस्याओं की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हैं। यहां हम ऐसी तीन प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करेंगे जो तीन विभिन्न प्रकार की महिलाओं की परिस्थिति से सम्बन्धित हैं, वे हैं – (1) अविवाहित महिलाओं की समस्याएं (2) परित्यक्ताओं की समस्याएं तथा (3) विधवाओं की समस्याएं।

अविवाहित महिलाओं की समस्याएं

वे कौनसी महिलाएं हैं जिनका उत्पीड़न किया जाता हैं? उनको उत्पीड़ित करने वाले और हिंसा के अपराधकर्त्ता कौन लोग हैं? महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के मूल कारण क्या हैं? कुछ विद्वान् जिन्होंने पाश्चात्य समाज में इन पहलुओं का अध्ययन किया है, उन्होंने इस समस्या की व्याख्या के लिए 'व्यक्तित्व उपागम' और 'परिस्थिति उपागम' का उपयोग किया है, परन्तु इन दोनों उपागमों के कई बिन्दुओं को लेकर उनकी आलोचना हुई है। उत्पीड़न के अग्रांकित बिन्दु मुख्य हैं –

बलात्कार

यद्यपि बलात्कार की समस्या सभी देशों में गम्भीर मानी जाती है, फिर सांख्यिकी रूप में भारत में यह पाश्चार्त्य समाज की तुलना में इतनी गम्भीर नहीं है। उदाहरणार्थ, अमेरिका में बलात्कार के अपराधों की प्रति लाख प्रतिवर्ष दर लगभग 26 है, कनाडा में यह लगभग 7 है और इंग्लैण्ड में यह 5.5 है। इसकी तुलना में भारत में इसकी दर 0.5 प्रति एक लाख जनसंख्या है। हमारे देश में 1983 और 1988 के बीच हुए बलात्कार के मामलों की संख्या को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक चार घण्टे में तीन बलात्कार होते थे या प्रतिवर्ष 7500 मामले होते थे। केन्द्रीय सरकार द्वारा 27 जनवरी, 1993 को

'महिलाओं के विरूद्ध अपराध' पर प्रस्तुत की गयी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक 54 मिनट में एक महिला का बलात्कार होता था। इसका अर्थ हुआ कि एक महीने में 800 तथा एक वर्ष में 9600 बलात्कार होते थे।

भगाना एवं अपहरण करना

एक नाबालिग (18 वर्ष से कम लड़की और 16 वर्ष से कम आयु का लड़का) को उसके कानूनी अभिभावक की सहमति बिना ले जाने या फुसलाने को 'अपहरण' कहते हैं। 'भगा ले जाने' का अर्थ है, एक महिला को यौन–उद्देश्य से जबरदस्ती, कपटपूर्वक या धोखेबाजी से ले जाना, ताकि उसे बहका कर उसके साथ अवैध मैथुन किया जाये या उसकी इच्छा के विरूद्ध उसे किसी व्यक्ति के साथ विवाह करने को बाध्य किया जाये या उसकी इच्छा के विरूद्ध उसे किसी व्यक्ति के साथ विवाह करने को बाध्य किया जाए। अपहरण में उत्पीड़ित की सहमति महत्वहीन होती है, परन्तु भगा ले जाने में उत्पीड़ित की स्वैच्छिक सहमति अपराध को माफ करवा देती है।

इस प्रकार अपराधी की ओर से धमकी या उत्पीड़ित की ओर से विरोध भगा ले जाने के प्रकरणों में अधिक आम नहीं है।

हत्या

मानव हत्या विशेष रूप से नर–अपराध है। यद्यपि लिंग के आधार पर हत्याओं और उनके शिकारों/पीड़ितों से सम्बन्धित अखिल भारतीय अंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी यह सर्वविदित है कि मानव हत्या के मादा–शिकार नर–शिकारों की तुलना में कम है। जहां अमेरिका में मादा–शिकार मानव हत्या के कुल शिकारों के 20 प्रतिशत औश्र 25 प्रतिशत के बीच हैं। भारत में लगभग 27000 हत्याओं में से जो हर वर्ष होती हैं, महिलाों की हत्याएं कुल संख्या की लगभग 10 प्रतिशत हैं। हत्या करने के अपराध में कुल गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में से 96.7 प्रतिशत पुरूष होते हैं और 3.3 प्रतिशत स्त्रियां होती है।

हत्याओं और उनके शिकारों की महत्वपूर्ण विशेषताएं जो मेरे 33 हत्या प्रकरणों के आनुभावित अध्ययन में मिली, वे है – (1) अधिकांश प्रकरणों (94 प्रतिशत) में हत्यारे और उनके शिकार एक ही परिवार के होते हैं (2) लगभग चार–पांच प्रकरणों में (80 प्रतिशत) हत्यारे 25–40 वर्षों के आयु समूह के होते हैं (3) लगभग आधी शिकार ओरतें होती है, जिनके पुरूष हत्यारे से पुराने सम्बन्ध (पांच वर्ष से अधिक) होते हैं, पीड़ित की अपने पति/सास–ससुर के साथ बिताई गई और औसत कालावधि 7.5 वर्ष पाई गई (4) हत्या की गई महिलाओं में से लगभग

आधी बच्चों वाली थीं, बच्चों (पीड़ित के) की औसत संख्या आनुभविक अध्ययन में 3.2 थी और बच्चों की औसत आयु 14.8 थी (5) हत्यारे अधिकांशतया निम्न प्रस्थिति व्यवसाय और निम्न आय सूमूहों में थे (6) दो–तिहाई हत्याएं (66 प्रतिशत) अनियोजित थीं और क्रोध या उत्तेजित भावावेश में की गई थीं (7) चार–पांच हत्याएं (80) बिना किसी की सहायता के की गई थी नियोजित हत्याओं में भी प्रायः सहापराधी परिवार के सदस्य होते हैं, और (8) महिलाओं की हत्या के प्रमुख कारण छोटे–छोटे घरेलू झगड़े, अवैध सम्बन्ध और महिलाओं की लम्बी बीमारी होती हैं।

परित्यक्ताओं की समस्याएं

हिन्दू विवाह को धार्मिक रूप से सम्पन्न होने के कारण विवाह विच्छिन्न नहीं किया जा सकता। महिला पर विवाह का इतना अधिक प्रभाव पड़ता है कि शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से वह पिता के घर से हटकर पति के घर में प्रतिष्ठित हो जाती है। उसका अपना कोई गौत्र नहीं रहता, पति का गौत्र ही पत्नी का गौत्र बन जाता है – ''स्वगोत्राद् भ्रश्यते महिला विवाहात् सप्तमे पदे।'' विवाह के उपरान्त जीवन के सभी सुखों और दुःखों में समान भाग लेते हुए पति–पत्नी अर्द्धांगी कहलाते हैं।विवाह में दो आत्माओं का सम्मिलित

होता है, इसलिए हिन्दुओं में विवाह–विच्छेद के न तो अधिक उदाहरण ही प्राप्त होते हैं और न ही सूत्रों एवं स्मृतियों ने इसके लिए नियम प्रस्तुत किए है। व्यभिचार जैसे दोषों से भी विवाह विच्छिन्न नहीं हो पाता।

विवाह–विच्छेद को यदि हम वैदिक साहित्य से खोजना प्रारम्भ करें तो भी निराश ही प्राप्त होती हैं। ऋग्वेद में विवाह सूत्र के मन्त्र विकार के पवित्र और शोभनीय रूप को प्रस्तुत करने के साथ ही विवाह सम्बन्ध को अविच्छेद्य बताते हैं। अनेक मन्त्रों में प्रार्थना की गई है कि यह विवाह सम्बन्धी वृद्धावस्था पर्यन्त आजीवन चलता रहे। इस प्रार्थना एवं कामना से यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक ऋषियों ने विवाह–विच्छेद की कल्पना हीं नहीं की थी।

मनु ने पुरातन प्रजापति धर्म को साक्षी करते हुए लिखा है कि, ''न तो बेचने से और न ही त्याग करने से पत्नी पति से विमुक्त हो सकती है।'' जो पत्नी पति को प्यार न करती हो वरन् उससे द्वेष करती है, ऐसी पत्नी को भी बिल्कुल नहीं त्यागा जा सकता। ''पति से द्वेष करने वाली स्त्री की एक वर्ष तक (द्वेष त्याग के लिए) प्रतीक्षा करे, उसके बाद अपने आभूषण आदि लेकर उससे सहवास का परित्याग

करे।'' मनु के इस कथन से स्पष्ट होता है कि विवाह के उपरान्त पति–पत्नी में विवाह–विच्छेद नहीं हो सकता था।

सूत्रकारों में विवाह–विच्छेद न प्राप्त होकर अधिवेशन प्राप्त होता है। अधिवेशन का तात्पर्य हैं – एक पत्नी के रहते दूसरी पत्नी ले आना। यदि पत्नी सुरापान करने वाली, रोगी, धूर्त, बंध्या, धन नष्ट करने वाली, अप्रियवादिनी, केवल पुत्रियों को जन्म देने वाली अथवा पति से द्वेष करने वाली हो तो याज्ञवल्क्य ने पति को दूसरा विवाह कर लेने का प्रकार भरण–पोषण करना होता था। व्यास ने याज्ञवल्क्य के समान ही अधिवेशन की अनुमति देते हुए भी पहली पत्नी के उचित पालन की आज्ञा दी है। बौधायन ने भी एक सीमा निर्धारित करते हुए अधिवेशन की अनुमति दी है–

मनु ने एक स्थल पर वाग्दत्ता कन्या के त्याग का विधान किया है, किन्तु उसमें भी मनु ने दो शर्तें रखी हैं – यदि पिता ने कन्या के विभिन्न दोषों को बताए बिना ही वरदान कर दिया हो तो ऐसी दोषी कन्या को सप्तपदों से पूर्व ही त्याग देने वाला व्यक्ति दोषी नहीं होता। विवाह विधि के अन्तर्गत विवाह पूर्ण तभी माना जाता है जब सप्तपदी हो जाए। अतः सप्तपदी से पूर्व पति वाग्दत्ता कन्या को त्याग सकता है, यदि कन्या के पिता ने पहले ही उस कन्या के दोष न बता दिए हों।

इससे स्वाभाविक निष्कर्ष यही प्राप्त होता है कि यदि पिता ने कन्या के दोष बताकर वाग्दान किया था, तो सप्तपदी से पूर्व पति कन्या को त्याग नहीं सकता और यदि सप्तपदी हो जाए, तो किसी प्रकार विवाह–विच्छिन नहीं किया जा सकता।

आज समाज में महिलाओं को विवाह–विच्देद की स्वतंत्रता सभी समाजों में समान न होने के परिणामस्वरूप अनेक दोष पैदा हो गए हैं। ये दोष तभी मिटाए जा सकता हैं, जब हम विवाह–विच्छेद के औचित्य को स्वीकार करें। विवाह–विच्छेद की आवश्यकता या औचित्य के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं –

1. महिलाओं की उन्नत दशा के लिए – वर्तमान समानता के युग में स्त्री एवं पुरूष दोनों को सभी क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त हैं तो ऐसी स्थिति में पुरूषों के पास विवाह–विच्छेद का विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए।

2. स्त्री–पुरूषों के समान अधिकार के लिए – आज जबकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी विषयों में स्त्री और पुरूषों में समानता का सिद्धान्त ही प्रगति की कसौटी है, तब अगर हिन्दू समाज को भी प्रगतिवादी होना है तो यह आवश्यक है कि विवाह के सम्बन्ध में स्त्री–पुरूषों में समानता को अपनाया जाए, न कि सामाजिक, धार्मिक

और नैतिक कानूनों का एक ऐसा बोझ महिलाओं पर लाद दिए जाए कि वे अपनी स्वतंत्र सत्ता को उपलब्ध करना ही भूल जाएं। इस दृष्टिकोण से विवाह–विच्छेद नितान्त उचित है।

3. वैवाहिक जीवन को सुख बनाने के लिए – हिन्दू समाज के वैवाहिक जीवन में सामाजिक और धार्मिक कानूनों का ऐसा जाल बिछा है जिसमें रहकर हिन्दू स्त्री दुःखी जीवन को सुखी बनाने की बात सोच भी नहीं सकती। चाहे पति अत्याचारी, शराबी, जुआरी, चोर, भ्रष्टाचारी ही क्यों न हो, पत्नी को उसी परिवार में जीवन व्यतीत करना होगा। उसके लिए इन परिस्थितियों से छुटकारा पाने की कोई सम्भावना नहीं है। यह वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने की दृष्टिकोण से अनुचित है।

4. विवाह–विच्छेद गतिशील समाज में आवश्यकता है – वर्तमान युग में नवीन आविष्कारों, औद्योगिीकरण एवं नगरीकरण के फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तन की गति तीव्र हो गई है। भारतवर्ष में औद्योगिकरण और नगरीकरण के फलस्वरूप ऐसी अवस्थाएं हो गई हैं कि सभी सामाजिक संस्थाओं और अवस्थाओं में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं। इस अवस्था में यदि विवाह जैसी महत्वपूर्ण संस्था अपरिवर्तनीय बनी रहेगी तो सामाजिक विघटन उत्पन्न हो सकता है। इस दृष्टिकोण से भी विवाह–विच्छेद को आवश्यकता माना जा सकता है।

विधवाओं की समस्याएं

हिन्दू विवाह की समस्याओं में विधवा की समस्या अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। हिन्दू समाज में आरम्भ से ही विधवाओं की स्थिति अत्यन्त दयनीय रही है। पति के मर जाने के बाद स्त्री को जीवित रहते हुए लगभग मृतक के समान जीवन व्यतीत करना पड़ता है। हिन्दू समाज में एक विधवा को जीवित रहने का अधिकार तो दिया गया है, परन्तु उसे जीने के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। विधवा होने के कारण ही उन्हें जीवन के समस्त सुखों से वंचित रखा गया है। बाल विवाह के कारण अनेक कन्याएं बाल्यावस्था से ही विधवा हो जाया करती हैं एवं उन्हें जो वैध्व्य का अर्थ भी नहीं जानती, जीवन–पर्यन्त विधवा का जीवन बिताने के लिए बाध्य किया जाता है। हिन्दू साज में विधवा के लिए सामान्य वस्त्र, श्रृंगार एवं साथ–साथ सिर के बाल तक से वंचित रखा गया है। 1937 से पहले तक तो विधवा को अपने पति की सम्पत्ति में से हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। इसी से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हिन्दू समाज व्यवस्था में विधवा की स्थिति कितनी निम्न, दयनीय एवं अमानवीय है। भारतीय समाज में आरम्भ से ही विधवा–विवाह के कुछ उल्लेख मिलते हैं। वैदिक साहित्य में नियोग के अतिरिक्त विधवा–विवाह के कुछ उल्लेख मिलते हैं।

वैदिक साहित्य में नियोग के अतिरिक्त विधवा–विवाह के कुछ उल्लेख मिलते है।

नियोग की तुलना मे समाज में विधवा–विवाह कम प्रचलित था। नियोग द्वारा विधवा तीन पुत्र प्राप्त कर सकती थी और नियोग की मान्यता वास्तव में पुनर्विवाह का है। अथर्ववेद में सबसे पहले विधवा–विवाह के स्पष्ट संकेत मिलते है।

स्त्री के पुनर्विवाह के अनेक उदाहरण बौद्ध साहित्य में मिलते हैं। उच्चांग जातक में कथन है कि स्त्री सुगमतापर्वूक द्वितीय पति की प्राप्ति कर सकती है। नन्द जातक में एक पति भयभीत है कि उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी पत्नी पुनर्विवाह कर लेगी और ऐसी परिस्थिति में उसके पुत्र को कुछ भी सम्पत्ति प्राप्त नहीं हो सकेगी। वैसंवर जातक में अपनी मृत्यु के पहले ही पति अपनी पत्नी को पुनर्विवाह के लिए परामर्श देता है, जिससे उसकी युवावस्था नष्ट न हो।

लगभग ई. पू. 300 से 200 ई. तक विधवा–विवाह का प्रचलन कम होने लगा और उसे बुरी दृष्टि से देखा जाने लगा। अंगुत्तर निकाया में महिला मृत्यु शैय्या पर पड़े अपने पति से यह प्रतिज्ञा करती है ि कवह उसकी मृत्यु के पश्चात् पुनर्विवाह नहीं करेगी। संन्यास विधरधारा के प्रभाव से विधवा–विवाह के प्रति विरोध 200 ई. के पश्चात्

लगातार बढ़ता जा रहा था। विष्णु विधवा के लिए ब्रह्मचर्य उचित बतलाता है तथा मनु का कथन है कि अपने पति की मृत्यु के पश्चात् विधवा को पुनर्विवाह के लिए भी अनुमति दे देता है। पाराशर स्मृति का भी यही मत है। नारद स्मृति में परस्पर विरोधी उल्लेख मिलने का कारण यह है कि ब्राह्मणों में यह प्रथा अलोकप्रिय होती जा रही थी, किन्तु अन्य वर्णों में यह प्रचलित थी। सम्राट चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात् उसकी विधवा पत्नी से विवाह किया था।

इस काल के विधवा विरोधी बाल–विधवा के पुनर्विवाह के विरोध में नहीं थे 'महाभारत' के अनुसार बाल–विधवा के पुनर्विवाह को बुरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। उसके भी पुत्रों को देवताओं और पूर्वजों को उपहार देने का अधिकार है। प्रारम्भिक धर्मशास्त्र के लेखकों ने बाल–विधवा के प्रति उदारता का दृष्टिकोण अपनाया। वशिष्ठ का कथन है कि यदि केवल विवाह संस्कार ही हुआ है और दम्पत्ति में समागम नहीं हुआ है तो कन्या का पुनर्विवाह कर देना चाहिए। बौधायन का भी यही मत है।

विधवा को अशुभ तथ पापिनी नहीं माना जाता था। इसका प्रमाण रामायण के इसी प्रसंग में मिलता है कि राजतिलक पर राम को उनकी

विधवा माताओं ने ही सजाया था। कुन्ती ने द्रौपदी के विवाह पर आशीर्वाद दिया था। विधवा स्त्री स्वयं को अवश्य ही निःसहाय महसूस करती थी। जब मन्दोदरी का पुत्र मारा गया तो उसे आघात लगा था, परन्तु जब अपने पति रावण की मृत्यु की सूचना उसे मिली तब ऐसा लगा जैसे उसकी ही हत्या कर दी गई हो। उस युग में ऐसा अन्धविश्वास था कि स्त्रियां वैधव्य को पूर्वजन्म का पाप–फल समझती थी। साधारणतः स्त्रियां पति की मृत्योपरान्त विलाप करती थीं, किन्तु क्षत्राणियां रणक्षेत्र में पति के वीर–गति प्राप्त करने पर संयमित रहती थी।

महिलाएं शव–यात्रा में भाग लेती थीं। क्रिया–कर्म के पश्चात् महिलाएं तर्पण भी करती थी। विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह पर यद्यपि बन्धन नहीं था, फिर भी पुनर्विवाह के उदाहरण बहुत कम मिलते है। महाभारत में 'पुनर्भु', 'पुरपूर्वा', एवं 'अन्यपूर्वा' आदि शब्द पुनर्विवाह के ही सांकेतिक शब्द हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रथा शनैः–शनैः विगलित हो रही थी। शान्ति पर्व में विधवा स्त्री का देवर से विवाह करने का वर्णन मिलता है। राक्षसों एवं वानरों में इस प्रथा का पर्याप्त चलन था। शूर्पणखा एवं तारा वैधव्य प्राप्त होने पर पुनः विवाह करने को उत्सुक दिखाई पड़ती है।

लेकिन जो खिड़कियां खोल सकता है, वह दरवाजे भी खोज लेता है। पिछले दो दशकों से दृश्य पलटने लगा। वह औरत के अनुकूल माने जाने वाले संस्थानों में ही थमी न रह सकी, आगे बढ़ने लगी। श्रम और उत्पादन में भागीदारी करने हाट–बाजार तक चली आयी, जिसके लिए उसने कभी झिझकते हुए तो कभी बेधड़क उन्हीं द्वारों का उपयोग किया, जिससें पुरूष प्रवेश करता है। जाहिर है प्रतिद्वंद्वि मौन नहीं रह गया, न उसने हार ही मानी। बल्कि स्त्री के पांवों की सरसराहट उसके तन–मन की सनसनाहट बनायी। सयाने लोग भौंहे सिकोड़कर चौकन्ने हुए तो कुछ जवान बूढ़ों के दिल मचल उठे। ये बातें पुरूष वर्चस्व के हीले आयी, जो परम्परा और मानसिकता का खुलासा करने लगी। परम्परा कहती है – आगे मत बढ़ो, अपनी औकात में रहो। और पुरूष मानसिकता स्त्री को उपभोग की वस्तु मानकर धन–दौलत की तरह बार–बार प्राप्त करने की लालसा रखता है। कैसी अद्‌भुत स्थिति है, जिसमें स्त्री अपने आपको गतिशील रखना चाहती है और पुरूष उसके व्यवहार को बेपर्दगी के खाते में डालकर खुद पर से नियंत्रण खोले लगता है। 'घर में कैद रहो या हमारी शिकार बनो' की चुनौती देता रहता है।

मूल बात यह है कि नैतिकता और शालीन व्यवहारों का बयान करने वालों, आदमी की सुरक्षा की एवज आजीविका कमाने वालों और समाज के गुणी मुनि माने जाने वालों का नैतिक पतन दीवालियेपन की हद तक हो गया है। इस बात को सभी ने बाकायदा समझा है और बखूबी जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होने की बात को अपनाया है। अब पुरूष वर्चस्व महिला आंदोलनों जैसे सामूहिक संघर्षों को गम्भीरता से नहीं लेना चाहता तो यह भी उसका पूर्वाग्रह ही है। मगर समझा यूं भी जा सकता है कि स्त्रियों की ओर से यह जद्दोजहद, गाहे–बगाहे का हो हल्ला या नारेबाजी न होकर संघर्ष बने।

19 वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही कुछ चिंतनशील व्यक्तियों जैसे राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वत, केशव चंद्र सेन, ऐनीबेसेन्ट, महर्षि कर्वे आदि ने भारतीय समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति पर विचार करना प्रारंभ कर दिया था। कई महापुरूषों ने समाज सुधार के आंदोलनों का संचालन कर स्त्रियों की स्थिति को ऊँचा उठाने का प्रयत्न किया। राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और आपके प्रयत्नों से ही 1829 में सती प्रथा निरोधक अधिनियम बना। राय ने बाल विवाह को समाप्त तथा विधवा

पुनर्विवाह को प्रचलित कराने के पक्ष में जनमत तैयार किया । स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने तथा बाल विवाह और पर्दा प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रयास किए। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बहुपत्नी विवाह एवं विधवा पुनर्विवाह निषेध का विरोध किया और आपके प्रयत्नों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना। महर्षि कर्वे ने भी विधवा पुनर्विवाह एवं स्त्री शिक्षा के लिए प्रयास किए। केशवचंद्र सेन के प्रयासों से 1872 में विशेष विवाह अधिनियम बना जिसने विधवा पुनर्विवाह एवं अंतर्जातीय विवाह को मान्यता प्रदान की। इस शताब्दी में कई महिलाओं एवं स्त्री संगठनों ने स्त्रियों को अधिकार दिलाने एवं उनमें जागृति लाने के प्रयत्न किए रमाबाई, रानाडे, मैडम कामा, तोरदत्त, मारग्रेट नोबल तथा ऐनीबेसेन्ट आदि महिलाओं तथा 'अखिल भारतीय महिला सम्मेलन', 'भारतीय महिला समिति', 'विश्वविद्यालय महिला संघ', 'अखिल भारतीय स्त्री–शिक्षा संस्था', 'कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट' आदि स्त्री संगठनों ने भी स्त्रियों की निर्योग्यताओं को कम करने एवं उनकी स्थिति को सुधारने के प्रयत्न किए। महात्मा गाँधी स्त्री–पुरूषों की समानता के समर्थक थे। ''गाँधी जी का महिलाओं की बराबरी संबंधी दृष्टिकोण हिंदू धर्म और पितृसत्ता की सोच से ज्यादा अलग नही था। वे महिलाओं को पुरूषों का पूरक

और त्याग तथा पीडा की साक्षात् प्रतिमा मानते थे। 1921 में उन्होनें कहा ''पुरूषों की नजरों में महिलाएं कमजोर नहीं हैं वरन् दोनों लिंगों में ज्यादा श्रेष्ठ इसलिए हैं कि आज भी वे त्याग, खामोश, पीडा, नम्रता, विश्वास तथा ज्ञान की साक्षात् प्रतिमा हैं।'' गांधी ने महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया हैं।

विदेशों में नारीवादी आंदोलन के रूप में 1970 के दशक में नई लहर उठी जो नारी को उसकी हकदारी बिना रोक टोक दिलाना चाहती है जिसमें वाल्स्टनक्राफ्ट, मेरियट, शीला रोबाथम प्रमुख है। इनके विचार भी आधुनिक सुधारों के बहुत बड़े प्रेरणा स्त्रोत है।

स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार की ओर से गांवों में महिला मण्डलों की स्थापना हुई। ये मण्डल आंदोलन, प्रचार द्वारा महिलाओं में जागृति लाने, महिला हिंसा का विरोध करने, जरूरतमंद महिलाओं को कामकाज प्रदान करने, शिक्षा सुविधाएं बढवाने का कार्य कर रहे हैं। भारत में महिला संगठनों ने प्रमुख रूप से दहेज, जाति प्रथा, साम्प्रदायिक झगडे तथा आदिवासी महिलाओं की समस्याओं पर अधिक ध्यान दिया। इसके साथ ही इन संगठनों ने श्रमिक महिला, महिलाओं से छेडछाड, बलात्कार तथा दहेज विरोधी मुद्दों पर भी संघर्ष किया हैं। 1975 में महिला संगठनों ने महिला समस्या के अध्ययन पर जोर दिया।

परिणामस्वरूप आज विभिन्न विश्वविद्यालयों व अन्य संस्थाओं में महिला समस्याओं पर शोध कार्य किए जा रहे हैं। 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया हैं। राजस्थान में वर्ष 1999 में महिला आयोग बना। पिछले बीस वर्षों में राष्ट्रीय आयोग व 14 वर्ष के राज्य आयोग के संयुक्त प्रयास काफी प्रभावी हुये है।

जब स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार हुआ तो वे परम्परागत बंधनों, रूढिवादिता व धर्मान्धता से मुक्त हुई। जिन सामाजिक कुरीतियों को वे सीने से चिपकाएं हुई थी उन्हें त्याग उनमें तर्क और विवेक जागा और ज्ञान के द्वार खुले। आधुनिक शिक्षा प्राप्त स्त्रियां बंधन से मुक्ति चाहती हैं, पुरूषों की दासता को अस्वीकार नहीं करती और वे स्वतंत्रता तथा समानता की पोषक है। शिक्षा ने स्त्रियों को अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक बनाया। आज बहुत सी लड़कियां विभिन्न महाविद्यालयों में स्नातकीय और स्नातकोत्तर कक्षाओं में सभी विषयों में पढाई कर रही हैं। आज कला और विज्ञान के साथ–साथ लडकियों को गृह विज्ञान, हस्तकला, शिल्पकला और संगीत की शिक्षा प्राप्त करने की सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेडिकल कॉलेज एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में लडकियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही हैं। शिक्षा के प्रसार के कारण महिलाओं को बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि कुरीतियों से छुटकारा मिल गया हैं।

आज महिलाओं ने समाज कल्याण एवं महिला कल्याण में सुचारू रूप से व्यापक तौर पर हिस्सा लेना प्रारंभ कर दिया हैं। न सिर्फ विश्वविद्यालयों की परीक्षा में अपितु अखिल भारतीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करके उन्होने यह सिद्ध कर दिया हैं कि उनका मानसिक स्तर पुरूषों से किसी प्रकार भी कम नहीं हैं।

इसी प्रकार सरकार ने स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए अनेक कानूनी व संवैधानिक कदम उठाए हैं। इनमें प्रमुख है – मूल अधिकार की संवैधानिक व्यवस्था, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 तथा 1976 में किया गया संशोधन, दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में किया गया संशोधन, बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 1978 आदि। सरकार ने स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए और भी अनेक अधिनियम पारित किए है, जैसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, स्त्रियों व कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 तथा अशिष्ट निरूपण निषेध 1987, विधवा विवाह अधिनियम, गर्भपात अधिनियम, सती प्रतिबंधनात्मक कानून 1929, वेश्यावृत्ति प्रतिबंधनात्मक कानून, सर्वोच्च न्यायालय का महिला यौन उत्पीडन संबंधी आदेश आदि। इस प्रकार कानूनी व संवैधानिक प्रावधानों का प्रभाव भारत में हिंदू स्त्री की सामाजिक व

राजनैतिक स्थिति पर स्पष्ट रूप से पडा हैं। इसी के साथ अनेक कानूनीं व्यवस्थाएं की गई जिससे महिलाएं और आगे बढ सके। शिशु–गृहों की व्यवस्था, समान वेतन अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, वीमेन्स डवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई, जिसका कार्य महिलाओं को प्रशिक्षण, ऋण और बाजार की सुविधाएं दिलवाना हैं। इसका उद्देश्य कानूनों की पुनरीक्षा, कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति अत्याचारों एवं सामाजिक उत्पीडन की विशिष्ट व्यक्तिगत शिकायतों में हस्तक्षेप और इसकी सुधारात्मक कार्यवाही का सुझाव देकर महिलाओं के अधिकारों एवं हितों की रक्षा करना हैं। वर्ष 2013 में कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन निषेध अधिनियम, आपराधिक कानून संहिता संशेधन, निर्भया फंड, महिला बैंक आदि नवीनतम प्रयास है।

औद्योगिकीकरण के कारण महिलाओं की पुरूषों पर आर्थिक निर्भरता कम हुई, वे स्वयं कारखानों में काम करने लगी, इससे उनमे आत्म विश्वास जागा, आत्म निर्भरता पैदा हुई और पुरूषों की दासता व निर्भरता समाप्त हुई। नगरों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पायी जाती है, इस कारण वहां प्रेम–विवाह, अंतर्जातीय विवाह तथा विधवा विवाह को बुरा नहीं माना जाता। नगरों में स्त्रियों को शिक्षा के क्षेत्र में अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। वे वहां राजनीतिक जीवन में भी भाग लेती हैं।

औद्योगिकीकरण एवं आधुनिकीकरण ने स्त्रियों की आर्थिक निर्भरता को कम करने और उनकी स्थिति को उन्नत करने में योगदान दिया हैं। औद्योगिकीकरण एवं बाजार वाली अर्थव्यवस्था के परिवार के आर्थिक कार्य विशेषीकृत संस्थाओं द्वारा किए जाने लगे हैं। परिणामस्वरूप स्त्री के पारिवारिक कार्यो का भार कम हुआ हैं। शिक्षा के व्यापक प्रसार, नई–नई वस्तुओं के आकर्षण, उच्च जीवन स्तर बिताने की बलवती इच्छा तथा नौकरी या आर्थिक दृष्टि से कोई न कोई कार्य करने के लिए प्रेरित किया। 20 वीं शताब्दी ने महिलाओं के लिए व्यवसाय के अनेक अवसर प्रदान किए हैं। अब वे भारतीय विदेश सेवा, भारतीय प्रशासन सेवा तथा दूसरी केन्द्रीय व राज्य स्तरीय सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं। टेलीफोन, टंकण लिपिक, कम्प्यूटर, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, समाज कल्याण, बैंक आदि में महिलाओं की संख्या दिन पर दिन बढती जा रही हैं। इससे महिलाओं की आर्थिक जगत् में स्थान बढता जा रहा हैं।

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद स्त्रियों की राजनीतिक चेतना में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई हैं। पार्लियामेंट और विधान मण्डलों में स्त्री प्रतिनिधियों की संख्या और विभिन्न गतिविधियों में उसकी सहभागिता, राज्यपाल, मंत्री, प्रधानमंत्री यहां तक कि राष्ट्रपति के रूप में उनकी

भूमिकाओं से यह स्पष्ट हैं कि इस देश में महिलाओं में राजनीतिक चेतना दिनोंदिन बढती जा रही हैं। साथ ही सामाजिक चेतना में भी वृद्धि हुई हैं। अब महिलाएं पर्दा प्रथा को बेकार समझने लगी हैं। आज बहुत सी स्त्रियां घर की चारदीवारी से बाहर निकल कर पुरूषों के साथ कंधें से कंधा मिलाकर कार्य करने लगी हैं। आजकल स्त्रियों के विचारों एवं दृष्टिकोण में शिक्षा के कारण परिवर्तन आया हैं अब वे अंतर्जातीय विवाह, प्रेम विवाह और विलम्ब विवाह को अच्छा समझने लगी हैं। जातीय नियमों के प्रति उनकी भी नफरत लगातार बढती जा रही हैं। आज अनेक स्त्रियां महिला संगठनों और क्लबों की सदस्य हैं। कई महिलाएं समाज कल्याण कार्यो में लगी हुई हैं। यह परिवर्तन उनकी उच्च सामाजिक स्थिति का प्रतीक हैं। महिलाओं के पारिवारिक अधिकारों में भी वृद्धि हुई हैं। वर्तमान में महिलाएं संयुक्त परिवार के बंधनों से मुक्त होकर एकाकी या मूल परिवार में रहना चाहती हैं। वे मूल परिवारों की स्थापना कर स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना और पारिवारिक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जानती हैं। अब कुछ बच्चों की शिक्षा, परिवार की आय के उपयोग, पारिवारिक अनुष्ठानों की व्यवस्था और घर के प्रबंध व स्त्रियों की इच्छा को विशेष महत्व दिया जाता हैं।

हम जनसंख्या समंकों पर दृष्टि डालें तो पाते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट में जहां ''पुरूषों की साक्षरता दर 80.90 प्रतिशत है वहीं महिलाओं की साक्षरता दर मात्र 64.60 प्रतिशत है। राजस्थान पुरूषों की साक्षरता 79.9 प्रतिशत है वहीं महिलाओं की साक्षरता 20.10 प्रतिशत है।'' इस प्रकार महिलाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़े बिना किसी भी क्षेत्र, राज्य, समाज का देश के आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय एवं राजनीतिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। फ्रांस के किसी आदमी ने कहा था कि ''किसी देश की स्थिति को देखने का श्रेष्ठ उपाय उस देश की स्त्रियों की स्थिति का पता लगाता है।'' मेरे विचार में यह ठीक है। भूतकाल के कई उदाहरणों के बाद भी यह कहना सत्य होगा कि भारत में पिछले सैकड़ों वर्षों से महिलाओं की स्थिति कानूनी सामाजिक या सार्वजनिक जीवन में किसी भी दृष्टिकोण से अच्छी नहीं रही। हाल ही के वर्षों में राजनैतिक व मानवीय गतिविधियों के अन्य क्षेत्रों में उन्होंने प्रगति की है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी संसद ने भी हाल ही में कुछ विधान पारित किये है, जिन्होंने महिलाओं को कानूनी रूप से कई बन्धनों से मुक्ति दे दी है, तथा इस प्रकार स्त्रियों की स्थिति को अच्छी बनाने में मदद पहुंचाई है फिर भी अभी कई बाधाएं है जिन्हें दूर करना है।'' स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद

महिलाओं के उत्थान एवं विकास के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए, तमाम प्रकार के कानूनी अधिकार प्रदान किये गए जिनसे महिलाएं समाज में सुरक्षित तथा अधिकार संमन्न बनी रहें। वर्तमान समय में देश की संसद एवं विधानसभाओं में महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व देने के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का विधेयक लम्बित है कुछ राजनैतिक पार्टियां इसके पक्ष में थी तो कुछ इसका विरोध कर रहीं थी। भारतीय संविधान का भाग 3, अनुच्छेद 15 नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करते हुए लिंग, जाति, धर्म, भाषा, नस्ल, क्षेत्र आदि के आधार पर भेदभाव को नकारता है और सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक रूप से पिछड़े वर्गों विशेषतः महिलाओं, बच्चों तथा श्रमिकों को समुचित संरक्षण प्रदान करने का निर्देश देता है लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के 66 वर्षों बाद भी हम समाज में व्याप्त इस भेदभाव को मिटाकर समानता लाने में असफल रहे हैं।

राजस्थान में महिलाओं की भूमिका यहां के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश में महत्वपूर्ण होने के कारण उनके उन्नयन की और विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

अधिकांश राजस्थान में पुरूष वर्ग अप्रवास कर मैदानी क्षेत्रों में रहते है। गांवों में उनक घर–परिवार की सारी जिम्मेदारी महिलाओं को

ही निभानी पड़ती है। ऐसी दशा में महिलाओं की शिक्षा के संदर्भ को अछूता नहीं छोड़ा जा सकता।

हांलाकि राजस्थान में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव जैसे पदों पर महिलायें पदासीन हुयी और हैं लेकिन फिर भी महिलाओं की स्थिति दयनीय है।

शिक्षा मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार है। शिक्षा के आधार पर व्यक्ति में दक्षता, ज्ञान, कौशल तथा क्षमताओं का विकास होता है। इन गुणों से व्यक्ति में परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप ढ़लने की शक्ति तथा लचीलापन उत्पन्न होता हैं। शिक्षा समाज में व्यापक और सूक्ष्म आर्थिक परिवर्तनों का प्रभावशाली माध्यम है। विशेषरूप से मजबूत लोकतंत्र में राष्ट्रीय एकता, सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन तथा न्यायसंगत समाज की स्थापना के लिए शिक्षा का प्रसार आवश्यक है। राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में समुचित योगदान के लिए प्रत्येक नागरिक का शिक्षित होना अनिवार्य है। शिक्षा के माध्यम से वांछित परिवर्तनों को लाया जा सकता है। राजस्थानवासियों, विशेष रूप से महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता और उत्तरदायित्व की भावना के लिए भी शिक्षा आवश्यक प्रतीत होती है। चाहे किसी भी क्षेत्र की महिलाएं हों, साक्षरता उनके जीवन के संतुलित विकास के लिए आवश्यक है। लेकिन

राजस्थान की महिलाओं के साथ यह तथ्य अधिक महत्वपूर्ण तथा प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि राजस्थान की सामाजिक–आर्थिक संरचना में महिलाओं का अतुलनीय योगदान है और राजस्थान महिला साक्षरता में केवल बिहार से ऊपर है किसी समाज अथवा क्षेत्र का विकास तभी संभव है जबकि विकास एवं नियोजन के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी की समुचित व्यवस्था हो। वर्तमान सामाजिक–आर्थिक परिवेश में आवश्यकता इस बात की है कि ग्रामीण महिलाओं में आत्मशक्ति और आत्मविकास उत्पन्न करके उन्हें जागरूक नागरिक अथवा आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाया जाए। किन्तु जब तक महिलाओं को साक्षर नहीं बनाया जा सकेगा तब तक उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं बनाया जा सकता। ''नारी–वर्ग में अशिक्षा ही सम्भवः उनकी अशक्तता के लिए जिम्मेदार है और उनकी अशक्तता ही भारतीय समाज की अशक्तता के लिए जिम्मेदार है।'' राजस्थान में पुरूष तथा महिला साक्षरता का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि महिला साक्षरता की स्थिति अभी भी सोचनीय है। ''निरक्षरता के के अभिशाप से ग्रस्त अतीत की ऊर्जस्विनी नारी आज शक्तिहीन एवं दयनीय है। निरक्षरता एवं अपने अधिकारों से अपरिचय के कारण वह शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से शोषित है, पुरूष के समकक्ष श्रमशील एवं

कर्मठ होने के बावजूद दलित एवं उपेक्षित है। जरूरत है पिछड़े क्षेत्रों में नारी शिक्षा के प्रचार–प्रसार एवं उसके समग्र उत्थान की।'' यदि हम राजस्थान के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की स्थिति का अवलोकन करें तो पाऐंगे कि उनके द्वारा समाज में किए जाने वाले कार्य नगण्य एवं गौण समझे जाते है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल, विद्युत आदि बुनियादी आवश्यकताओं के लिए यहां की महिलाएं मोहताज है।

महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग और केन्द्र प्रायोजित, राज्य सरकार के कार्यक्रमों, प्रयासों को पिछले दशकों में आवश्यक तेजी मिली है राजस्थान सरकार के 2009 के सात सूत्री कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण पुरस्कार (1996 से), वर्ष 2000 की महिला नीति, जननी सुरक्षा योजना (2005), 2005 से जेंडर बजरिंग, वर्ष 2008 में महिला वित्तीय सशक्तिकरण एवम् नारी समृद्धि योजना, 1996 से शुरू हुये सामूहिक विवाह अनुदान नियमों में 2009 व 2013 में किये गये बदलाव, वर्ष 2013 में घोषित बालिका नीति नवीनतम प्रयास में 2013 से लागू महिला (अत्याचार निवारण) अध्यादेश प्रमुख है।

इतने प्रयासों के बावजूद उपयुक्त परिणाम ना मिल पाना चिंताजनक है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ. संजीव महाजन, भारतीय समाज।
2. प्रकाश नारायण नाटाणी, भारत में कन्या भ्रूण हत्या एवं महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा।
3. अल्वा मिर्डल व वायोला क्लयान, 'वीमेंस टू रोल्स'।
4. दैनिक हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, फरवरी 2004।
5. आचार्य रोहित, नारी और शिक्षा, दलित साहित्य प्रकाशन संस्था, नई दिल्ली।
6. डॉ. धर्मकीर्ति, मनु बनाम लादेन, परममित्र प्रकाशन, दिल्ली।
7. आज का सुरेख भारत, सितम्बर 2002 एवं फरवरी 2003।
8. मध्य प्रदेश के दलित।
9. दैनिक हिन्दुस्तान।
10. नवभारत टाइम्स।
11. जनसत्ता।
12. वॉयस ऑफ वीक।
13. अश्वघोष व चौथी चुनिया।

अध्याय – द्वितीय

पद्धतिशास्त्र

समाज विज्ञानों में सामाजिक यर्थाथता, सामाजिक घटनाओं और सामाजिक संबंधों की जटिलता को देखते हुए अनुसंधान की उपयोगिता को बनाए रखने के उद्देश्य से शोध प्रारूप जैसा महत्वपूर्ण चरण सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण है। समाज विज्ञानों में किसी भी अनुसंधान की वैधता उसके निष्कर्ष पर आधारित होती हैं और निष्कर्ष की विश्वसनीयता इस तथ्य पर निर्भर करती है कि उन निष्कर्षों की पुनरावृति हो सके।

सामाजिक अनुसंधान में वैधता और विश्वसनीयता के लिए नियोजन की आवश्यकता होती है। अर्थात् अनुसंधान किस प्रकार संचालित होगा इसकी पूर्ण विस्तृत रणनीति बनाना। अतः अनुसंधान के बारे में एक योजना बनाने की क्रियाविधि को शोध प्रारूप या अनुसंधान प्ररचना कहा जाता है। शोध प्रारूप प्रमुखतः अनुसंधान के लगभग समस्त पक्षों के बारे में रणनीति तैयार करने से संबंधित होता है। इसी रणनीति में अनुसंधान के उद्देश्य प्राकल्पना, शोध साधन, श्रम, समय और धन सम्मिलित होता है।

आर.एल.एकॉफ ने लिखा है कि अनुसंधान प्ररचना आने वाली परिस्थितियों में जो निर्णय लागू किए जाते हैं उनको परिस्थितियों के आने से पहले ही सोच समझकर निश्चित कर लेना योजना बनाना है। यह एक सचेत प्रक्रिया है।

शोध प्रारूप अध्ययनकर्ता को निम्नलिखित प्रश्नों के प्रति जागरूक कर उसे अध्ययन में सहायता करता है।

1. अध्ययन क्या हैं और किस प्रकार के आंकड़ों की आवश्यकता होगी?
2. अध्ययन क्यों किया जा रहा है?
3. अपेक्षित आंकड़े कहाँ मिलेंगे?
4. कहाँ किस क्षेत्र में अध्ययन किया जाएगा?
5. कितने समय में अध्ययन किया जाएगा?
6. कितनी सामग्री और कितने मामलों की आवश्यकता होगी?
7. निदर्शन क्या होगा?
8. आंकड़ों का विश्लेषण कैसे किया जाएगा?
9. आंकड़ों के एकत्रीकरण के लिए कौनसी पद्धति का उपयोग किया जाएगा?

अध्ययन के उद्देश्य

अध्ययन के उद्देश्य निम्न हैः–

1. घरेलू हिंसा का वर्तमान संदर्भ में अवधारणात्मक निरूपण करना।
2. घरेलू हिंसा कि शिकार महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक पृष्ठभूमि जानना।
3. घरेलू हिंसा से संबंधित कानूनों एवं सामाजिक प्रावधानों का ज्ञान व उनका प्रभाव जानना।
4. घरेलू हिंसा को रोकने के उपाया सुझाना।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय–

अध्ययन क्षेत्र भरतपुर जिला है, जो राजस्थान का पूर्वी भाग है। इसका अक्षांशीय विस्तार $26^0$22′ उत्तर से $30^0$12′ उत्तर तथा $76^0$53′ से $78^0$11′ पूर्वी देशान्तर है। यह समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचा है। भरतपुर जिले की कुल जनसंख्या 1330781 है। भरतपुर नगर राज्य की राजधानी जयपुर से लगभग 192 किमी व देश की राजधानी दिल्ली से 184 किमी तथा उत्तर पद्रेश के आगरा शहर से 55 किमी दूरी पर स्थिति है।

प्रस्तुत अध्ययन के लिए राजस्थान के भरतपुर शहर को समग्र मानकर उद्देश्य निर्देशन प्रणाली द्वारा 240 उत्तरदाताओं का चयन किया

जायेगा, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी की घरेलू महिलायें जिनकी आयु 20 से 45 वर्ष होगी।

भरतपुर जिला जो कि वर्तमान में राजस्थान प्रदेश का नवीनतम सातवां संभागीय मुख्यालय भी बन गया है। इसकी स्थापना महाराजा सूरजमल जाट ने 1733 ई0 में की थी। यह भारत के वृहद उत्तरी मैदान के पश्चिमी किनारे पर ट्रांस यमुना मैदान का एक भाग है। यह प्रदेश सत्रहवीं शताब्दी तक यमुना की सहायक वर्षाकालीन नदियों बांणगंगा, रूपारेल तथा गम्भीर के संगम के कारण उत्पन्न दलदली ''नम भूमि का प्राकृतिक वन क्षेत्र था। जिसे सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध और अठारहवीं सदी के पूर्वाद्ध में मेहनतकस किसान एवं अजेय योद्धाओं के कबीले जाटों ने उपजाऊ कृषि उत्पादक क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया। अतः यह क्षेत्र शीघ्र ही सघन जनसंख्या क्षेत्र में परिवर्तित होने लगा और वर्तमान में यह राजस्थान राज्य का सबसे सघन आबाद जिलों में से है।

जिले का नाम भूतपूर्व भरतपुर रियासत की राजधानी भरतपुर नगर पर रखा गया। राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित होने के कारण भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जिले के उत्तरी एवं पूर्वी सीमा पर क्रमशः उत्तर में हरियाणा का गुडगावं जिला तथा

पूर्व में उत्तर प्रदेश के मथुरा एवं आगरा जिले, दक्षिण में राजस्थान का धौलपुर जिला तथा दक्षिण पश्चिम में करौली व दौसा एवं पश्चिम में अलवर जिले की सीमा लगती है।

भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा राज्य है जिसका क्षेत्रफल 3,42,263 है लेकिन कम वर्षा, उच्च तापक्रम, उच्च वा पीकरण, पश्चिमी भाग में रेगिस्तान का प्रसार, क्षारीय पदार्थों की अधिकता, जलस्तर नीचा होने के कारण परती भूमि के विस्तार की दृष्टि से भी राज्य देश में प्रथम स्थान रखता है। यही कारण है कि राज्य में दिन प्रतिदिन कृषि क्षेत्र में गिरावट आ रही है। वर्ष 1992–93 में कृषि क्षेत्र 49.5 प्रतिशत था, जो घटकर 1995 में 48.4 प्रतिशत एवं 2002 में 46.2 एवं 2006 में 45.7 प्रतिशत रह गया है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का आधा भी नहीं है।

भरतपुर जिला राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.48 प्रतिशत भाग है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 2549121 (राजस्थान की कुल जनसंख्या का 3.71 प्रतिशत है)। जिसमें से 1357896 पुरूष व 1191225 महिला है। जिले का जनसंख्या घनत्व 503 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। भरतपुर जिले की अधिकांशतः जनसंख्या ग्रामीण है। जुलाई 2005 में भरतपुर को संभाग

का दर्जा प्रदान किया गया। जिसके अन्तर्गत भरतपुर, धौलपुर, करौली व सवाईमाधोपुर जिले है।

सामाजिक शोध

सामाजिक संबंध, सामाजिक अन्तःक्रियाएं, सामाजिक समूह, सामाजिक समस्याएं जैसे सामाजिक विषय को लेकर किये गये वैज्ञानिक अध्ययन को सामाजिक शोध कहते है।

सी.ए. मोजर के अनुसार, ''सामाजिक प्रघटनाओं एवं समस्याओं के सम्बन्ध में नीवन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित खोज ही सामाजिक अनुसंधान है।''

श्रीमती पी.वी. यंग के अनुसार, ''सामाजिक अनुसंधान को ऐसे वैज्ञानिक प्रयत्न के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य तार्किक एवं क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नवीन तथ्यों की खोज तथा पुराने तथ्यों की परीक्षा और सत्यापन, उनके गुणों, पारस्परिक सम्बन्धों, कार्यकारण की धारणा एवं उन्हें संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना है।''

बोगार्डस के अनुसार, ''साहचर्य में अर्थात् एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अन्तर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ही सामाजिक अनुसंधान है।'

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक अनुसंधान एक वैज्ञानिक प्रयत्न, सुनिश्चित कार्य प्रणाली, परीक्षण तथा खोज है इससे सामाजिक परिस्थिति के संदर्भ में किसी विषय या समस्या के संदर्भ में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए सामाजिक यथार्थता को समझने का प्रयत्न किया जाता है तथा इसका उद्देश्य सामाजिक परिस्थितियों, सामाजिक प्रघटनाओं, समस्याओं, प्राक्कल्पना आदि से सम्बन्धित तार्किक तथा क्रमबद्ध प्रणालियों द्वारा नवीन तथ्यों की खोज तथा पुराने तथ्यों का परीक्षण और सत्यापन मालूम करके सामान्यीकरण करना है।

प्राक्कल्पना

किसी भी सिद्धान्त से जुड़ी अवधारणाओं के बीच के सम्बन्धों को अभिव्यक्त करने वाले अपरीक्षित कथन को प्राक्कल्पना कहते है।

किसी भी अनुसंधान और सर्वेक्षण की समस्या के चुनाव के बाद अनुसंधानकर्त्ता समस्या के बारे में कार्यकारण सम्बन्धों (Cause and Effect Relationship) का पूर्वानुमान लगा देता है या पूर्व चिंतन कर लेता है। यह पूर्व चिंतन या पूर्वानुमान ही प्राक्कल्पना, परिकल्पना या उपकल्पना कहलाती है।

लुण्डबर्ग के अनुसार, ''एक प्राक्कल्पना एक कामचलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है।''

गुडे एवं हॉट के अनुसार, ''प्राक्कल्पना एक ऐसी मान्यता होती है जिसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जा सकता है।''

बोगार्डस के अनुसार, ''एक प्राक्कल्पना एक प्रस्थापना है जिसका परीक्षण किया जाना है।''

पीटर एच. मन के शब्दों में, ''प्राक्कल्पना एक काम चलाऊ अनुमान है।''

अनुसंधानकर्त्ता अपनी शोध की समस्या हेतु निर्मित करता है और सत्यता की जांच करने के लिए आवश्यक सूचनाओं का संकलन करता है। एक प्राक्कल्पना विभिन्न चरों के बीच सम्बन्धों को स्थापित करती है। प्राक्कल्पना सामाजिक अनुसंधान और खोज को आधार प्रदान करती है। नवीन ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देती है।

निदर्शन

किसी भी प्रकार का अध्ययन करने से पूर्व अनुसंधानकर्त्ता को यह तय करना होता है कि वह समूह के सदस्यों से सम्पर्क स्थापित

करके तथ्यों का संकलन करेगा या उनमें से कुछ सदस्यों को प्रतिनिधि के रूप में चुनकर उनका अध्ययन करेगा।

समग्र में से कुछ ईकाईयों को अध्ययन हेतु प्रतिनिधि के रूप में चुनना निदर्शन कहलाता है। निदर्शन का प्रयोग आज से नहीं अपितु प्राचीन काल से किया जाता रहा है। निदर्शन को दैनिक जीवन में खूब प्रयोग किया जाता है। निदर्शन का प्रयोग व्यापार में भी किया जाता है जैसे व्यापारी माल खरीदते समय माल की जांच करने के लिए उसका सैम्पल लेता है और उसकी जांच करता है प्राप्त निष्कर्ष को वह पूरे माल पर लागू करता है।

गुडे एवं हॉट के अनुसार, ''एक निदर्शन जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि एक विस्तृत समूह का एक लघुत्तर प्रतिनिधि है।''

पी.वी. यंग के अनुसार, ''एक सांख्यिकीय निदर्शन सम्पूर्ण समूह अथवा योग का एक लघुकृत आकार का चित्र है जिससे कि निदर्शन लिया गया है।''

बोगार्डस के अनुसार, ''निदर्शन एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार ईकाईयों के एक समूह में से निश्चित प्रतिशत का चयन है।''

सिन पाओ यंग के अनुसार, ''एक सांख्यिकीय निदर्शन सम्पूर्ण समूह का प्रतिनिधिक अंश है।''

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि निदर्शन बहुत बड़े समूह का एक छोटा प्रतिनिधि होता है। जिसमें समूह के समस्त लक्षण विद्यमान होते है प्रतिनिधि ईकाईयों के अध्ययन द्वारा प्राप्त निष्कर्ष को समस्त समग्र अथवा समूह पर लागू किया जाता है।

निदर्शन ईकाईयों को चुनने के लिए अनेक विधियों एवं तकनीकों का प्रयोग किया जाता है अनुसंधानकर्त्ता अपने अनुसंधान में अध्ययन क्षेत्र और विषय को देखते हुए उद्देश्यपूर्ण या सविचार निदर्शन विधि का चयन किया है।

उद्देश्यपूर्ण निदर्शन

इस प्रकार के निदर्शन में अनुसंधानकर्त्ता जानबुझकर किसी विशिष्ट उद्देश्य से समग्र में से अध्ययन हेतु कुछ ईकाईयों का चुनाव करता है। तो उसे उद्देश्यपूर्ण निदर्शन कहते है। इस प्रकार के चुनाव में शोधार्थी की इच्छा, उसका निर्णय तथा उद्देश्य ही प्रधान होता है। शोधकर्त्ता के निर्णय पर आधारित होने के कारण इस विधि में समग्र को चुने जाने की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। अनुसंधान में

शोधार्थी ने इस विधि को ईकाईयों के चयन में उपयुक्त मानते हुये काम में लिया है। जिससे अनुसंधानकर्त्ता का उद्देश्य पूर्ण हो सके।

तथ्य संकलन विधि

प्राथमिक एवं द्वैतीयक विधि :– तथ्य का तात्पर्य ऐसी सभी सूचनाओं, सामग्री तथा आंकड़ों से हैं जो शोधकर्त्ता क्षेत्रीय कार्य और द्वैतीयक स्त्रोंतों के माध्यम से प्राप्त करता हैं। प्राथमिक तथ्य वे आंकड़े तथा सूचनाएँ होती हैं जिन्हें शोधकर्त्ता पहली बार अपनी शोध समस्या के समाधान हेतु संकलित करता है। ऐसे तथ्यों का संकलन शोधकर्त्ता अध्ययन की इकाइयों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संपर्क करके प्राथमिक तथ्य संकलन की किसी भी प्रविधि का प्रयोग करता हैं।

द्वैतीयक तथ्य या सामग्री के अन्तर्गत वे सभी सूचनाएं एवं सामग्री होती हैं जो पहले किसी शोधकर्त्ता या संस्था ने प्राप्त कर रखी हों तथा वे प्रकाशित या अप्रकाशित रूप में कहीं न कहीं उपलब्ध होती है। चूंकि अध्ययन समस्या में जहाँ शोधार्थी को आवश्यकता हुई तथ्यों के द्वैतीयक स्त्रोतों को भी काम में लिया गया हैं।

चयनित इकाईयों से प्राथमिक तथ्य संकलन के लिए साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। साक्षात्कार अनुसूची शोध विषय से संबंधित प्रश्नों की सूची होती है जिसे अध्ययनकर्त्ता उत्तरदाता से

साक्षात्कार की प्रक्रिया द्वारा प्रश्नों के उत्तर जानकर स्वयं भरता है। प्रस्तुत अध्ययन में शोधार्थी ने प्राथमिक तथ्य संकलन में साक्षात्कार अनुसूची विधि को काम में लिया है।

तथ्य प्राप्त करते समय अनुसंधानकर्त्ता मात्र साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से ही नहीं वरन् अवलोकन के माध्यम से भी तथ्य प्राप्त कर लेता है। अनुसंधानकर्त्ता ने इस अध्ययन में असहभागी अवलोकन का प्रयोग किया है। असहभागी अवलोकन में अध्ययन के लिए चयनित इकाइयों को यह जानकारी रहती हैं कि अनुसंधानकर्त्ता उनका अध्ययन कर रहा है।

इसे वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति पर आधारित किया जाकर, इसके माध्यम से समाजशास्त्रीय अवधारणाओं, प्रस्थापनाओं व सिद्धान्तों के सहारे तथा उपलब्ध निष्कर्षों की पृष्ठभूमि में संदर्भगत समस्या का विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसकी प्रकृति मूलतः निदानात्मक एवं समाधानात्मक है।

अवलोकन

अवलोकन का अर्थ देखना अथवा निरीक्षण करना है अवलोकन शब्द अग्रेंजी शब्द Observation का पर्याय हैं, जिसका अर्थ होता है देखना, अवलोकन करना प्रेषण करना या निरीक्षण करना, किन्तु

सामाजिक अनुसंधान की एक व्यवस्थित पद्धति के रूप में अवलोकन का अपना एक पृथक ही अर्थ है। संक्षेप में अवलोकन का अर्थ कार्य–कारण संबंधों को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं का सूक्ष्म निरीक्षण करना है।

ऑक्सफोर्ड़ कन्साइज ड़िक्सनरी में सी.ए मोजर द्वारा अवलोकन को इस प्रकार परिभाषित किया गया है ''घटनाएँ कार्य अथवा सम्बन्धों के सम्बन्ध में जिस रूप में वे उपस्थित होती हैं, का यथार्थ निरीक्षण एवं वर्णन है।''

सी.ए.मोजर के अनुसार– ''सामाजिक विज्ञानों में बहुधा इस संज्ञा का प्रयोग अधिक विस्तृत अर्थो में किया जाता है। सही अर्थो में एक सहभागिक अवलोकनकर्ता समुदाय के जीवन तथा क्रियाओं में भाग लेता हुआ, उन सब बातों का अवलोकन नहीं करता, जो उसके आस–पास घटती हैं, अपितु अवलोकित की हुई घटनाओं को वार्तालाप तथा प्रलेखों के अध्ययनों द्वारा पूर्ण बनाता है। विस्तृत अर्थो में अवलोकन की विशिष्टता इस बात से प्रकट होती है कि अपेक्षित सूचनाओं का संग्रहण अन्य व्यक्तियों की कही–सुनी बातों की अपेक्षा, प्रत्यक्ष किया जाता है। व्यक्तियों के व्यवहार के अध्ययन में भी एक

व्यक्ति यह देख सकता है कि वह क्या करता है, इसकी अपेक्षा कि वह जो कुछ करता है उसके सम्बन्ध में वह क्या कहता है?

उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि अवलोकन प्राथमिक सामग्री संकलित करने की प्रत्यक्ष एवं महत्वपूर्ण प्रविधि है। इसमें अध्ययनकर्ता घटना को देखता है, सुनता है, समझता है और सम्बन्धित सामग्री का संकलन करता है। अवलोकन के लिये अवलोकनकर्ता समूह अथवा समुदाय के दैनिक जीवन में भी भाग ले सकता है और अपनी ज्ञानेन्द्रियों का प्रयोग करता है।

साक्षात्कार निर्देशिका (Interview Guide)

गुडे एवं हाट ने साक्षात्कार निर्देशिका की परिभाषा देते हुए कहा है, ''साक्षात्कार निर्देशिका बिन्दुओं के विषय की एक सूची है जिसको अवलोकनकर्ता साक्षात्कार के समय पूर्ण करें।'' इसमें बहुत कुछ लचीलापन होता है इसमें भाषा, क्रम, पूछने के ढ़ंग में गतिशीलता होती है।

साक्षात्कार निर्देशिका अध्ययन की समस्या व पहलुओं सें संबंधित मुख्य प्रश्नों की सूची होती हैं जिसके आधार पर साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी करता है। निर्देशिका के द्वारा सभी पहलुओं से संबंधित तथ्य एकत्र करना संभव है। स्मरण शक्ति के आधार पर

संभव है कि साक्षात्कारकर्ता प्रश्नोत्तर के समय कुछ पहलुओं से संबंधित प्रश्न पूछना भूल जाए जबकि निर्देशिका की सहायता से इस गलती से बचा जा सकता है।

अनुसूची (Schedule)

सामान्य अर्थ में अनुसूची प्रश्नों की एक लिखित सूची है जो अध्ययनकर्ता द्वारा अध्ययन विषय को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। इस विधि में स्वयं अध्ययनकर्ता घर–घर जाकर अनुसूचियों द्वारा प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करता हैं। यह प्रविधि साक्षात्कार अनुसूची भी कहलाती हैं।

अनुसूची की समाजशास्त्रीय परिभाषा

समाजशास्त्रीय दृष्टि से अनुसूची को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है––

गुड्ड़े एवं हट्ट के अनुसार , 'अनुसुची उन प्रश्नों का समूह का नाम है जो साक्षात्कारकर्ता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के आमने–सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं।'

अनुसूची का महत्व

सामाजिक शोध कार्य में अनुसूची सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इस विधि के अन्तर्गत प्रश्नावली, साक्षात्कार तथा अवलोकन विधि के

गुण स्वतः ही विद्यमान रहते हैं। अनेक विद्धान अनुसूची को ऐसी प्रविधि के रूप में देखते हैं जिसका उद्देश्य साक्षात्कार अनुसूची (Interview Schedule) भी कहा जाता हैं। इस प्रविधि के सन्दर्भ में जॉर्ज लुण्ड़वर्ग ने लिखा है कि 'अनुसूची एक समय में एक तथ्य को अलग करने और इस प्रकार हमारे निरीक्षण में गहराई लाने की एक विधि हैं।'

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि अनुसूची किसी निश्चित समय में तथ्यों को पृथक करने का तरीका है जो हमारे अवलोकन को गहन बनाती हैं। अतः अनुसूची हमारे मार्गदर्शन एवं वैषयिक सूचनाएं प्राप्त करने का उत्तम साधन हैं।

साक्षात्कार अनुसूची

इस प्रकार की अनुसूची में सूचनाएं प्रत्यक्ष साक्षात्कार के द्वारा एकत्रित की जाती है इसमें निश्चित प्रश्न तथा खाली सारणियां होती है। जिन्हें साक्षात्कारकर्त्ता सूचनादाता से पूछकर भरता है।

क्रमबद्ध प्रश्नों की एक ऐसी तालिका जिसका प्रयोग प्रत्यक्ष साक्षात्कार की स्थिति में शोध सूचनाएं एकत्रित करने के लिए किया जाता है। साक्षात्कार अनुसूची कहलाती है। इस अनुसूची में उत्तर सूचनादाता से पूछकर साक्षात्कारकर्त्ता द्वारा स्वयं भरा जाता है।

इस प्रकार इस अनुसूची के माध्यम से एकत्र तथ्य वर्गीकरण एवं सारणीयन के लिए भी उपयुक्त होते है।

वैयक्तिक अध्ययन पद्धति

वैयक्तिक अध्ययन पद्धति गुणात्मक पद्धति का ही एक रूप है जिसमें किसी व्यक्ति, संस्था या समुदाय के बारे में पूर्ण एवं गहन जानकारी प्राप्त की जाती है।

बीसेन्ज एवं बीसेन्ज के अनुसार, ''वैयक्तिक अध्ययन पद्धति गुणात्मक विश्लेषण का एक रूप है जिसमें एक व्यक्ति एक परिस्थिति या संस्था का सावधानीपूर्वक तथा पूर्ण विश्लेषण किया जाता है।''

गिड़िंग्स के अनुसार, ''अध्ययन किया जाने वाला वैयक्तिक विषय केवल एक व्यक्ति अथवा उसके जीवन की एक घटना अथवा विचारपूर्ण दृष्टि से एक राष्ट्र या इतिहास का एक युग भी हो सकता है।''

पी.वी. यंग के अनुसार, ''वैयक्तिक अध्ययन पद्धति किसी एक सामाजिक ईकाई चाहे वह एक व्यक्ति, एक परिवार, एक संस्था, एक सांस्कृतिक समूह अथवा सम्पूर्ण समुदाय क्यों न हो, के जीवन की खोज तथा विश्लेषण की पद्धति है।''

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के अन्तर्गत किसी एक सामाजिक ईकाई से सम्बन्धित सभी पक्षों का व्यापक, सूक्ष्म तथा गहन अध्ययन किया जाता है अध्ययन की जाने वाली वह सामाजिक ईकाई कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था, समुदाय जाति, राष्ट्र, सांस्कृतिक क्षेत्र अथवा इतिहास का एक युग भी हो सकता है।

सारणीयन

सामाजिक अनुसंधान में अध्ययन से सम्बन्धित तथ्यों का विधिवत संकलन करने के पश्चात् उन्हें व्यवस्थित तरीके से एक तालिका के रूप में प्रदर्शित किया जाता है जिससे उसकी तुलना आसानी से की जा सके एवं सरलता से निष्कर्ष निकाला जा सके।

इस प्रकार संकलित तथ्यों को वैज्ञानिक ढ़ंग से एक सारणी के अन्तर्गत प्रदर्शित करना ही सारणीयन है।

एल्हान्स के अनुसार ''विस्तृत अर्थ में सारणीयन तथ्यों की स्तम्भों तथा पंक्तियों में क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित व्यवस्था है।''

एल.आर. कानर के अनुसार, ''सारणीयन किसी विचाराधीन समस्या को स्पष्ट करने के उद्देश्य से किया जाने वाला सांख्यिकीय तथ्यों का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित प्रस्तुतीकरण है।''

अतः निष्कर्षः यह कहा जा सकता है कि सारणीयन एक वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत स्तम्भों एवं कतारों में तथ्यों को स्पष्ट किया जाता है। जिससे की प्राप्त समंकों को सरलता से समझा जा सके तथा उनकी तुलना अधिक सुगमता से की जा सके।

संदर्भ ग्रन्थ पुस्तकें

1. Ahuja Ram, Research Methos, Rawat Publication, Jaipur, 2001
2. Ahuja Ram, Samajik Swarvekshan awam Anusandhan, Rawat Publication, Jaipur.
3. Akanf, Rasel L., Scientific Methods, John Ville & Sons, Newyork, 1962
4. Akanf, Rasel L., The Design of Social Research, Univeristy of Chikago Press, Chikago, 1961
5. Baule, A.L., Reliment of Staticstics, P. S., King and Stepals Ltd., London, 1937
6. Beli, Kennath D., Methos of Social Research, the free press, Newyork, 1982
7. Brayman, Allen, Postmortem and Social Resarch, Open University press, Bankigham, 2002
8. Burns, Robert B., Introduction to Research Methods, Sage Publication, London (4th Edition) 2000.
9. Dooley, David, Social Research Methods (3rd Edition)] Prentice Hall & India New Delhi, 1997.
10. Ejoberg G. & Nett, Methodolgy for Social Research, Rawat Publication, Jaipur.
11. Feathure, R.A., Statictical Menders for Research Works, Henfar Publication Co., Newyrok, 1958

12. Freedman, P., The Principle of Scientific Research, Prigmen Press, Newyork, 1960
13. Gopal, H.S., An Interoduction to Research Process in Social Science, Asia Publicaion House, Bombay, 1964
14. Gude Viliam and Hand Paul, Methods in Social Research, Mc'grahil, Newyork, 1952
15. Laldas, D.K., Practic of Social Research, Rawat Publication, Jaipur.
16. Millar, C. Delbert, Handbook of Research Design and Social Mejorment, Longman, Newyork, 1983
17. Sarantocos, S., Social Research, Mc'milan Press, London, 1998
18. Sharma, C.L., Samajik Anusandhan awam Sarvekshan Padhtiya, Rajasthan Hindi Granth Akadami, Jaipur.
19. Yong, P.V., Scientific Social Serve and Research, Printing Hall of Indian Pvt. Ltd., New Delhi, 1992

अध्याय तृतीय

उत्तरदाताओं की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि

प्रत्येक समाज में व्यक्ति के पद, प्रतिष्ठा एवं अधिकार सम्बन्धी मान्यताऐं उस समाज की परम्पराओं तथा सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणाओं पर आधारित होती है। इनमें व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति एवं आयु मुख्य कारक होते है। दूसरी ओर परिवार में व्यक्ति की स्थिति उसकी आयु, सम्बन्धों तथा कार्य व्यवहार पर निर्भर करती है। इस सब कारकों में व्यक्ति की आयु का विशेष महत्व होता है।

प्रस्थिति

समाज में प्रत्येक व्यक्ति की एक निश्चित प्रस्थिति और उस प्रस्थिति से सम्बन्धित भूमिका होती है। प्रस्थिति सामाजिक पद है जिसे धारण करने वाले को शक्ति और सम्मान की एक निश्चित मात्रा प्राप्त होती है। सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत किसी समय विशेष पर व्यक्ति का जो दर्जा होता है, उसके अनुसार हम उसकी प्रस्थिति को आंकते हैं जैसे जो दर्जा वृद्ध व्यक्ति को प्राचीनकाल में परिवार और समाज में मिला करता था, आज एकाकी परिवार में नहीं मिलता है। समाज में

कुछ व्यक्ति उच्च पदों पर आसीन होते है, तो कुछ व्यक्तियों को अपेक्षाकृत निम्न स्थिति प्राप्त होती है। प्रत्येक व्यक्ति समाज में प्रस्थिति के आधार पर अन्य व्यक्तियों से अन्तःक्रिया करता है। अन्तःक्रिया के समय वह समाज–सम्मत व्यवहार करता हैं। उसके व्यवहार करने के तरीके भी पूर्व–निर्धारित होते हैं कि वह किस व्यक्ति के साथ कैसा किस प्रकार का सम्बन्ध रखेगा? प्रस्थिति समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण सम्प्रत्यय है। बीयरस्टेड के अनुसार प्रस्थितियों का व्यवस्थित रूप मिलकर सम्पूर्ण समाज का निर्माण करता है, इसीलिए वे समाज को सामाजिक प्रस्थितियों का जाल कहते है। परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की प्रस्थिति होती है तथा संयुक्त परिवार मे वृद्ध व्यक्ति की प्रस्थिति उच्च होती है। वृद्ध लोगों को जो प्रस्थिति और सम्मान प्राचीन संयुक्त परिवार व्यवस्था में प्राप्त था जो स्थिति आज है, या नहीं, तथा क्या वृद्ध लोगों के सम्मान में आज कमी आयी है? इस अध्याय में यही देखने का प्रयास किया गया है।

राल्फ लिण्टन के अनुसार ''किसी सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है, वहीं उस व्यक्ति की सामाजिक प्रस्थिति हैं।''

इसी प्रकार मैकाइवर और पेज के अनुसार ''प्रस्थिति वह सामाजिक पद है जो व्यक्ति गुण और सामाजिक सेवा से पृथक व्यक्ति के आदर, प्रतिष्ठा एवं प्रभाव की मात्रा का निर्धारण करती है।

इलियट और मैरिल के अनुसार ''प्रस्थिति व्यक्ति की वह स्थिति है जिसे व्यक्ति किसी समूह में लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह या प्रयत्नों आदि के कारण प्राप्त करता है।''

किंग्सले डेविस ने 'ह्यूमन सोसायटी' पुस्तक में लिखा है कि ''प्रस्थिति किसी भी सामान्य संस्थात्मक व्यवस्था में किसी पद का सूचक है, ऐसा पद जो समाज द्वारा स्वीकृत है और जिसका निर्माण स्वतः ही हुआ है तथा जो रीतियों तथा रूढ़ियों से सम्बद्ध है।

उपर्युक्त परिभाषिक विश्लेषण के आधार पर यह कह सकते है कि प्रस्थिति से तात्पर्य स्वतः प्राप्त एवं योग्यता द्वारा अर्जित, दोनों प्रकार की प्रस्थितियों से है, जिसे किसी विशेष व्यवस्था में कोई व्यक्ति निर्दिष्ट समय में प्राप्त करता है तथा जिसके साथ शक्ति या प्रतिष्ठा की कुछ मात्रा सम्बद्ध होती है। अतः प्रस्थिति एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो समाज में व्यवस्था बनाऐ रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

प्रत्येक समाज में जीवन के लिए अनेक पक्षों का वितरण करना पड़ता हैं। कौन सा पद किस व्यक्ति को मिलेगा? इसके लिए कुछ

आधार तय करने पड़ते है, जैसे परिवार में वृद्ध व्यक्ति को उच्च स्तर पर व उससे नीचे के स्तर पर अन्य सदस्य होते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मण परिवार में जन्मा बालक जन्म से ही उच्च स्तर को प्राप्त करता हैं तथा निम्न जाति में जन्मा बालक जन्म से ही निम्न स्तर प्राप्त करता है। अतः समाज में और समाज की छोटी इकाई परिवार में लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह तथा सम्पत्ति भी प्रस्थितियों के निर्धारण के आधार है।

प्रभुत्व

प्रभुत्व में शक्ति का समावेश होता है। अतएव जब कोई अपनी इच्छाओं को दूसरों के व्यवहार पर लागू कर रहा होता है तो वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा होता है। शक्ति के बारे में वेबर ने बताया कि शक्ति इस रूप में यदि समस्त प्रकार के सामाजिक सम्बन्धों को नहीं तो कम से कम अधिकांश सामाजिक सम्बन्धों का एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। इस अर्थ में एन्थोनी गिडिन्स के शब्दों में ''कुछ मात्रा में तथा कुछ प्रस्थितियों में प्रत्येक प्रकार का सामाजिक सम्बन्ध एक शक्ति सम्बन्ध है।'' वेबर ने कहा कि मनुष्य बाजार में भाषण मंच पर, प्रीतिभोज में, खेल में और वैज्ञानिक मामलों में किसी न किसी प्रकार के सम्बन्धों में शक्ति का प्रयोग कर सकते है। मैक्स वेबर ने शक्ति को

परिभाषित करते हुए लिखा है कि ''अन्य व्यक्तियों के व्यवहार पर अपनी इच्छा को अध्यारोपित करने की संभावना को शक्ति कहते है।'' वास्तव में सामाजिक व्यवहार में आए दिन हम शक्ति की अभिव्यक्ति करते है। कई बार पति–पत्नि के सम्बन्धों में भी शक्ति का प्रदर्शन देखने को मिलता है। प्रभुत्व एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक तरफ शासक तथा दूसरी तरफ शासित होता है। लेकिन यह आवश्यक है कि शासक की संख्या शासित से कम होनी चाहिए।

जब कोई शासक पद का प्रयोग करता है तो इसका तात्पर्य यह नहीं समझना चाहिए कि इसमें राजा–महाराजा या कोई ठाकुर का पद है। इसका साधारण अर्थ यह है कि जिसके पास वैध शक्ति है वहीं स्वामी है; यानी शासक है। यह स्वामी एक स्तर पर वाइस चासंलर भी हो सकता है और एक परिवार का वृद्ध व्यक्ति भी हो सकता है। दूसरी ओर जिसे शासित कहते है, वह भी परम्परागत अर्थ में प्रजा या रैयत नहीं है। ये वे लोग हैं जो स्वामी के आदेशों का आज्ञापालन करते है। इस प्रकार अधीनस्थ सेवाओं मे लोग शासित है। इसमें यह महत्वपूर्ण बात है कि दुनियाभर में शासित समूह के लोग पूरी व्यक्तिगत निष्ठा के साथ स्वामी के आदेशों का आज्ञापालन करते है। यहाँ यह कहना उचित होगा कि जहाँ प्रभुत्व होता है वहीं उसमें शक्ति का समावेश अनिवार्य

रूप से समाहित होता है और जिस दिन शासित प्राधिकार सम्बन्धों की इस वैद्यता को स्वीकार नहीं करते, उसी दिन शासक का प्रभुत्व समाप्त हो जाता है।

जब शासित नहीं होते तो शासक का अस्तित्व नहीं रहता है। यदि शासित है और वे शासक के आदेश को मानते है तो निश्चित रूप से उनके सम्बन्ध प्राधिकारी सम्बन्ध है। इस प्रकार जब आदमी अपने परिवार के अन्य सदस्यों को किसी भी प्रकार का आदेश देता है और परिवार के सदस्य उसके आदेश की अवहेलना कर देते है। तो इसका अर्थ हुआ कि समाज में वृद्ध व्यक्ति का प्रभुत्व समाप्त हो गया है। शासित प्रभुत्व की प्रक्रिया में भागीदार होते है। जिन कार्यों में प्रभुत्व के भागीदारों को लाभ देती है। इसीलिए ये भागीदार प्रभुत्व की निरस्तता के लिए हमेशा जी–जान लगाने को तैयार रहते है अर्थात् यह कह सकते है कि परिवार के सदस्य वृद्ध व्यक्तियों के प्रभुत्व को स्वीकारें तथा उनके दिशा–निर्देशों पर चलें तो परिवार के सभी सदस्यों का हित होगा। क्योंकि वृद्ध व्यक्ति एक परिवार का सफल नेता होता है वह अनुभवी होता है। वृद्ध लोगों के अनुभव का परिवार के सभी सदस्यों को लाभ उठाना चाहिए।

प्रभुत्व या प्राधिकार (सत्ता) का वर्गीकरण–

वेबर आर्थिक आधार पर प्राधिकार की संस्थागत अवधारणा को विश्लेषित करते है। उसमें सत्ता के आदर्श प्रारूप मे भिन्न तीन प्रकार के बुनियादी प्रारूप बताये–

1. वैधानिक प्रभुत्व (सत्ता)
2. परम्परागत प्रभुत्व और
3. करिश्माई प्रभुत्व आदि।

यद्यपि वेबर ने यह भी बताया कि प्रभुत्व के आदर्श प्रारूप के इन प्रकारों को अलग–अलग करना बड़ा ही कठिन है क्योंकि इन प्रभुत्वों के प्रकार एक–दूसरे के साथ प्रायः मिल जाते है। कई बार कानूनी, सत्ता, परम्परागत सत्ता के साथ मिलती है तो कभी ऐसा भी होता है कि करिश्माई प्रभुत्व के साथ कानूनी और परम्परागत प्रभुत्व भी मिल जाते है। प्रभुत्व को विकास की दृष्टि से भी शायद सबसे पहली बार करिश्माई नेतृत्व जिसे वेबर कई बार जादूई नेतृत्व कहते है, आदिम समाजों में देखने को मिला है। इसके बाद समाज में परम्परागत सत्ता और कानूनी सत्ता देखने को मिली है।

करिश्माई सत्ता न तो वैधानिक नियमों पर आधारित होती है न ही परम्परा पर आधारित होती है; बल्कि यह कुछ चमत्कार या करिश्मा पर

आधारित होती है। बेन्डिक्स ने इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है कि आदेश की शक्ति एक नेता भी कार्यान्वित कर सकता है कि आदेश वह एक पैगम्बर हो, नायक हो अथवा अवसरवादी नेता हो। लेकिन ऐसे व्यक्ति को चमत्कारी या करिश्माई नेता तभी कहेंगे जब वह यह सिद्ध कर दे कि तान्त्रिक शक्तियों, देवी सन्देश, नायकत्व अथवा अन्य अभूतपूर्व गुणों के कारण उसके पास चमत्कार है तथा जो व्यक्ति इस प्रकार के नेता की आज्ञा मानते है, वे शिष्य या अनुयायी होते है, ये अनुयायी नेता के निर्णय से बंधे रहते है।

यदि करिश्माई नेतृत्व हैं और अनुयायी आदेशों को नहीं मानते तो मतलब हुआ इस तरह के नेतृत्व की वैधता नहीं है; और यही बात परम्परागत नेतृत्व पर भी लागू होती है। जहाँ तक परिवार के सदस्य वृद्ध पिता का कहना मानते है तो यह वृद्ध पिता के अधिकारों की वैधता है लेकिन जब वृद्ध पिता के आदेशों को परिवार के सदस्य नहीं मानते है तो उस वृद्ध पिता की वैधता समाप्त हो जाती है।

मैक्स वेबर नें परम्परागत नेतृत्व को सभी सभ्यताओं और संसार भर के इतिहास मे समान रूप से फैला हुआ पाया है। परिवार का मुखिया परम्परागत नेता है, अर्थात् एक परिवार में वृद्ध व्यक्ति के पास ही परम्परागत सत्ता होती है। यदि परिवार की प्रकृति संयुक्त होती है

और परिवार का आकार बड़ा होता है तो इस संयुक्त परिवार का मुखिया कुल पिता कहलाता है। ऐसा मुखिया न केवल परिवार के सदस्यों को एकता के सूत्र में बांधता है, इसके साथ ही वह अपने परिवार के सदस्यों को भोजन, पानी, आवास आदि सुविधाओं की व्यवस्था भी करता है; तथा वह परिवार के सदस्यों को एकता के सूत्र में पिरोता है। संयुक्त परिवार के सारे सदस्य एक ही छत के नीचे रहते है तथा एक ही चूल्हे पर पके भोजन को ग्रहण करते है और संयुक्त परिवार का एक कोष होता है जिस पर अधिकार परिवार के वृद्ध व्यक्ति का होता है। परिवार के सारे सदस्य एक ही छत के नीचे रहने के कारण इस संयुक्त परिवार के सदस्यों में शारीरिक और भौतिक निकटता भी मिलती है।

यद्यपि कुल पिता, जो कि एक वृद्ध व्यक्ति होता है, उसका नेतृत्व कानूनी नेतृत्व से भिन्न होता है। किसी भी ऑफिस में बॉस का अपने अधिनस्थों के साथ जो सम्बन्ध होते है, वे संविदागत होते है; और इस सम्बन्धों का संचालन भी कार्यालय के जो नियम व उपनियम होते है, के द्वारा होता है तथा जब अधीनस्थ अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाता है या वह उस नौकरी से हट जाता है तो उसका अपने बॉस से जो ऑफिस का सम्बन्ध होता है, वे समाप्त हो जाते है। लेकिन परम्परागत

नेतृत्व में ऐसा नहीं होता है। वृद्ध व्यक्ति के परिवार के साथ जो भी सम्बन्ध होते है, वे स्थायी होते है। जैसे पुत्र–पुत्री, पत्नी, सास, ससुर आदि। अतः यह कहा जा सकता है कि परमपरागत प्रभुत्व का आधार परम्परा होती है तथा आयु के साथ यह प्रभुत्व प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है।

पिता का प्रभुत्व एक प्रकार का परिवार सम्बन्धी नेतृत्व है। इस नेतृत्व को उत्तराधिकार के नियमों के अनुसार संचालित किया जाता है। यह सत्य है कि परिवार का जो मुखिया होता है, उसके पास परिवार को सही तरह चलाने के लिए कोई स्टाफ तो होता नहीं है, न ही उसके पास कोई इस तरह का साधन होता है जिससे वह परिवार के सभी सदस्यों को एक सूत्र में बांध सकें। परिवार में तो शक्ति का संचालन इस बात पर चलता है कि परिवार के मुखिया का प्रभुत्व कहाँ तक है?

कानूनी प्रभुत्व – कानूनी तार्किकता का उदय

मैक्स वेबर का विचार है कि कानूनी प्रभुत्व का विकास संसार भर की सभ्यताओं में धीरे–धीरे हुआ है। यह बहुत ही स्पष्ट है कि प्राचीन काल में कानून का सम्बन्ध न तो पवित्र परम्पराओं के साथ रहा है और न इसका सरोकार किसी महान व्यक्ति के साथ। अतः यह कहा जा

सकता है कि जिस देश में हमें कानूनी प्रभुत्व देखने को मिलता है, निश्चित रूप से वह परिश्रमपूर्वक और सोच समझकर बनाया हुआ होता है। वैधानिक सत्ता का स्त्रोत व्यक्ति की निजी प्रतिष्ठा में निहित नहीं होता, बल्कि उन नियमों में निहित होता है, जिन नियमों के अन्तर्गत उसे वह प्रभुत्व मिलता है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति को राज्य के नियमों और उपनियमों के अनुसार अपने पद से सम्बन्धित अधिकारों के आधार पर जो सत्ता प्राप्त होती है, वह वैधानिक या कानूनी सत्ता होती है। इस प्रकार की सत्ता का क्षेत्र वैधानिक नियम के तहत सीमित होता हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति को वैधानिक नियम के तहत जो अधिकार प्राप्त होते है उनके बाहर या उनसे अधिक सत्ता का प्रयोग वह व्यक्ति नहीं कर सकता।

वैधानिक सत्ता के बारे में मत है कि एक जटिल समाज में वैधानिक सत्ता प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में समान रूप से नही होती है; बल्कि इसमें ऊँच–नीच का अत्यधिक विभाजन पाया जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि वैधानिक आधार पर उच्च व निम्न सत्ताओं की एक लम्बी श्रृंखला समाज में देखने को मिलती है।

प्रस्थिति एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है यह एक सामाजिक सांस्कृतिक तथ्य है जबकि भूमिका सामाजिक मनोविज्ञान का विषय एवं प्रघटना है।

व्यक्ति की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत उसके व्यक्तित्व विकास में सामाजीकरण, मूल्य निर्धारण, समायोजन, प्रतिस्पर्धत्मक एवं संघर्षात्मक प्रकृति भी अत्याधिक महत्वपूर्ण होती है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति का व्यक्तित्व एवं जीवन शैली गंभीर रूप से प्रभावित होती रहती है। इन मूल्यों के द्वारा उनके जीवन शैली का निर्धारण होता है। नगर में क्षेत्रियता मूलक उपसंस्कृतिक समूह के लोगों का व्यक्तित्व निर्धारण उनके भाषा, धर्म, प्रजाति और जीवन शैली से जुड़े संस्कारों एंव संस्कृतियों का प्रमुख स्थान होता है। भाषा, धर्म, क्षेत्रीय एवं प्रजातीय विशिष्टताओं के आधार पर ही स्वजन समूह अपनी विशिष्ट संस्कृतिक पहचान को कायम रखते है। इस विशेषताओं एवं विशिष्टताओं के आधार पर ही एक स्वजन समूह का दूसरे से भिन्नता स्पष्ट होती है। सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नता के फलस्वरूप ही सामाजिक विजातीयता दृष्टिगत होती है।

लुई वर्थ (1938) ने नगरीयता को जीवन शैली के रूप में परिभाषित करते हुए उसे सामाजिक विजातीयता से सह–सम्बंधित

बतालाया है। इनके अनुसार जितना ही विस्तृत सघन बसा हुआ बेमेल (विजातीय) समुदाय होगा, उतना ही अधिक उसकी विशेषताएं नगरीय जैसी होगी।

प्रत्येक उपसंस्कृति समूह के सापेक्षिक व्यवहार प्रतिमानों को नगरवाद के फलस्वरूप अन्य उपसंस्कृति समूहों के लोगों के बीच भी देखने को मिलता है।

नगरीय समाजों में व्यक्ति अपनी भूमिका एंव प्रस्थिति को समाज में स्वंय निर्धारित करता है, फलतः इनके बीच सामाजिक अंतःक्रिया, सहभागिता, संघर्ष, दूराव, प्रतिस्पर्धा आदि उनकी भूमिकाओं के अनुसार बदलती रहती है। सामाजिक परिवर्तन के कारकों जैसे नगरीकरण, औघोगीकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण आदि के फलस्वरूप सामाजिक अंतःक्रिया में सहभागी व्यक्ति अथवा समूह समान्तर, उद्देश्य या सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के होते है।

आदि का सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन से स्पष्ट है कि संबंध विकास की प्रक्रिया में अंतः सांस्कृतिक मूल्य, विचार, धार्मिक एंव क्षेत्रीय परम्पराएं, जीवनशैली आदि में पारस्परिक विनिमय के साथ हो, मानवतावादी, उदारवादी, समन्वयवादी एवं सहिष्णुवादी मान्यताओं के

तरफ झुकाव बढ़ रहा है, जिसका प्रमुख कारण नगरीय संरचना में विघमान परस्पर अन्तनिर्भरता है।

विज्ञान एंव तकनीकी के शक्तियों से समायोजित नगरीय आधुनिकता, औघोगिकीकरण संचार साधन, नये मूल्य विचार, आर्दश, विश्वास, जीवन के प्रति तार्किक दृष्टिकोण आदि ने पूर्व स्थित सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं पर गहरा संघात किया है। परिवार, विवाह, धर्म, जाति जैसी कुछ आधारभूत मौलिक संस्थायें भी इन परिवर्तनकारी नगरीय शक्तियों के संघात से प्रभावित हुई है इन संस्थाओं से जुड़े व्यक्तियों, समुदायों एवं सम्प्रदायों के अभिरूचि, दृष्टिाकोण, विश्वास और व्यवहार प्रतिमानों में भी परिवर्तन आये है। नगरीय संरचना में उघोग,तकनीकी एंव विज्ञान के क्षेत्र में होने वालो प्रगति विश्व में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने में सहयोग दिया है। उभरती मनोवृत्तियों के कारण हो पुरानी मान्यताऐं टूटती एंव परिमार्जित होती जा रही है, और ग्रामीण समाज आधुनिकता एंव उच्च नगरीयता की ओर बढ़ता जा रहा है। फलतः यहां उच्च स्तर पर होता है। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होने के कारण मान्यताएं, परम्पराओं एंव रूचियों में सहायोगात्मक एंव प्रतिस्पर्धात्मक प्रकृति का उदय स्वभाविक ही है। प्रस्तुत अध्ययन के अतर्गत इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए

उत्तरदाताओं के सामाजिक – सांस्कृतिक, आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंधित आकडों का विश्लेषण किया गया है।

व्यक्तित्व एंव संस्कृति

व्यक्तित्व व्यक्ति के अन्दर उन मनोभौतिक पद्धतियों का एक गतिशील संगठन है जो उस व्यक्ति का उसके पर्यावरण से एक अपूर्व संमजन को निर्धारित करते है।

किम्बाल यंग के अनुसार व्यक्तित्व एक व्यक्ति की आदतों, मनोवृत्तियों, लक्षणों तथा विचारों का एक ऐसा प्रतिमानित योग है जो बाहरी तौर पर तो विशिष्ट एंव सामान्य कार्यों व स्थितियों के रूप में तथा आंतरिक रूप से उसकी आत्मचेतना, अहंकी धारणा, विचारों, मूल्यों तथा उद्देश्यों के चारों ओर संगठित होता है।

समाजशास्त्रीय उपगाम व्यक्तित्व की समूह के भीतर व्यक्ति प्रस्थिति एंव मनुष्य–समूह के सदस्य रूप में अपनी भूमिका के बारे में सोचता है वे संदर्भ में व्याख्या करता है। दूसरे व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचते है, हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग अदा करता है। इस प्रकार, समाजशास्त्रीय अर्थ में व्यक्तित्व व्यक्ति के विचारों, अभिवृत्तियों एंव उसके चरित्र का अभिन्न अंग बन जाता है। व्यक्तित्व सामूहिक जीवन में योगदान के फलस्वरूप अर्जित किया जाता है।

समूह के सदस्य रूप में व्यक्ति कुछ आचरण विधियों एंव प्रतीकात्मक कौशल को सीखता है जो उसके विचारों, मनोवृत्तियों एवं सामाजिक मूल्यों को निर्धारित करते है।

ये विचार मनोवृत्तियों एवं मूल्य जो एक व्यक्ति के होते है, उसके व्यक्तित्व को समाविष्ट करते है। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व बाह्य संसार के बारे में एक व्यस्क की आंतरिक रचना को इंगित करता है। यह अंतक्रिया की प्रक्रियाओं का परिणाम है जिनसे सामाजिक समूहों एंव समुदायों मे आधारात्मक मूल्यंकान, विश्वास एवं आचरण के मानकों की स्थापना होती है। डीवर के अनुसार 'व्यक्तित्व व्यक्ति के उस शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों का सुसंगठित एंव गतिशील संगठन है जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ रोज के सामाजिक जीवन के आदन–प्रदान में एक दूसरे के प्रति प्रदर्शित करते है।' संस्कृति किसी समूह विशेष में प्रभावी व्यक्तित्व के प्रकारों को निर्धारत करती है।

स्पाइरों ने कहा है कि 'व्यक्तित्व का विकास एवं संस्कृतिका अर्जन विभिन्न प्रक्रियों नहीं है, अपितु समान शिक्षण–प्रक्रिया है।' व्यक्तित्व संस्कृति का व्यक्तिगत स्वरूप है जबकि संस्कृति व्यक्तित्व का सामूहिक रूप। प्रत्येक संस्कृति व्यक्तित्व के विशिष्ट प्रकार अथवा प्रकारों को जन्म देती है। बालक का जन्म रिक्ता में नहीं होता, अपितु

एक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है जो उसकी मानसिक रचना, मनोवृत्तियों एवं आदतों को प्रभावित करता है। एक प्रदत्त सांस्कृतिक पर्यावरण अपने भागों सदस्यों को भिन्न सांस्कृतिक पर्यावरण में कार्यशील व्यक्तियों से पृथक कर देता है। संस्कृति कच्चा माल प्रदान करती है जिससे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है।

उत्तरदाताओं का लिंग, आयु, जाति वर्गानुसार विवरण

आयु – अध्ययन में उत्तरदाता की आयु महत्वपूर्ण होती हैं। विभिन्न आयु वर्ग के उत्तदाताओं से विभिन्न प्रकार के तथ्य प्राप्त होते हैं। अतः इस अध्ययन में भी उत्तरदाताओं को विभिन्न आयु वर्गो में बांटा गया हैं।

जाति – भारतीय समाजशास्त्र में जाति एक महत्वपूर्ण अध्याय हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो इसका प्रभाव और भी अधिक देखने को मिलता हैं। विभिन्न जाति के सदस्यों की अलग–अलग सोच होती हैं जो अध्ययन के तथ्यों को प्रभावित करती हैं। इसी कारण चयनित उत्तरदाताओं का जाति के आधार पर वर्गीकरण आवश्यक था।

धर्म – भारतीय समाजशास्त्र में धर्म एक महत्वपूर्ण अध्याय हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो इसका प्रभाव और भी अधिक देखने को मिलता हैं। विभिन्न धर्मों के सदस्यों की अलग–अलग सोच होती हैं जो अध्ययन के तथ्यों

को प्रभावित करती हैं। इसी कारण चयनित उत्तरदाताओं का धर्म के आधार पर वर्गीकरण आवश्यक था।

शिक्षा – मानवीय विचारों पर उसके द्वारा ग्रहण की गई शिक्षा का सबसे अधिक प्रभाव पडता हैं तथा एक समाजशास्त्रीय अध्ययन में तो शिक्षा एक महत्वपूर्ण तथ्य बन जाता हैं, क्योंकि यह आंकडों की प्रकृति को सर्वाधिक रूप से बदलता हैं।

परिवार की स्थिति – चयनित उत्तरदाताओं को उनके परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया हैं क्योंकि आर्थिक स्थिति भी तथ्यों में विभिन्नता पैदा करती हैं।

परिवार का प्रकार – चयनित उत्तरदाताओं को उनके परिवार के प्रकारके आधार पर भी वर्गीकृत किया गया हैं क्योंकि परिवार का प्रकार भी उत्तरदाताओं के तथ्यों में विभिन्नता पैदा करता हैं।

वैवाहिक प्रस्थिति – चयनित उत्तरदाताओं को उनकी वैवाहिक प्रस्थिति के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया हैं क्योंकि वैवाहिक प्रस्थिति उत्तरदाताओं को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करती हैं।

सारणी – 3.1

आयु के आधार पर वर्गीकरण

क्र.स.	आयु	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	20 से 25	60	25.00
2	25 से 30	90	37.50
3	30 से 35	66	27.50
4	35 से 40	24	10.00
	कुल	**240**	**100.00**

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता हैं कि चयनित उत्तरदाताओं में 90 महिला 25–30 आयु वर्ग के है जिनका प्रतिशत 37.50 है तथा 66 महिला 30–35 आयु वर्ग के है सबसे जिनका प्रतिशत 27.50 है तथा सबसे कम 10 महिलाएं 35 से 40 आयु वर्ग से है, जिनका प्रतिशत 10 है।

सारणी – 3.2

धर्म के आधार पर वर्गीकरण

क्र.स.	धर्म	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	हिन्दु	144	60.00
2	मुस्लिम	72	30.00
3	सिक्ख	24	10.00
4	ईसाई	....	00.00
	कुल	**240**	**100.00**

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता हैं कि चयनित उत्तरदाताओं में से हिन्दु धर्म के 60.00 प्रतिशत है, 00.00 प्रतिशत उत्तरदाता ईसाई धर्म व मुस्लिम धर्म के 30 प्रतिशत है तथा 10.00 प्रतिशत उत्तरदाता सिक्ख धर्म के है।

सारणी – 3.3

जाति के आधार पर वर्गीकरण

क्र.स.	जाति	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	सामान्य	120	50.00
2	अनुसूचित जाति	78	32.50
3	अनुसूचित जनजाति	36	15.00
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	06	02.50
	कुल	**240**	100.00

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता हैं कि चयनित उत्तरदाताओं में से महिलाओं में सबसे अधिक संख्या सामान्य वर्ग की प्राप्त हुई है 120

महिलाएं सामान्य जाति के है जिनका प्रतिशत 50.00 है, 78 महिलाए अनुसूचित जाति के है जिनका प्रतिशत 32.50 है, 38 महिलाए अनुसूचित जनजाति के है जिनका प्रतिशत 15.00 है तथा 06 महिलाए अन्य पिछड़ा वर्ग के है जिनका प्रतिशत 02.50 है।

सारणी – 3.4

शिक्षा के आधार पर वर्गीकरण

क्र.स.	शिक्षा का स्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	निरक्षर / अनपढ़	60	25.00
2.	8 – 10वीं	108	45.00
3.	11 – 12वीं	12	05.00
4.	स्नातक	18	07.50
5.	स्नातकोत्तर	42	17.50
	कुल	**240**	**100.00**

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता हैं कि चयनित उत्तरदाताओं में से 108 महिलाए 08 – 10वीं तक शिक्षा प्राप्त कर रहे है जिनका प्रतिशत 45.00 है तथा 60 महिलाएं निरक्षर है। जिनका प्रतिशत 25.00 है। चयनित उत्तरदाताओं में से 42 महिलाएं स्नातकोत्तर, तक शिक्षा प्राप्त

कर चुके है जिनका प्रतिशत 17.50 है तथा 18 महिलाएं स्नातक, तक शिक्षा प्राप्त कर चुके है जिनका प्रतिशत 7.50 है।

सारणी – 3.5

आय के आधार पर वर्गीकरण

क्र.स.	आय का स्तर (रूपये में)	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	5,000–10,000	102	42.50
2.	10,000–15,000	90	37.50
3.	15,000–20,000	18	07.50
4.	20,000 से अधिक	30	12.50
	कुल	**240**	**100.00**

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता हैं कि चयनित उत्तरदाताओं में से 102 महिलाओं की पारिवारिक आय प्रतिमाह 5000–10000 रू. हैं जिनका प्रतिशत 42.50 है, 90 उत्तरदाताओं की आय 10000–15000 रू. हैं जिनका प्रतिशत 37.50 है, 18 महिलाओं की आय 15000–20000 रू. है जिनका प्रतिशत 07.50 है तथा 30 महिलाओं की आय 20000 रू. से अधिक है जिनका प्रतिशत 12.50 है।

सारणी – 3.6

परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण

क्र.स.	परिवार के सदस्य	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	1–3	35	**14.58**
2.	3–5	156	**65.00**
3.	5–7	49	**20.42**
4.	7 से अधिक	000	**00.00**
	कुल	**240**	**100.00**

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि चयनित उत्तरदाताओं में से 156 महिलाओं के अनुसार परिवार के सदस्यों की संख्या 3–5 है जिनका प्रतिशत 65.00 है, 49 महिलाओं के अनुसार परिवार के सदस्यों की संख्या 5–7 है जिनका प्रतिशत 20.42 है, 35 महिलाओं के अनुसार परिवार के सदस्यों की संख्या 1–3 है जिनका प्रतिशत 14.58 है तथा 00 महिलाओं के अनुसार परिवार के सदस्यों की संख्या 7 से अधिक है।

सारणी – 3.7

पारिवारिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण

क्र.स.	पारिवारिक संरचना	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	एकांकी	192	80.00
2.	संयुक्त	48	20.00
	कुल	**240**	**100.00**

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता हैं कि चयनित उत्तरदाताओं में से 192 महिलाओं एकांकी परिवार के है जिनका प्रतिशत 80.00 है तथा 48 महिलाएं संयुक्त परिवार के है जिनका प्रतिशत 20.00 है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि 80 प्रतिशत उत्तरदता एकांकी परिवार में निवास करते है जो कि संयुक्त परिवार की अवधारणा के लिए कुठाराघात है।

सारणी – 3.8

घरेलू हिंसा के कारण परिवार टूटने के आधार पर वर्गीकरण

क्र.स.	परिवार टूटने के आधार	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	150	62.50
2	नहीं	72	30.00
3	कोई जवाब नहीं	18	07.50
	कुल	**240**	**100.00**

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता हैं कि चयनित उत्तरदाताओं में से 62.50 प्रतिशत उत्तरदाता मानते है कि घरेलू हिंसा से परिवार टूट रहे है। 30 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि नहीं टूट रहे है तथा 7.50 उत्तरदाताओं ने कोई जवाब नही दिया।

इस प्रकार स्पष्ट है कि परिवारों के टूटने का मुख्य कारणों में घरेलू हिंसा भी एक महत्वपूर्ण कारण है।

सारणी – 3.9

जन्म स्थान के आधार पर वर्गीकरण

क्र.स.	स्थान	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	शहरी	144	60.00
2	कस्बाई	60	25.00
3	ग्रामीण	36	15.00
	कुल	**240**	**100.00**

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता हैं कि चयनित उत्तरदाताओं में सबसे अधिक संख्या शहरी पृष्ठभूमि के उत्तरदाताओं की हैं। शहरी पृष्ठभूमि में जन्म लेने वाले महिलाओं की संख्या 144 प्राप्त हुई जिनका प्रतिशत 60.00 है, 36 महिलाए ग्रामीण क्षेत्र जन्म लेने वाले है जिनका प्रतिशत 15.00 तथा 60 महिलाएं कस्बाई पृष्ठभूमि में जन्म लेने वाले है जिनका प्रतिशत 25.00 है।

अध्याय – चतुर्थ

घरेलू हिंसा– सामाजिक एवं आर्थिक कारक

भारत में महिलाओं को कानूनन वे सभी अधिकार प्राप्त हैं जो पुरूषों को प्राप्त हैं, पर व्यवहार में अनेक विसंगतियां हैं, जिन्होंने महिलाओं की सोच में क्रान्तिकारी परिवर्तन ला दिया है। मिसाल के तौर पर, परिवार के अन्दर ही लड़कियों को अपने भाईयों की तरह पढ़ाई–लिखाई, खेलकूद, खाने–पीने तक की सुविधा नहीं मिलती। शादी के मामले में ज्यादा से ज्यादा लड़का दिखाकर उसकी मर्जी का पता लगाने की रस्म पूरी कर ली जाती है। बाद में लड़की की जिन्दगी दूभर हो जाए और उसकी जान चली जाए, तब मां–बाप भले रोते रहें, उससे पहले कुछ नहीं होता। नाबालिग लड़कियों की शादियां गैर–कानूनी होने के बावजूद आज भी अनेक स्थानों पर खुलेआम हो रही हैं। इस मामले में राजस्थान तो बाल विवाह के लिए सुप्रसिद्ध है। सार्वजनिक जीवन में लड़कियों का प्रवेश साधारणतः वर्जित है, क्योंकि बड़ों की निगाह में वहां चाल–चलन बिगड़ने का डर रहता है। लड़की

कुंवारी हुई तो उसके लिए लड़का तलाश करना रेगिस्तान में पानी ढूंढने के बराबर लगता है। नौकरियों के मामले में पहले के मुकाबले अब काफी छूट देखी जाती है, इसलिए भी कि नौकरीशुदा लड़की की शादी ज्यादा असान हो गई है, पर कमाउ लड़कियों की कठिनाइयां घर–बाहर दोनों जगह बढ़ गई हैं। यहीं सब विचार कर समाज वादी नेता डॉ. राममनोहर लोहिया ने पिछडे वर्ग में महिला को भी शामिल किया था, किन्तु स्वयं पिछड़े वर्ग के नेताओं ने अपने वर्गीकरण में महिलाओं को अलग से स्थान नहीं दिया। पूरी दूनिया में निगाह दौड़ाने पर यह देखा गया कि पुरूषों से किसी प्रकार कम न होने पर भी, महिलाओं के साथ लगभग सभी जगह भेदभाव होता चला आया है।

जो आंकड़े यूनिसेफ जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन ने एकत्र किए हैं, उनके अनुसार कुल आबादी में आधी होते हुए महिलाए दो–तिहाई काम करती है, पर उनके काम का सिर्फ एक–तिहाई दर्ज हो पाता है। संसार में जितनी कुल सम्पति है, उसका सिर्फ दसवां हिस्सा उनके नाम है। एशिया और प्रशान्त क्षेत्र के विवरण से पता चलता है कि ग्रामीण अंचल में यह अन्तर और अधिक है। इसका कारण यह है कि आर्थिक और समाजिक दोनों दृष्टियों से महिला को दूसरे दर्जे का

नागरिक माना जाता है। विकासशील देशों में महिलाओं की हालत और भी शोचनीय रही है।

लड़की पैदा ही नहीं होगी

इस परिस्थिति का और अधिक क्रूर स्वरूप हुआ, लड़की को पैदा होने के बाद उसे समाप्त कर देना या उसे पैदा ही न होने देना। यह केवल गरीब घरों की बात नहीं है। एक मामला उच्चतम न्यायालय का है, जिसके अनुसार स्त्री जब भी गर्भवती होगी, वह लड़का ही पैदा करेगी, लडकी नहीं। इस डॉक्टरी प्रक्रिया पर कई लाख रूपए खर्च होते हैं। जाहिर है कि यह काम पैसे वाले ही कर सकते हैं। सामान्यत आमदनी वाले के बस की बात नहीं है। गरीब आदमी लड़की जिम्मेदारी से बचने के लिए उसे जान से मार नहीं पाता तो उसे इधर–उधर डाल आता है या अनाथालय में लड़कियों की संख्या बढ़ा देता है। इस झंझट से बचने के लिए यदि नई विधि के जरिए लड़की पेट में आएगी ही नही ंतो न उसके पैदा होने का सवाल और फिर न उसे मारने, फैंकने या कोई अन्य अपराध करने का सवाल। कहते हैं कि यह एरिक्सन तकनीक हिन्दुस्तान के अनेक शहरों में धड़ल्ले से अपनाई जा रही है। उच्चतम न्यायलय के सामने प्रश्न है कि जब लड़की को पेट के अन्दर ही या बाहर मारा नहीं गया फिर भी क्या वह जुर्म की

परिभाषा में शामिल किया जा सकता है, जो अभी तक भारतीय दण्ड विधान में नहीं है।

घर का कर्त्ता–धर्त्ता मर्द माना जाता है। इसलिए लड़का ही परिवार का भविष्य है। दहेज पर चाहे जितना प्रतिबंध हो, लड़के को दहेज मिलेगा ही, चाहे वह किसी कामकाज से लगा हो अथवा न लगा हो। अगर वह कहीं आई.ए.एस. हुआ तो फिर पांचों अंगुली घी में हैं। कानूनन दहेज लेना अपराध होने पर भी व्यापारी वर्ग ही नहीं, राजनेता, मंत्री, सरकारी अधिकार सभी लोग दहेज लेने में संकोच नहीं करते। यह बड़प्पन की निशानी है। दिल्ली, मुम्बई, कोलकत्ता के अलावा अन्य शहरों और कुछ कस्बों में भी शादी के मौसम में इस बड़प्पन की चकाचौंध होती रहती है, जिससे सिर्फ नाते, रिश्तेदार ही नहीं, राज्यपाल, मंत्री और बडे–बड़े अफसर भी देखे जा सकते हैं। लक्ष्मी की डोर अच्छे–अच्छों को बांध लेती है। लड़का–लड़की के भेदभाव का एक त्रासद और खतरनाक परिणाम यह हुआ कि लड़कियों की संख्या कम होने लगी है। 1981 की जनगणना में पाया गया कि भारत की कुल आबादी में 1000 पुरूषों के मुकाबले स्त्रियां सिर्फ 934 थी। 1991 में स्त्रियों की संख्या और घटकर 927 रह गई। इससे कई सामाजिक कुरीतियां और अपराध बढ़ने की आशंका पैदा हुई। 2001 की जनगणना

के आंकड़े के अनुसार यह असन्तुलन कुछ कम हुआ है। महिलाओं की संख्या अब 933 है। प्रति हजार मर्द पीछे 67 महिलाएं कम हैं। फिर भी दो प्रदेश ऐसे हैं जहां मर्दो की संख्या औरतों से कम है। केरल में एक हजार मर्दों के मुकाबले 1085 और पाण्डिचेरी में 1001 स्त्रियां हैं। जहां महिलाएं 900 से भी कम हैं, वे हैं– उत्तर प्रदेश 898, सिक्किम 836, पंजाब 874, हरियाणा 861, अण्डमान और निकोबार 846, दिल्ली 821, दादरा नगर हवेली 811, चण्डीगढ़ 773 और दमन दीव 709।

पंचायतों में महिलाएं

पृथ्वी शिखर सम्मेलन के बाद सभी देशों में महिलाओं को उचित स्थान देने के आन्दोलन ने जोर पकड़ा। इसका एक उपाय भारत में यह निकला कि लोकतान्त्रिक व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, क्योंकि अपने आप उनका पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। जब वे फैसला करने के मंचों पर पहुंचेगी तो वर्तमान असन्तुलन दूर होने लगेगा। भारतीय संसद ने 1993 में सविधान के 73वें संशोधन के अन्तर्गत महिलाओं को पंचायतों में 33 प्रतिशत आरक्षण दे दिया। पचांयतों के चुनाव भी हो गए। यह नहीं कहा जा सकता कि सभी पंचायतों में महिलाओं की जो प्रतिष्ठा होनी थी, ही पाई है।

फिर भी, सभी प्रदेशों की पंचायतों के कामकाज का विश्लेषण करने पर यह अधिकारपूर्वक कहा जा सकता है कि ग्रामीण स्तर पर इस देश में पहली बार महिलाओं में आत्मविश्वास और स्वाभिमान जागा है कि वे अपने घर के बाहर भी बहुत कुछ कर सकती हैं। राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात तथा कुछ अन्य प्रदेशों को महिला सरपंचों ने अपनी कर्मठता और हिम्मत दोनों के अनुकरणीय उदाहरण पेश किए हैं। 1991 से 2001 तक दस वर्षों में सबसे अधिक साक्षरता वृद्धि राजस्थान में हुई है। 1991 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में स्त्री–पुरूष मिलाकर 38. 55 प्रतिशत साक्षर थे जो 2001 में बढ़कर 61.3 प्रतिशत हो गए, अर्थात् 23 प्रतिशत अधिक व्यक्ति साक्षर हुए। इसका बहुत कुछ श्रेय पचांयतों में नई जागृति को दिया जाता है। गांव के अनेक काम जो वर्षों से मर्द सरपंच नहीं करा पाए थे, उन्हें महिलाओं ने कर दिखाया है। यदि कहीं पंचायतों के पर्याप्त आर्थिक साधन सुलभ हो जाएं और निर्वाचित पचों, सरपंचों को आवश्यक अधिकार दे दिए जाए तो पंचायतें और भी बहुत कुछ कर सकती हैं और राज्य शासन का बोझ हल्का कर सकती हैं। यह तो हुई सबसे नीचे स्तर की बात जहां कोई भी फैसला एक छोटे दायरे के अन्दर ही सीमित रहता है और इसमें होने वाली कठिनाइयां भी साधारणतः कोई बहुत शोर नहीं मचा सकती। सम्भवतः इसलिए

संसद ने पचांयतों में महिलाओं का आरक्षण सुविधापूर्वक कर दिया। दूसरी ओर जो सत्ता और सत्ता की भागीदारी के मुख्य गई हैं– विधानसभा और लोकसभा, उसके लिए संसद में महिलाओं के आरक्षण का विधेयक 1996 से करवटें बदलता रहा है। तेरहवीं लोकसभा की अवधि में प्रधानमंत्री ने विधेयक स्वीकार करने की उत्सुकता प्रकट की थी। साथ ही साथ इस पर सबकी सहमति की भी बात उठाई थी, किन्तु बात नहीं बनी। अब देखना है कि इस सन्दर्भ में चौदहवीं लोकसभा क्या कुछ कर पाती है।

सभी पार्टियों की महिलाए एकमत

इस प्रसंग में यह ध्यान देने योग्य बात है कि संसद में यदि एक विषय पर सभी महिला सदस्याएं दलगत भेदभाव से ऊपर उठकर एकमत हैं, तो वह है विधानसभाओं और लोकसभा में उनके लिए 33 प्रतिशत आरक्षण, किन्तु पुरूष प्रधान समाज की पुरूष प्रधान संसद में सिद्धान्त रूप से सहमति हो जाने पर भी कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। देश के मार्गदर्शन और संचालन करने में महिलाओं की भागीदारी अधिक होनी चाहिए, यह विधेयक कानून का रूप ग्रहण करने के लिए वर्षों से छटपटा रहा है। महिलाओं के एक–तिहाई आरक्षण के लिए 81वें सशोंधन विधेयक पर गठित संयुक्त समिति की रिपोर्ट

लोकसभा में 9 दिसम्बर, 1996 को पेश हुई थी। संयुक्त समिति में 31 सदस्य थे और इसकी अध्यक्ष थी– श्रीमती गीता मुखर्जी, कम्युनिस्ट। इसके बाद लोकसभा भंग हो जाने पर लगभग यही विधेयक 84वें संविधान संशोधन विधेयक के नाम से 14 दिसम्बर, 1998 को पेश किया गया। वह लोकसभा भी विधेयक पर फैसला करने से पहले भंग हो गई। इसके बाद 85वें संशोधन विधेयक के रूप में यह 23 दिसम्बर, 1999 को तेरहवीं लोकसभा में लाया गया था। तेरहवीं लोकसभा भंग होने के बाद अब 14वीं लोकसभा बन चुकी है। वर्तमान सत्तारूढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन महिला आरक्षण के प्रति वचनबद्ध लगता है। एक महिला सदस्य के शब्दों में अनिश्चय में डूबते उतरते पुरूष सदस्य इस विषय पर आपस में सहमति नहीं पैदा कर पा रहे हैं। 14वीं लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था न हो पाने से वहीं स्थिति है। यद्यपि खुलकर बात नहीं की जा रही थी लेकिन इसकी सबसे बड़ी अड़चन यह थी कि तेरहवीं लोकसभा में पुरूषों का प्रतिनिधित्व 90 प्रतिशत से अधिक था, जो महिला आरक्षण कानून के बाद घटकर लगभग 67 प्रतिशत रह जाएगा। कौन पुरूष सदस्य चाहेगा कि संसद में उसके प्रवेश की सम्भावनाएं और कम हो जाए। अभी हाल ही में दिसम्बर,

2006 में हुए संसद अधिवेशन में भी इस बिल को बजट सत्र के लिए टाल दिया गया।

महिलाओं की विशिष्टता

ऐसा नहीं है कि इस देश में योग्य और प्रबुद्ध महिलाओं की कमी हो। प्राचीन काल में ऋषि याज्ञवल्क्य के साथ गार्गी और मैत्रेयी के उच्चतम दार्शनिक संवादों को हम न याद करें तो भी वर्तमान युग में हमने विलक्षण प्रतिभाशाली महिलाओं के दर्शन किए हैं। गिनती के लिहाज से कम होने के बावजूद महिला सदस्यों ने संसद में जो धाक जमाई है, वह अगर पुरूष सदस्यों को भयभत करे कि अधिक महिलाओं के आ जाने पर वे खुद कितने कम और कमजोर हो जाएगे, तो कोई आश्चर्य नहीं। जिन लोगों ने संसद की बहस सुनी है, उन्हें यह कहने में संकोच नहीं होगा कि महिला सदस्यों में वह प्रतिभा मिल जाएगी, जो ऊँचे से ऊँचा पद सम्भालने योग्य हो। यदि आरक्षण की व्यवस्था हो गई तो निश्चत ही उसके बाद की आगामी लोकसभा कहीं अधिक सार्थक ही नहीं आकर्षक और सम्भवतः अनुशासनप्रिय भी हो जाए। पुरूषों की देखादेखी इक्का–दुक्का छोड़कर कोई भी महिला सदस्य पुरूष सदस्यों की तरह गला फाड़कर सदन के कामकाज में बाधा डालने वालें मं शामिल नहीं है। जो भी हो, महिला आरक्षण को लेकर

जो असमंजस या दिक्कत अभी है, उसका समाधान करने का प्रयास होना चाहिए। कुछ पुरूष सदस्यों की राय थी (जिसे खुलकर कहने में उन्हें संकोच था) कि महिलाएं अपना आरक्षण तैंतीस फीसदी से घटाकर पन्द्रह या बीस फीसदी कर देने को राजी हो जाए तो विधेयक जयादा आसानी से पास हो सकता था। अधिक साधन सम्पन्न महिलाएं फिर भी गैर–आरक्षित सीटों से लड़ सकेगी, जेसे वे अभी तक लड़ती रही हैं और जो न सिर्फ चुनाव जीती हैं, उन्होंने संसद की शोभा बढ़ाई है, उसे गरिमा प्रदान की है, चाहे वे किसी पार्टी की हों, किन्तु 13वीं लोकसभा भंग हो गई और विधेयक स्वत्वहीन हो गया। अब चौदहवीं लोकसभा से आशा की जानी चाहिए कि वह देश की आधी आबादी के इसे महत्वपूर्ण विधेयक को अवश्य ही अमलीजामा पहनावेगी।

राष्ट्रीय महिला शक्ति–सम्पन्नता नीति, 2001

महिलाओं की उन्नति, विकास और शक्ति सम्पन्नता इस नीति का प्रमुख लक्ष्य है। सम्बन्धित वर्गों की सक्रिय भागीदारी प्रोत्साहित करने हेतु इसका व्यापक प्रचार महिला सशक्तिकरण के कार्य में अत्यन्त प्रभावी सिद्ध हो सकता है।

लक्ष्य तथा उद्देश्य

इस नीति का लक्ष्य महिलाओं की उन्नति तथा शक्ति सम्पन्नता है। इस नीति का व्यापक रूप से प्रचार किया जाएगा, ताकि इसके लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित वर्गों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके। विशिष्ट रूप से इस नीति के लक्ष्यों में शामिल हैं।

1. महिलाओं की पूर्ण क्षमता की प्राप्ति के लिए महिलाओं के पूर्ण विकास हेतु सकारात्मक आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों के माध्यम से वातावरण का सृजन।
2. राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सिविल सभी क्षेत्रों में पुरूषों के साथ समान आधार पर महिलाओं द्वारा समस्त मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं का सैद्धान्तिक तथा वस्तुतः उपभोग।
3. राष्ट्र के सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक जीवन में महिलाओं को भागीदारी तथा निर्णय–स्तर तक समान पहुंच।
4. सभी स्तरों पर स्वास्थ्य देखभाल, स्तरीय शिक्षा, जीविका तथा व्यवसायिक मार्गदर्शन, रोजगार, समान पारिश्रमिक, व्यावसायिक

स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा सार्वजनिक पदों इत्यादि में महिलाओं की समान पहुंच।

5. महिलाओं के साथ होने वाले सभी प्रकार के भेदभावों के उन्मूलन के उद्देश्य से कानूनी प्रणालियों का सुदृढीकरण।
6. पुरूषों तथा महिलाओं दोनों की सक्रिय भागीदारी द्वारा सामाजिक रवैये और प्रथाओं में परिवर्तन।
7. विकास प्रक्रिया में महिला परिप्रेक्ष्यों को शामिल करना।
8. महिलाओं तथा बालिकाओं के साथ होने वाली हिंसा के सभी रूपों तथा भेदभावों का उन्मूलन।
9. सिविल समाज, विशेषकर महिला संगठनों के साथ भागीदारी बनाना तथा उसका सुदृढ़ीकरण।

नीति निर्धारण

न्यायिक कानूनी प्रणालियां

- कानूनी न्यायिक पद्धति को महिलाओं की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील, विशेषकर घरेलू हिंसा तथा वैयक्तिक आक्रमण के मामलों में, और अधिक उत्तरदायी बनाया जाएगा। नए कानून बनाए जाएंगे तथा अपराध की गम्भीरता के अनुरूप अपराधियों

को सजा देने और शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने हेतु मौजूदा कानून की समीक्षा की जाएगी।

- समुदाय तथा धार्मिक नेताओं सहित सभी पणधारियों की पूर्ण भागीदारी से तथा पहल पर इस नीति का उद्देश्य विवाह, तलाक, अनुरक्षण तथा अभिभावकता जैसे वैयक्तिक कानूनों में परिवर्तन को प्रोत्साहित करना होगा, जिससे महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव का उन्मूलन किया जा सके।
- पितृसत्तात्मक प्रणाली में सम्पति के अधिकारों का विकास महिलाओं के गौण दर्जे का कारण है। इस नीति का उद्देश्य महिला–पुरूष में न्यायपूर्ण सामंजस्य से सम्पति तथा विरासत के स्वामित्व से सम्बन्धित कानूनों में परिवर्तन को बढ़ावा देना है।

निर्णय लेने में महिलाएं

शक्ति–सम्पन्नता के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी स्तरों पर सभी प्रक्रियाओं, जिनमें रानैतिक निर्णय भी शामिल हैं, शक्तियों के समान उपयोग तथा निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की प्रतिभागिता को सुनिश्चित किया जाएगा। सभी स्तरों पर निर्णयक निकायों में महिलाओं की पूर्ण प्रतिभागिता की गारण्टी के लिए उचित कदम उठाए जांएगे।

विकास प्रक्रिया में लिंग परिप्रेक्ष्य को मुख्य धारा में लाना

महिलाओं को मुख्य धारा मे लाने वाले तन्त्रों की प्रगति का समय–समय पर मूल्यांकन करने के लिए समन्वय तथा प्रबोधन तन्त्र बनाए जाएगे। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं के मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा तथा ये सभी सम्बन्धित कानूनों, क्षेत्रीय नीतियों, योजनाओं तथा कार्यवाहीं कार्यक्रमों मे ंपरिलक्षित होंगे।

महिलाओं की आर्थिक शक्ति– सम्पन्नता

निर्धनता उन्मूलन

चूंकि गरीबी–रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने वाली अधिकांश महिलाएं ही हैं तथा प्रायः वे अत्यधिक गरीबी की स्थिति मे जीवन व्यतीत करती हैं, उन्हें कठोर घरेलू परिस्थितियों तथा सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अतः इस वर्ग को महिलाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं समस्याओं के निदान हेतु विशेष रूप से व्यापक आर्थिक नीतियां तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाए जाएगे।

अल्प–ऋण

उपभोग तथा उत्पादन हेतु ऋण तक महिलाओं को पहुंच बढ़ाने के सम्बन्ध में नए तंत्रों की स्थापना तथा मौजूदा अल्प ऋण तंत्रों तथा अल्प वित्त संस्थाओं का सुदृढीकरण किया जाएगा।

महिलाएं तथा अर्थव्यवस्था

वृहद् आर्थिक और सामाजिक नीतियां तैयार करने और उनके कार्यान्वयन मे महिलाओं की प्रतिभागिता को संस्थागत बनाकर उनके परिप्रेक्ष्यों को उसमं सम्मिलित किया जाएगा। औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रों में सामाजिक–आर्थिक विकास में उत्पादकों तथा कार्यकर्ताओं के रूप में महिलाओं के यागदान को मान्यता प्रदान की जाएगी तथा रोजगार और अन्य कार्य परिस्थितियों से सम्बन्धित उपयुक्त नीतियां तैयार की जाएगी। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल होगे।

1. उत्पादकों तथा कामिकों के रूप में महिलाओं के योगदान को परिलक्षित करने के लिए जहां आवश्यक होगा, जेसे कि गणना अभिलेखों में, पारस्परिक संकल्पनाओं का पुनर्विवेचन और उन्हें पुनर्भाषित किया जाएगा।
2. गौण तथा मुख्य खातों की तैयारी।
3. उपर्युक्त 1 तथा 2 के लिए उपयुक्त कार्यविधियां का विकास।

विश्व व्यापीकरण

विश्व–व्यापीकरण की प्रक्रिया से उत्पन्न नकारात्मक सामाजिक तथा आर्थिक प्रभावों को दूर करने के लिए महिलाओं की क्षमता बढ़ाने तथा उन्हें सशक्त बनाने हेतु कार्य नीतियां तैयार की जाएगी।

महिलाएं तथा कृषि

उत्पादकर्ताओं के रूप में कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए महिलाओं की संख्या के अनुपात में प्रशिक्षण, विस्तार तथा विभिन्न कार्यक्रमों के लाभों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के समेकित प्रयास किए जाएगे।

महिलाएं तथा उद्योग

1. विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में सहभागिता हेतु उन्हें श्रम–विधान, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य समर्थन सेवाओं के मामले में वृहत् समर्थन दिया जाएगा।
2. वर्तमान समय में महिलाए, यदि वे चाहे तो भी , रात्रि की पारी में कारखानों में कार्य नहीं कर सकती। कारखानों में रात्रि की पारी में कार्य करने के लिए महिलाओं की सक्षम बनाने हेतु उपयुक्त उपाय किए जाएगे। उन्ळें सुरक्षा, यातायात के साधन इत्यादि समर्थन सेवाएं दी जाएगी।

समर्थन सेवाएं

महिलाओं के लिए समर्थन सेवाएं तथा बाल देखभाल सुविधाए, जिनमें कार्यस्थलों तथा शैक्षणिक संस्थानों में शिशुगृह बनाना तथा वृद्ध एवं विकलांगों हेतु गृह शामिल है, का विस्तार किया जाएगा और

सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक जीवन में उनके पूर्ण सहयोग हेतु सही वातावरण बनाने के लिए उनमें सुधार किया जाएगा।

महिलाओं की समाजिक शक्ति–सम्पन्नता

शिक्षा

महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए शिक्षा के समान अवसर सुनिश्चित किए जाएगे। भेदभाव को समाप्त करने, शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने, निरक्षरता का उन्मूलन करने, महिलाओं के अनुकूल शिक्षा प्रणाली के सृजन करने, स्कूलों में प्रवेश बढ़ाने तथा बालिकाओं की स्कूल छोड़ने की दर कम से कम करने तथा शिक्षा–स्तर मे सुधार तथा शिक्षा के साथ–साथ महिलाओं के व्यवसायों/तकनीकी कौशलों के विकास हेतु विशेष उपाय किए जाएगे।

स्वास्थ्य

- महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति समय दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, जिसमें पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं दोनों शामिल हैं। जीवन के सभी स्तरों पर महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं, क्योंकि ये मानव विकास के महत्वपूर्ण संसूचक है।

- शिशु और मातृ मृत्यु तथा शीघ्र विवाह की समसयाओं का कारगर तरीके से मुकाबला करने के लिए मृत्यु, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का कड़ा कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा और विवाह का पंजीकरण अनिवार्य बनाया जाएगा।
- जनसंख्या स्थिरीकरण के सम्बन्ध में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (2000) की प्रतिबद्धता कि अनुसार, इस नीति में महिलाओं और पुरूषों को परिवार नियोजन के अपनी पसन्द के सुरक्षित, कारगर और सस्ते तरीके अपनाने की आवश्यकता को मान्यता प्रदान की गई है।
- स्वास्थ्य देखभाल और पोषाहार के संबंध में महिलाओं के पारस्परिक ज्ञान को समुचित प्रलेखन के माध्यम से प्रदान की जाएगी और उसके उपयोग को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

पोषाहार

- तीनों महत्वपूर्ण अवस्थाओं, अर्थात् शैशवावस्था और बाल्यकाल, किशोरावस्था तथा प्रजननकाल में महिलाओं की कुपोषण और बीमारी के उच्च खतरे को दृष्टिगत रखते हुए, जीवन के सभी स्तरों पर महिलाओं की पोषण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

- पोषाहार के संबंध में परिवारों मे असन्तुलन के मुद्दों को हल करने के लिए तथा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पोषाहार शिक्षा का व्यापक उपयोग किया जाएगा।

पेयजल और स्वच्छता

विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी झोपड़–पट्टियों में, परिवारेां की पहुंच के भीतर सुरक्षित पेयजल, मल–जल निपटान, शौच सुविधाओं तथा स्वच्छता के प्रावधान के सम्बन्ध मे ंमहिलाओं की आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान जाएगा।

आवास और आश्रय

ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में आवास नीतियों, आवास कॉलोनियों की आयोजना तथा आश्रय के प्रावधान में महिला परिप्रेक्ष्यों को शामिल किया जाएगा। महिलाओं के लिए, जिनमें एकल महिलाए, परिवार की मुखिया महिलाए, कामकाजी महिलाएं, छात्राएं प्रशिक्षु तथा प्रशिक्षार्थी महिलाए शामिल हैं, पर्याप्त और सुरक्षित आवास प्रदान करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

पर्यावरण

पर्यावरण संरक्षण तथा बहाली संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों में महिलाओं को शामिल किया जाएगा और उनके परिप्रेक्ष्य परिलक्षित होंगे। सौर ऊर्जा, बायोगैस, धुआं–रहित चूल्हे के प्रयोग तथा अन्य ग्रामीण अनुप्रयोगों को बढ़ाने के कार्यो में महिलाओं की शामिल किया जाएगा, ताकि पारिवारिक प्रणाली को प्रभावित करने तथा ग्रामीण महिलाओं को जीवन–शैली में परिवर्तन लाने में इन उपयों का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सके।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मे महिलाओं की अधिक भागीदारी प्राप्त करने के कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाया जाएगा। ऐसे क्षेत्रों में महिलाओं के प्रशिक्षण के विशेष उपाए किए जाएगे, जिनमें उन्हें विशेष कौशल प्राप्त है, जैसे संचार और सूचना प्रौद्योगिकी। महिलाओं के कठिन शारीरिक श्रम को कम करने तथा उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त प्रौद्योगिकीयों का विकार करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

कठिन परिस्थितियों में महिलाएं

महिलाओं की अलग–अलग परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा विशेष रूप से वंचित वर्गों की आवश्यकताओं को देखते हुए, उन्हें विशेष सहायता प्रदान करने के उपाय और कार्यक्रम शुरू किए जांएगे।

महिलाओं के साथ हिंसा

महिलाओं के साथ सभी प्रकार की हिंसा की घटनाओं, चाहे शारीरिक हिंसा हो या मानसिक, चाहे घर में हो या समाज में, जिसमें रीति–रिवाजों, परम्पराओं अथवा मान्य प्रथाओं के फलस्वरूप होने वाली हिंसा भी शामिल है, को रोकने के लिए कारगर उपाय किए जाएगे। महिलाओं और लड़कियों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए कार्यक्रमों और उपायों के विशेष बल दिया जाएगा।

बालिका के अधिकार,

परिवार के भीतर और परिवार के बाहर बालिकाओं के साथ सभी प्रकार के भेदभाव और उनके अधिकारों के उल्लंघन को निवारक और दण्डात्मक दोनों प्रकार के उपाय करके समाप्त किया जाएगा। ये उपाय विशिष्ट रूप से प्रसवपूर्व लिंग–निर्धारण, बालिका भ्रूण–हत्या, बालिका शिशु–हत्या, बाल विवाह, बाल–शोषण तथा बाल वेश्यावृत्ति आदि की प्रथाओं के विरूद्ध कानूनों के कड़े प्रवर्तन से सम्बन्धित होंगे।

जन संचार माध्यम

लड़कियों और महिलाओं की मानव गरिमा के अनुरूप छवि प्रदर्शित करने के लिए जन–प्रचार माध्यमों को प्रयोग किया जाएगा। विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर निजी क्षेत्र के भागीदारों तथा प्रचार माध्यम नोटवर्क को शामिल किया जाएगा।

परिचालन कार्य–नीतियां

कार्य योजनाएं

केन्द्रीय/राज्य महिला एवं बाल विकास विभागों तथा राष्ट्रीय/राज्य महिला आयोगों के साथ परामर्श की प्रतिभागी प्रक्रिया के माध्यम से इस नीति को ठोस कार्यवाहीं में बदलने के लिए सभी केन्द्रीय और राज्य मंत्रालय समयबद्ध कार्य–योजनाएं तैयार करेंगे। योजनाओं में विशेष रूप से निम्नलिखित शामिल होंगी–

1. वर्ष 2010 तक प्राप्त किए जाने वाले माप–योग्य लक्ष्य,
2. संसाधनों का अभिनिर्धारण और प्रतिबद्धता।
3. कार्य–बिन्दुओं के कार्यान्वयन हेतु दायित्व।

4. कार्य–बिन्दुओं तथा नीतियों का कुशल प्रबोधन, समीक्षा और महिला प्रभाव मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए संरचनाएं एवं तंत्र, और
5. बजट प्रक्रिया में महिला परिप्रेक्ष्य शुरू करना।
6. बेहतर आयोजना और कार्यक्रम निरूपण तथा संसाधनों के पर्याप्त आवंटन में सहायता प्रदान करने के लिए, विशेषीकृत अभिकरणों के साथ नेटवर्किंग से महिला विकास संसूचक विकसित किए जाएगे।
7. केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थाओं के सभी प्रारम्भिक आंकड़ा संग्रहण अभिकरणों द्वारा महिलाओं और पुरूषों के संबंध में अलग–अलग आंकड़े इकठे किए जाएगे। इससे नीतियेां की सार्थक आयोजना और मूल्यांकन में मदद मिलेगी।

संस्थागत तंत्र

महिलाओं की उन्नति को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय और राज्य–स्तरों पर मौजूदा संस्थागत तंत्रों को सुदृढ़ बनाया जाएगा। यह कार्य उपयुक्त कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाएगा।

1. नीति के संचालन पर नियमित आधार पर निगरानी रखने के लिए राष्ट्रीय और राज्य परिषदों का गठन किया जाएगा। इनमें सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों, राष्ट्रीय और राज्य महिला आयोगों, समाज कल्याण बोर्डो, गैर–सरकारी संगठनों, महिला संगठनों, निगमित क्षेत्र, व्यापार संघो, वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि, शिक्षाविद् विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता आदि शामिल होंगे। नीति के अन्तर्गत शुरू किए गए कार्यक्रमों की प्रगति के बारे में राष्ट्रीय विकास परिषद् को भी समय–समय पर सलाह और टिप्पणियों के लिए सूचित किया जाएगा।
2. महिलाओं के संबंध में राष्ट्रीय और राज्य संसाधन केन्द्र स्थापित किए जाएगे, जिनका दायित्व सूचना का संग्रहण और प्रचार करना, अनुसंधान कार्य करना, पर्वेक्षण अयोजित करना, प्रशिक्षण और जागरूकता विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करना आदि होगा। ये केन्द्र उपयुक्त सूचना नेटवर्किंग प्रणालियों के जरिए महिला अध्ययन केन्दों तथा अन्य अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े होंगे।
3. जिला स्तर पर संस्थाओं को सुदृढ़ बनाया जाएगा और बुनियादी स्तर पर महिलाओं को सरकार द्वारा अपने कार्यक्रमों के माध्यम

से उन्हें आंगनबाड़ी/ग्राम/कस्बा स्तर पर स्व–सहायता समूहों में संगठित और सुदृढ़ करने में सहायता प्रदान की जाएगी।

संसाधन प्रबन्धन

नीति के कार्यान्वयन के लिए सम्बन्धित विभागों, वित्तीय ऋण संस्थाओं तथा बैंकों, निजी क्षेत्र, सिविल समाज तथा अन्य सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा पर्याप्त वित्तीय, मानव और विपणन संसाधनों की उपलब्धता की व्यवस्था की जाएगी। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल होंगे।

1. महिलाओं को मिलने वाले लाभों का मूल्यांकन और जेंडन बजटिंग के माध्यम से व उनसे सम्बन्धित कार्यक्रमों हेतु संसाधन आवंटन। इन स्कीमों के अन्तर्गत, महिलाओं को अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए नीतियों में उपयुक्त परिवर्तन किए जाएगे।
2. सम्बन्धित विभागों द्वारा उक्त (1) पर आधारित पहले निर्धारित नीति के विकास और संवर्धन हेतु पर्याप्त संसाधन–आवंटन।
3. क्षेत्र स्तर पर स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, शिक्षा तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्मिकों और ग्राम–स्तर पर अन्य कार्यकर्ताओं के बीच सम्पर्क विकसित करना।

4. उपयुक्त नीतिगत कार्यक्रमों के माध्यम से बैंकों तथा वित्तीय ऋण संस्थओं द्वारा ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति और महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वय से नई संस्थाओं का विकास।

नौवीं पंचवर्षीय योजना मे ंपारित महिला घटक योजना की इस कार्यनीति को कारगर तरीके से कार्यान्वित किया जाएगा कि सभी मंत्रालयों और विभागों से महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत लाभ/राशि रखी जानी चाहिए, ताकि सभी सम्बन्धित क्षेत्रों द्वारा महिलाओं और लड़कियों की आवश्यकताओं और हितों को ध्यान में रखा जा सके। महिलाओं की प्रगति कि कार्यक्रमों और परियोजनाओं में सहायता के लिए निजी क्षेत्र से पूंजी निवेश प्राप्त करने के प्रयास किए जाएंगे।

कानून

नीति के कार्यान्वयन हेतु अभिनिर्धारित विभागों द्वारा वर्तमान विधायी ढांचों की समीक्षा की जाएगी और अतिरिक्त विधायी उपाय किए जाएगे। यह प्रक्रिया 2000–03 अवधि मे ंपूरी की जाएगी। सिविल समाज, राष्ट्रीय महिला आयोग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग

द्वारा परस्पर परामर्श की प्रक्रिया द्वारा अपेक्ष्ज्ञित विशिष्ट उपाय विकसित किए जांएगे।

सिविल समाज और समुदाय की भागीदारी द्वारा कानून के कारगर कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया जाएगा। आवश्यकता होने पर कानून में उपयुक्त परिवर्तन किए जाएगे। इसके अलावा, कानूनों को कारगर ढंग से कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित विशिष्ट उपाय किए जाएगे।

1. महिलाओं के साथ हिंसा और उन पर अत्याचारेां की शिकायतों पर विशेष ध्यान देते हुए सभी सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों का कड़ा प्रवर्तन और शीघ्र निपटान सुनिश्चित किया जाएगा।
2. कार्य–स्थलों पर यौन उत्पीड़न को रोकने और दण्डित करने, संगठित/असंगठित क्षेत्र में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा तथा समान परिश्रमिक अधिनियम और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जैसे सम्बन्धित कानून का कड़ा प्रवर्तन सुनिश्चित किया जाएगा।
3. महिलाओं के साथ अपराधों, उनकी घटनाओं, रोकथाम, जांच पता लगाने और मुकदमा चलाने के मामलों की सभी अपराध समीक्षा मंत्रों तथा केन्द्रीय, राज्य और जिला–स्तरों पर होने वाले सम्मलेलनों में नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी। मान्यता प्राप्त

स्थानीय स्वैच्छिक संगठनों को महिलाओं और लड़कियों के साथ की जाने वाली हिंसा एवं अत्याचारों के संबंध में शिकायतें दर्ज करने और शिकायतों के पंजीकरण, जांच तथा कानूनी कार्यवाहीं शुरू करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

4. महिलाओं के साथ हिंसा और अत्चारों को समाप्त करने के लिए पुलिस स्टेशनों में महिला कक्षों, महिला पुलिस स्टेशनों, परिवार न्यायालयों, महिला न्यायालयों, परमर्श केन्दों, कानूनी सहायता केन्द्रों तथा न्याय पंचायतों को सुदृढ़ बनाया जाएगा और उनका विस्तार किया जाएगा।

5. विशेष रूप से तैयार किए गए कानूनी साक्षरता कार्यक्रमों और अधिकार सूचना कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के कानूनी अधिकारों, मानवाधिकारों और अन्य पात्रताओं के सभी पहलुओं पर सूचना का व्यापक प्रचार किया जाएगा।

महिला संचेतना

नीति और कार्यक्रम निर्माताओं, कार्यान्वयन और विकास अभिकरणों, विधि प्रवर्तन तंत्र तथा न्यायपालिका और गैर सरकारी संगठनों पर विशेष बल देते हुए राज्य के कार्यकारी, विधायी और

न्यायिक स्कन्धों के कार्मिकों का प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। अन्य उपायों में निम्नलिखित शामिल हों।

1. महिला मुद्दों और उनके मानवाधिकारेां के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाना।
2. महिला मुद्दों तथा मानवाधिकारों को पाठ्यचर्या और शैक्षणिक सामग्री में शामिल करने के लिए उनकी समीक्षा।
3. सभी सार्वजनिक दस्तावेजों और कानूनी प्रलेखों से ऐसे सभी संदर्भो को हटाना, जो महिलाओं की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल हों।
4. महिलाओं की समानता और शक्ति सम्पन्नता से सम्बन्धित सामाजिक सन्देशों के सम्प्रेषण हेतु विभिन्न प्रकार के प्रचार–माध्यमों का प्रयोग।

पंचायती राज संस्थाएं

भारत के संविधान में 73वां और 74वां संशोधन (1993) महिलाओं की समान पहुंच सुनिश्चित करने और राजनीतिक शक्ति संरचना में अधिक भागीदारी प्रदान करने की दिशा में एक उपलब्धि है। राष्ट्रीय महिला शक्ति–सम्पन्नता नीति को बुनियादी–स्तर पर कार्यन्वित और निष्पादित करने में पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय स्व–शान को सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा।

स्वैच्छिक क्षेत्र के संगठनों के साथ भागीदारी

शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान से सम्बन्धित स्वैच्छिक संगठनों, संघो, फैडरेशनों, व्यापार संघो, गैर सरकारी संगठनों, महिला संगठनों तथा संस्थाओं की महिलाओं को प्रभावित करने वाली सभी नीतियों और कार्यक्रमों के निरूपण, प्रबोधन और समीक्षा में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

महिला शक्ति–सम्पन्नता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और उप–क्षेत्रीय सहयोग को अनुभवों के आदान–प्रदान, विचारों तथा प्रौद्योगिकी के विनियम, संस्थाओं तथा संगठनों के साथ नेटवर्किंग के जरिए और द्वि–पक्षीय तथा बहु–पक्षीय भागीदारी के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता रहेगा।

महिलाओं के संवैधानिक, मानवाधिकार एवं भारतीय संविधान के संरक्षणकारी प्रावधान विस्तार एवं व्याख्या

अन्य देशो में अनुभव की गयी समस्या की अभिपूर्ति के परिणामस्वरूप भारतीय संविधान के अनुच्देद 253 में यह उपबन्धित किया गया है कि इस अध्याय के पूर्वगामी प्रावधानों में किसी भी बात के होते हुए, संसद को किसी अन्य देश अथवा देशों के साथ किसी

सन्धि, करार अथवा कन्वेन्शन, अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन संगम या अन्य निकायों के साथ किए गए किसी निर्णय के परिपालन हेतु सम्पूर्ण भारत अथ्ज्ञवा उसकी प्रादेशीय सीमा के किसी भाग के लिए विधि रचित करने की शक्ति प्राप्त है, इसके अतिरिक्त संविधान बालकों के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से कतिपय अन्य प्रावधानों की भी व्यवस्था करता है। वे प्रावधान दो प्रकार के हैं कुछ को मौलिक अधिकार पर भाग–ाा में सम्मिलित किया गया है जो किसी विधि न्यायालय में प्रवर्तनशील होते हैं और दूसरों को राज्य की नीति के निदेशक तत्वों पर भाग 4 में समाविष्ट किये गये हैं, जिन्हें विधि न्यायालय में अभिव्यक्त रूप में प्रवर्तनशील न होना बनाया गया है।

विधि के समक्ष समता

अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य भारत के राज्य–क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध

1. राज्य, किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, मूलवंश जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।

2. कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर–

क. दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, या

ख. पूर्णतः या भागतः राज्य–निधि से प्रेषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बन्धन या शर्त के अधीन नहीं होगा।

3. इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य के स्त्रियों और बालकों के लिए कोइ। विशेष उपबन्ध करने में निवारित नहीं करेंगी।

4. इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खण्ड 2 की कोई बात राजय की सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछडे हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और

अनूसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी।

लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता

1. राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से सम्बन्धित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी।

2. राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्‌भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा।

3. इस अनुच्छेद की कोई बात संसद की कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो किसी राजय या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के या उसमें से किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति के पहले उसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती है।

4. इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पद में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए उपबन्ध करने में निवारित नहीं करेगी।

5. इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभावी नहीं डालेगी, जो यह उपबन्ध करती हैं कि किसी धार्मिक या साम्प्रादियक संस्था के कार्यकलाप से सम्बन्धित कोई पदधारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट सम्प्रदाय का ही हो।

अस्पृश्यता का अन्त

'अस्पृश्यता' का अन्त किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। 'अस्पृश्यता' से उपजी किसी नियोग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा।

वाक्–स्वातन्त्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण

1. सभी नागरिकों को–

क. वाक्–स्वातन्त्र्य और अभिव्यक्ति–स्वातन्त्र्य का,

ख. शान्तिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का,

ग. संगम या संघ बनाने का,

घ. भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का,

ड. भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग से निवास करने और बस जाने का,

च. .कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करने का अधिकार होगा।

2. खण्ड (1) के उपखण्ड (क) की कोई बात उक्त उपखण्ड द्वारा दिए गए, अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखण्डता राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ गैत्रीपूर्ण सम्बन्धों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय–अवमान, मलहानि या अपराध–उद्दीपन के सम्बन्ध में युक्तियुक्त निर्बधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी।

3. उक्त खण्ड के उपखण्ड (ख) की कोई उक्त उपखण्ड द्वारा दिए गए, अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभूता और अखण्डता या लोक व्यवस्था के हितों में युक्तियुक्त निर्बधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है यहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने राज्य को निवारित नहीं करगी।

मानव दुर्व्यापार और बलातश्रम का प्रतिषेध

संविधान के अनुच्छेद 23 में यह उपबन्धित किया गया है कि मनुष्य जाति के दुर्व्यापार तथा बेारी एवं इसी प्रकार की बेगारी के अन्य स्वरूपों को प्रतिषिद्ध किया गया है। इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन विधि अनुसार दण्डनीय अपराध होगा।

अनुच्छेद 24 में यह उपबन्ध किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी भी कारखाने अथवा खान में कार्य करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा अथवा उसे अन्य किसी जोखमपूर्ण नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।

पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिव राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि उचित विधान के अभवा में भी, अनुच्छेद 24 के प्रावधान स्वबल से

प्रवर्तित होना चाहिए। अतः चालक यिोजन अधिनियम, 1938 की अनूसूची में संनिर्माण उद्योग के निविर्देश के अभवा के होते हुए भी 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को संनिर्माण उद्योग में नियोजित नहीं किया जा सकता है जो न्यायालय की राय में, निःसन्देह जोखिमपूर्ण कार्य है। निजी नागरिकों के विरूद्ध प्रवर्तनीय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की दशा में, जैसे कि अनुच्छेद 17, 23 इस उल्लंघन की निषेधाज्ञा करने तथा ऐसे निजी व्यक्ति जो उसका उल्लंघन कर रहा हा, मौलिक अधिकार के परिपालन को सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक कदम उठाना राज्य का संवैधानिक दायित्व है।

होटल क्लार्क शिराज बनाम यू.पी. राज्य के वाद में यह अवधारित किया गया कि होटल एक उद्योग होने के कारण यदि यह अपने कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन भी नहीं दे सकता तो इसे अस्तित्व में रहने का कोई अधिकार नहीं है।

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत वैवाहिक उपचार कुटूम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984

उद्देश्य :

विवाह और कौटूम्बिक बातों से सम्बन्धित विवादों में सुलह करने और उनका शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने की दृष्टि से कुटूम्ब न्यायालय स्थापित करने का और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया।

कुटूम्ब न्यायालयों की स्थापना – (1) इस अधिनियम द्वारा किसी कुटुम्ब न्यायालय को प्रदत्त अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात् और अधिसूचना द्वारा–

क. इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात यथाशीघ्र, राज्य में किसी नगर या कस्बे के ऐसे प्रत्येक क्षेत्र के लिए, जिसकी जनसंख्या दस से अधिक है, कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करेगी।

ख. राज्य में ऐसे अन्य क्षेत्रों के लिए, जिन्हें वह आवश्यक समझे, कुटुम्ब न्यायालय स्थापित कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात् अधिसूचना द्वारा उस क्षेत्र की स्थापित परिसीमाएं विनिर्दिष्ट करेगी जिस तक किसी कुटुम्ब न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार होगा

और ऐसी परिसीमाओं को किसी भी समय बढ़ा, घटा या परिवर्तित कर सकेगी।

न्यायाधीशों की नियुक्ति – धारा 4 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रावधान किए गए है–

1. राज्य सरकार, उच्च न्यायालय की सहमति से एक या अधिक व्यक्तियों को कुटुम्ब न्यायालय के न्यायाधीश या न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त कर सकेगी।
2. जब कोई कुटुम्ब न्यायालय एक से अधिक न्यायाधीशों से मिलकर बनता है, तब–

क. प्रत्येक न्यायाधीश, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा न्यायालय को प्रदत्त सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा,

ख. राज्य सरकार उच्च न्यायालय की सहमति से, किसी भी न्यायाधीश को प्रधान न्यायाधीश और किसी अन्य न्यायाधीश को अपर प्रधान न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगी।

ग. प्रधान न्यायाधीश, न्यायालय के विभिन्न न्यायाधीशों के बीच न्यायालय के कारबार के वितरण के लिए समय–समय पर ऐसे इन्तजाम कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

घ. अपर प्रधान न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश का पद रिक्त होने की दशा में या जब प्रधान न्यायाधीश अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तब प्रधान न्यायाधीश की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

(3) कोई व्यक्ति, न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा, तब–

क. वह भारत में कोई न्यायिक पद या किसी अधिकरण के सदस्य का पद अथवा संघ या राज्य के अधीन ऐसो कोई पद कम से कम सात वर्ष तक धारण कर चुका हो जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित है, या

ख. वह किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या

ग. उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हों, जो केन्द्रीय सरकार, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को सहमति से, विहित करें।

(4) न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों का चयन करते समय–

क. यह सुनिश्चित करने का भरसक प्रयास किया जाएगा कि उन व्यक्तियों का भी चयन किया जाए तो विवाद–संस्था की सुरक्षा

करने और से बनाए रखने के लिए तथा बालकों के कल्याण की अभिवृति के लिए प्रतिबद्ध है और जो सुलह और परामर्श द्वारा विवादों का निपटारा कराने के अपने अनुभव और विशेषज्ञता के कारण अर्हित है और

ख. महिलाओं को अधिमान्यता दी जाएगी।

(5) कोई व्यक्ति, बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात कुटुम्ब न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया जाएगा और न्यायाधीश का पद धारण नहीं करेगा।

(6) किसी न्यायाधीश को संदेय वेतन या मानदेय और अन्य भत्ते तथा उसकी सेवा के अन्य निर्बन्धत और शर्तें ऐसी होगी जो राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से परामर्श करके विहित करें।

कुटुम्ब न्यायालय के परामर्शदाता, अधिकारी और अन्य कर्मचारी – (1) राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करके, कुटुम्ब न्यायालय के कृत्यों के निर्वहन में उसकी सहायता करने के लिए अपेक्षित परामर्शदाताओं, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संख्या और प्रवर्गों का अवधारणा करेगी और कुटुम्ब न्यायालय के लिए ऐसे परामर्शदाताओं, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी, जो वह ठीक समझे।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट परामर्शदाताओं के सहयोजन के निर्बन्धन और शर्ते तथा अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निर्बन्धन और शर्ते ऐसी होगी जो राजय सरकार बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

अधिकारिता –(1) इस अधिनियम से अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए–

क. कुटुम्ब न्यायालय को, स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट प्रकृति के वादों और कार्यवाहियों को बाबत, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी जिला न्यायालय द्वारा प्रयोक्तपूर्ण अधिकारिता होगी और वह उनका प्रयोग करेगा।

ख. कुटुम्ब न्यायालय के बारे में ऐसी विधि के अधीन ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह ऐसे क्षेत्र के लिए जिस पर कुटुम्ब न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार है, यथास्थिति, जिला न्यायालय या अधीनस्थ सिविल न्यायालय है।

स्पष्टीकरण – इस उपधारा में निर्दिष्ट वाद और कार्यवाहियां निम्नलिखित, प्रकृति के वाद और कार्यवाहियां हैं, अर्थात्–

क. किसी विवाह के पक्षकारों के बीच (विवाह को, यथास्थिति, आकृति और शून्य घोषित करने के लिए या विवाह को बातिल करने के लिए) विवाह की अकृतता या दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन या न्यायिक पृथक्करण विवाह के विघटन की डिक्री के लिए कोई वाद या कार्यवाही।

ख. किसी व्यक्ति के विवाह की विधिमान्यता के बारे में या उसकी प्रास्थिति के बारे में घोषणा के लिए कोई वाद या कार्यवाही।

ग. किसी विवाह के पक्षकारों के बीच ऐसे पक्षकारों की या उनमें से किसी की सम्पति बाबत कोई विवाद या कार्यवाहीं।

घ. किसी वैवाहिक संबंध से उत्पन्न परिस्थितियों में किसी आदेश या व्यादेश के लिए कोई वाद या कार्यवाहीं।

ड. किसी व्यक्ति के धर्मजत्व के बारे में किसी घोषणा के लिए कोई वाद या कार्यवाहीं।

च. भरण–पोषण के लिए कोई वाद या कार्यवाही।

छ. किसी व्यक्ति की संरक्षकता अथवा किसी अवस्यक की अभिरक्षा या उस तक पहुंच के संबंध में कोई वाद या कार्यवाहीं।

(2) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी कुटुम्ब न्यायालय को–

क. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 9 के अधीन जो पत्नि, सन्तान और माता–पिता के भरण पोषण के लिए आदेश के संबंध में है किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयुक्त अधिकारिता, और

ख. ऐसी अन्य अधिकारिता, जो किसी अन्य अधिनियमित द्वारा उसको प्रदत्त की जाए, भी होगी और वह उसका प्रयोग करेगा।

अधिकारिता का अपवर्जन और लम्बित कार्यवाहियां– धारा 8 अधिकारिता के अपवर्जन से सम्बन्धित है, जो इस प्रकार है–

जहां कोई कुटुम्ब न्यायालय किसी क्षेत्र के लिए स्थापित किया गया है, वहां–

क. धारा 7 की उपधारा (1) मे निर्दिष्ट किसी जिला न्यायालय या अधीनस्थ सिविल न्यायालय को, ऐसे क्षेत्र के संबंध में, इस उपधारा के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट, प्रकृति से किसी वाद या कार्यवाहीं की बाबत कोरी अधिकारिता नहीं होगी या वह उसका प्रयोग नहीं करेगा।

ख. किसी मजिस्ट्रेट को, ऐसे क्षेत्र के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 9 के अधीन कोई अधिकारिता या शक्तियां प्राप्त नहीं होगी या वह उसका प्रयोग नहीं करेगा।

ग. धारा 7 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट प्रकृति के प्रत्येक ऐसे वाद या कार्यवाहीं का और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 9 के अधीन प्रत्येक ऐसी कार्यवाहीं का–

1. जो ऐसे कुटुम्ब न्यायालय की स्थापना से ठीक पहले, यथास्थिति उस उपधारा मे ंनिर्दिष्ट किसी जिला न्यायालय या अधीनस्थ सिविल न्यायालय के समक्ष अथवा उक्त संहिता के अधीन किसी मजिस्ट्रैट के समक्ष लम्बित है, और
2. जो ऐसे कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष या उसके द्वारा की जानी या संक्षिप्त की जानी आपेक्षित होती यदि ऐसी तारीख से जिससे ऐसी वाद या कार्यवाहीं की गई थी या संस्थित की गई थी, पहले यह अधिनियम प्रवृत्त हो गया होता और ऐसा कुटुम्ब न्यायालय स्थापित हो गया होता।

रोमिला जयदेव स्त्रोफ बनाम जयदेव रजनीकान्त स्त्रोफ के वाद में अभिव्यक्ति जिला न्यायालय के संबंध में न्यायालय द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया कि जब उच्च न्यायालय अपनी सामान्य आरम्भिक अधिकारिता का प्रयोग ''फैमिली कोर्ट'' अधिनियम के अधीन करता है तो यह उसके अधीन जिला न्यायालय होगा और इस प्रकार उच्च न्यायालय अपनी सामान्य आरम्भिक अधिकारिता खो देता है।

पारिवारिक न्यायालय के समक्ष प्रक्रिया – धारा 9 से 18 तक प्रक्रिया से सम्बन्धित है जो इस प्रकार है–

समझौता कराने के लिए प्रयत्न करने का न्यायालय का कर्त्तव्य – (1) जहां मामले की प्रकृति और परिस्थितियों के अनुसार ऐसा करना सम्भव है वहां प्रत्येक वाद या कार्यवाहीं में कुटुम्ब न्यायालय सर्वप्रथम यह प्रयास करेगा कि वाद या कार्यवाहीं की विषय–वस्तु की बाबत किसी समझौते पर पहुचने के लिए पक्षकारों की सहायता की जाए या उन्हें माना जाए और इस प्रयोजन के लिए कुटुम्ब न्यायाल, उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

(2) यदि किसी वाद या कार्यवाहीं के किसी प्रक्रम पर कुटुम्ब न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि पक्षकारां के बीच समझौते की युक्तियुक्त सम्भावना है तो कुटुम्ब न्यायाल, कार्यवाहियों को ऐसी अवधि के लिए, जो वह ठीक समझे स्थगित कर सकेगा जिससे कि ऐसा समझौता कराने के लिए प्रयत्न किया जा सके।

(3) उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति कार्यवाहियों को स्थगित करने की कुटुम्ब न्यायालय की किसी अन्य शक्ति के अतिरिक्त होगी न कि उसके अल्पीकरण में।

प्रक्रिया साधारणतः – (1) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों और नियमों के अधीन रहते हुए, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्ध किसी कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष वादों ओर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 9 के अधीन कार्यवाहियों से भिन्न कार्यवाहियों को लागू होंगे और संहिता के उक्त उपबन्धों के प्रयोजनों के लिए कुटुम्ब न्यायालय को सिविल न्यायालय समझा जाएगा और उसे ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होगी।

(2) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों और नियमों के अधीन रहते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध, किसी कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष उस संहिता के अध्याय 9 के अधीन कार्यवाहियों को लागू होगी।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) की कोई बात किसी कुटुम्ब न्यायालय की वाद या कार्यवाहियों की विषयवस्तु की बाबत किसी समझौते पर या एक पक्षकार द्वारा अभिकथित और दूसरे पक्षकार द्वारा प्रत्याख्यापित तथ्यों की सत्यता पर पहुंचने की दृष्टि से अपनी प्रक्रिया अथिकथित करने से नहीं रोकेगी।

कार्यवाहियों का बन्द कमरे में किया जाना – धारा 11 के अनुसार ऐसे प्रत्येक वाद या कार्यवाहीं में जिसे वह अधिनियम लागू होता है यदि

कुटुम्ब न्यायालय ऐसा चाहता है तो कार्यवाहियां बन्द कमरे में की जा सकेंगी और यदि दोनों पक्षकारों में से कोई ऐसा चाहता है तो कार्यवाहींयां बन्द कमरे में की जाएगी।

धारा 12 के अनुसार प्रत्येक वाद या कार्यवाहियों में, कुटुम्ब न्यायालय को इस अधिनियम द्वारा अधिरोपित, कृत्यों के निर्वहन में अपनी सहायता के प्रयोजनों के लिए किसी चिकित्सा विशेषज्ञ या ऐसे व्यक्ति की अधिमानता महिला की, यदि उपलब्ध हो चाहे वह पक्षकारों की नातेदार हो या नहीं, जिसके अन्तर्गत कुटुम्ब के कल्याण की अभिवृद्धि में वृत्तिक तौर पर लगा हुआ ऐसा कोई व्यक्ति है, जिसे न्यायालय उचित समझे, सेवाएं प्राप्त करने की स्वतंत्रता होगी।

विधिक प्रतिनिधित्व का अधिकार– किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी किसी कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष किसी वाद या कार्यवाहीं में कोई पक्षकार अधिकार के तौर पर इस बात का हकदार नहीं होगा कि उसका किसी विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाए–

परन्तु यदि कुटुम्ब न्यायालय न्याय के हित मे यह आश्यक समझता है तो वह किसी विधि विशेषज्ञ की न्याय–मित्र में सहायता ले सकेगा।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का लागू होना– (1) कोई कुटूम्ब नयायलय एऐसी किसी रिपोर्ट, कथन, दस्तावेज जानकारी या बात की, जो उसकी राय में किसी विवाद के, प्रभावकारी रीति में कार्यवाहीं करने में उसकी सहायता कर सकेगी, चाहे वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अधीन अन्यथा सुसंगत या ग्राहा हो या नहीं, साक्ष्य के रूप में प्राप्त कर सकेगा।

धारा 15 के अनुसार किसी कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष वादों या कार्यवाहियों में, यह आवश्यक नहीं होगा कि साक्षियों का साक्ष्य विस्तार से अभिलिखित किया जाए किन्तु न्यायाधीश जैसे–जैसे प्रत्येक साक्षी की परीक्षा होती जाती है वैसे–वैसे साक्षी ने जो अभिसाक्ष्य दिया है उसके सांराश का ज्ञापन अभिलिखित करेगा या अभिलिखित कराएगा और ऐसे ज्ञापन पर साक्षी और न्यायाधीश हस्ताक्षर करेगा और वह अभिलेख का भाग होगा।

धारा 16 के अनुसार किसी व्यक्ति का ऐसा साक्ष्य, जो औपचारिक साक्ष्य है शपथ–पत्र पर दिया जा सकेगा और सभी न्यायसंगत अपवादों के अधीन रहते हुए, किसी कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष किसी वाद या कार्यवाहीं में साक्ष्य में पढ़ा जा सकेगा।

(2) यदि कुटुम्ब न्यायालय वह ठीक समझता है तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को समन कर सकेगा और उसके शपथ पत्र में अन्तर्विष्ट तथ्यों के बारे में उनकी परीक्षा कर सकेगा तथा वाद या कार्यवाहीं के पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर ऐसा करेगा।

धारा 17 यह प्रावधानित करता है कि किसी कुटुम्ब न्यायालय के निर्णय में मामले का संक्षिप्त कथन, अवधार्य प्रश्न उस पर उसका विनिश्चिय के कारण होंगे।

धारा 18 डिक्रियां और आदेशों के निष्पादन से सम्बन्धित है। इसके अनुसार किसी कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पारित किसी डिक्री या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 9 के अधीन पारित आदेश से भिन्न आदेश का वही बल और प्रभाव होगा जो किसी सिविल न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश का होता है और उसका निष्पादन उसी रीति से किया जाएगा जो डिक्रियों और आदेशों के निष्पादन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा विहित की गई हैं।

किसी कुटुम्ब न्यायालय द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 9 के अधीन पारित किसी आदेश का निष्पादन उस संहिता द्वारा ऐसे आदेश के निष्पादन के लिए विहित रीति से किया जायेगा।

किसी डिक्री या आदेश का निष्पादन उस कुटुम्ब न्यायालय द्वारा, जिसने वह पारित किया था या ऐसे किसी अन्य कुटुम्ब न्यायालय या मामूली सिविल न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा जिसे वह निष्पादन के लिए भेजा गया है।

धारा 19 अपील सम्बन्धी प्रावधान निर्मित करता है। इसके अनुसार उपधारा (2) में जैसा उपबन्धित है उसके सिवास और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में या किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए न्यायलय में तथ्यों और विधि, दोनों के संबंध में होगी।

कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पक्षकारों की सहमति से पारित किसी डिक्री या आदेश की कोई अपील नहीं होगी।

इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, किसी कुटुम्ब न्यायालय के निर्णय, या आदेश की तारीख से तीन दिन की अवधि के भीतर की जाएगी।

इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में तद्संगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

1. उच्च न्यायालय, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे नियम बना सकेगा जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे।
2. विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात्–

क. कुटुम्ब न्यायालय के प्रसामान्य काम के घण्टे और अवकाश के दिनों में और प्रसामान्य काम के घण्टों के बाहर न्यायालयों की बैठकें करना,

ख. कुटुम्ब न्यायालयों की बैठकों के मामूली स्थानों से भिन्न स्थानों पर उनकी बैठकें।

ग. किसी समझौते पर पहुंचने के लिए पक्षकारों की सहायता करने और उन्हें ममाने के लिए किसी कुटुम्ब न्यायालय द्वारा किए जाने वाले प्रयास और अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया।

धारा 22 केन्द्रीय सरकार के नियम बनाने की शक्ति से सम्बन्धित है। केन्द्रीय सरकार, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (ग)

में निर्दिष्ट अन्य अर्हताएं विहित करते हुए नियम अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के प्श्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, ज बवह सत्र में हो, कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि इस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक वाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम मे ंकेई परिवर्तन करने के लिए सहमति हो जाए तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात वह निष्प्रभावी हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति – राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

2. विशिष्टतया और उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों मे निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात्–

1. धारा 4 की उपधारा (6) के अधीन न्यायधीशों के संदेय वेतन या मानदेय और अन्य भत्ते तथा उनके अन्य निबन्धन और शर्ते।
2. परामर्शदाताओं के सहयोजन के निबन्धन और शर्तें तथा धारा 1 मे निर्दिष्ट अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा व निबन्धन और शर्ते।
3. धारा 12 में निर्दिष्ट चिकित्सा और अन्य विशेषज्ञों तथा अन्य व्यक्तियों को फीसों और व्ययों का राज्य सरकार के राजस्व में से संदाय और ऐसी फीसों और व्ययों के मापमान।
4. धारा 13 के अधीन न्यायमित्र के रूप में नियुक्त विधि व्यवसायियों की फीसों और व्ययों का राज्य सरकार के राजस्वों मे ंसे संदाय और ऐसी फीसों और व्ययों के मापमान।
5. कोई अन्य विषय जो नियमों द्वारा विहित या उपबन्ध किया जाना अपेक्षित है या किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन किसी राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य के विधान मण्डल के समक्ष रखा जाएगा।

बालक (श्रम गिरवीकरण) अधिनियम, 1933

इस अधिनियम को 15 वर्ष से कम आयु के बालकों के गिरवीकरण प्रथा पर रोक लगाने के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम के अनुसार इस प्रकार किया गया कोई भी करार शून्य था। तथापि अधिनियम की धारा 2 के अन्तर्गत ऐसे किसी करार की अनुमति दी गई थी जहां करार बालक के प्रति हानिकर न हो तथा बालक की सेवाओं के बदले अदा की जाने वाली युक्तियुक्त मजदूरों से भिन्न किसी अन्य लाभ के प्रतिफल में न किया गया हो और इस करार को 6 सप्ताह से अनधिक की नोटिस से समाप्त किया जा सकता था।

राज्य के नीति निर्देशक तत्व

संविधान, जो राज्य नीति के कतिपय निदेशक तत्वों को निर्दिष्ट करता है, के भाग 4 में बालकों के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित प्रावधानों को बनाया गया है–

अनुच्छेद 39 में यह उपबन्ध किया गया है कि राज्य विशेषकर निम्न की प्राप्ति हेतु अपनी नीति निर्देशित करेगा–

1. यह कि कर्मकारों, पुरूषों तथा स्त्रियों और नाजुक उम्र के बालकों के स्वास्थ्य तथा बल का दुरूपयोग न हो तथा नागरिक अपनी आयु अथवा बल के लिए अनुपयुक्त व्यवसायों में प्रवेश करने की आर्थिक आवश्यकता से विवश न हो।
2. यह कि बालकों को स्वस्थ ढ़ंग से एवं आजादी तथा मर्यादित स्थितियों में विकसित होने के अवसर एवं सुविधाएं दी जाए तथा बाल्यावस्था तथा युवावस्था की नैतिक एवं भौतिक परित्याग से रक्षा की जाये।

अनुच्छेद 41 में यह उपबन्धित किया गया है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता एवं विकास की सीमाओं के भीतर शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावकारी उपबन्ध करेगा।

अनुच्छेद 45 में यह उपबन्धित किया गया है कि संविधान के प्रारम्भ होने से 10 वर्ष की अवधि के भीरत बालकों के लिए, जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा।

संविधान निर्माताओं ने यह महसूस किया था कि न्यायिक रूप से प्रवर्तनीय शिक्षा का अधिकतर व्यावहारिक नहीं हो सकेगा। अतः अनुच्छेद 41 में राज्य को आर्थिक क्षमता तथा विकास की सीमाओं के भीतर शिक्षा के सामान्य अधिकार की व्यवस्था करने की अनुमती दी गई है, लेकिन 14 वर्ष की आयु तक के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। संविधान ने केवल 10 वर्ष की समय सीमा ही नियम की है। तथापि संविधान के प्रवर्तन के 51 वर्षों के पश्चात ही देश उस लक्ष्य की प्राप्ति करने में असफल रहा है। संवैधानिक प्रावधानों की भावना यह है कि बच्चों की जोखिमों में नहीं डाला जाना चाहिए तथा 14 वर्ष तक उन्हें नियोजित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि बाल्यावस्था रचनात्मक अवधि होती है और अनुच्छेद 45 के निबन्धनों के अनुसार, उन्हें निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दी जानी आवश्यक है। तथापि, यह निदेशक तत्व प्रवर्तित नहीं किया जा सका क्योंकि आर्थिक आवश्यकता विकसित बालकों को नियोजन की तलाश करने के लिए विवश करती है।

न्यायालय ने इस तथ्य का अवलोकन किया है कि बालकों के कोमल हाथ विनिर्मित उत्पाद की छंटाई करने तथा उसके बण्डल बांधने की प्रक्रिया के लिए अधिक उपयुक्त है। न्यायालय ने यह

अभिनिर्धारित किया कि उनकी विशेष अनुकूलश्नीयता पर विचार करते हुए फैक्ट्रियों में किसी वयस्क कर्मचारी की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का कम से कम 60 प्रतिशत बालकों को यही काम करने के लिए दिया जाना चाहिए। तथापि, न्यायालय ने यह बात स्पष्ट की है कि न्यूनतम मजदूरी का उसका संकेत उच्चतर दर निर्धारित करने के का मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा, बशर्ते राज्य इस बात के लिए समाधान हो जाए के उच्चतर दर विकास क्षय रही हों न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि शिक्ष, मनोरंजन की विशेष सुविधाए तथा समाजीकरण के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। विद्यालय का समय इस प्रकार समायोजन किया जाना चाहिए कि नियोजन प्रभावित न हों।

यद्यपि मौलिक अधिकारों से भिन्न ये प्रावधान विधि न्यायालय में वाद योग्य नहीं है लेकिन फिर भी संविधान द्वारा उन्हें देश के शासन में मौलिक घोषित किया गया है। अतः राज्य का यह कर्तव्य है कि वह भाग 4 में निर्दिष्ट सिद्धान्तों के अनुसार विधियों की रचना करें।

मूल कर्त्तव्य

भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह–

1. संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र–ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे।

2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को ह्रदय में संजोए रखे और उनका पालन करे।
3. भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे।
4. देश की रक्षा करे और आह्यन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे।

सारणी –4.1

घरेलू हिंसा होने के आधार पर वर्गीकरण

क्र.स.	घरेलू हिंसा	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	130	54.17
2	नहीं	50	20.83
3	कोई जवाब नहीं	66	25.00
	कुल	**240**	**100.00**

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता हैं कि चयनित उत्तरदाताओं में 130 महिलाएं घरेलू हिंसा के शिकार है जिनका प्रतिशत 54.17 है तथा 50 महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार नहीं है जिनका प्रतिशत 20.83 है तथा 66 महिलाएं ऐसी है जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

सारणी –4.2

घरेलू हिंसा कानून की जानकारी के आधार पर वर्गीकरण

क्र.स.	घरेलू हिंसा कानून की जानकारी	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	72	30.00
2	नहीं	144	60.00
3	पता नहीं है	24	10.00
	कुल	**240**	**100.00**

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता हैं कि चयनित उत्तरदाताओं में से 144 महिलाएं जिनका प्रतिशत 60.00 है, उन्हें कानून की जानकारी है तथा 72 महिलाएं जिनका 30.00 प्रतिशत है वे कानून को नहीं जानती तथा 10 प्रतिश्त अर्थात 24 महिलाओं को कानून का कोई पता नहीं है।

सारणी –4.3

घरेलू हिंसा करने के आधार पर वर्गीकरण

क्र.स.	घरेलू हिंसा कर्त्ता	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	पति	140	58.33
2	सास	78	32.50
3	ननद	22	09.17
4	अन्य	00	00.00
	कुल	**240**	100.00

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता हैं कि चयनित उत्तरदाताओं में से सबसे अधिक महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा उनके पति द्वारा की जाती है जिसका प्रतिशत 58.33 है। 32.50 प्रतिशत महिलाओ पर हिसां उनकी सास द्वारा की जाती है। 9.17 प्रतिशत महिला ऐसी है जो ननद द्वारा घरेलू हिंसा की शिकार है।

सारणी –4.4

घरेलू हिंसा व्यक्तिगत मामला के आधार पर वर्गीकरण

क्र.स.	घरेलू हिंसा व्यक्तिगत मामला	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	220	91.67
2.	नहीं	20	08.33
	कुल	**240**	**100.00**

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता हैं कि चयनित उत्तरदाताओं में से 220 महिलाए घरेलू हिंसा को व्यक्तिगत मामला मानती है जिनका प्रतिशत 91.67 है तथा 20 महिलाएं इसे व्यक्तिगत मामला नहीं मानती है जिनका प्रतिशत 8.33 है।

सारणी – 4.5
परिवार में निर्णय के आधार पर वर्गीकरण

क्र.स.	निर्णय के आधार	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	केवल पुरूष	102	42.50
2.	केवल महिला	90	37.50
3.	महिला पुरूष दोनों	48	**20.00**
	कुल	**240**	**100.00**

5.

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता हैं कि चयनित उत्तरदाताओं में से 102 महिलाओं ने कहा कि उनके घर में निर्णय पुरूष लेते है। 90

उत्तरदाताओं ने कहा की वह स्वयं लेती है तथा सबसे कम 48 उत्तरदाताओं ने कहा कि महिला पुरूष दोनों लेते है। जिसका प्रतिशत 20 है।

सारणी –4.6

घरेलू हिंसा को हिंसा मानते के आधार पर वर्गीकरण

क्र.स.	घरेलू हिंसा को हिंसा मानते के आधार पर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	74	**30.83**
2.	नहीं	166	**69.17**
	कुल	**240**	**100.00**

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि चयनित उत्तरदाताओं में से 166 महिलाओं के अनुसार परिवार में होने वाली हिंसा घरेलू हिंसा नहीं है जबकि 74 महिलाएं ऐसी है जिन्होंने घरेलू हिंसा को हिंसा होना माना है।

इसके पीछे उत्तरदाताओं का उद्देश्य पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझना रहा है तथा गृह शान्ति ही उनकी कामना है।

सारणी – 4.7

घरेलू हिंसा के लिए दोषी होने के आधार पर वर्गीकरण

क्र.स.	घरेलू हिंसा के लिए दोषी	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	पति	122	50.83
	पत्नि	42	17.50
2.	सास	48	20.00
	सभी	28	11.67
	कुल	**240**	**100.00**

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता हैं कि चयनित उत्तरदाताओं में से 122 उत्तरदाता हिंसा के लिए पति को दोषी मानतीे है तथा 20 प्रतिशत महिलाए सास को दोषी मानती है। 17.50 प्रतिशत महिलाएं स्वयं को दोषी मानती है तथा सबसे कम 11.67 प्रतिशत महिलाएं मानती है कि घरेलू हिंसा के लिए सभी दोषी है।

सारणी –4.8

घरेलू हिंसा कानून महिलाओं को जागरूक के आधार पर वर्गीकरण

क्र.स.	महिला जागरूकता के आधार पर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	36	**15.00**
2	जवाब नहीं दिया	60	25.**00**
3	पता नहीं	144	60.**00**
	कुल	**240**	**100.00**

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता हैं कि चयनित उत्तरदाताओं में सबसे अधिक संख्या 144 उत्तरदाताओं को घरेलू हिंसा कानून के बारे में पता नहीं है तथा 25 प्रतिशत जिनकी संख्या 60 है उन्होंने कानूनों प्रति जागरूकता के बारे में कोई जवाब नहीं दिया तथा 15 प्रतिशत महिलाएं ही घरेलू हिंसा कानून के बारे में जानती है।

सारणी – 4.9

घरेलू हिंसा से बच्चों पर प्रभाव पडने के आधार पर वर्गीकरण

क्र.स.	बच्चों पर प्रभाव	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	अच्छा	00	00.00
2	बुरा	212	88.33
3	पता नहीं	28	11.67
	कुल	**240**	**100.00**

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता हैं कि चयनित उत्तरदाताओं में 212 महिलाओं ने माना कि घरेलू हिंसा से बच्चों पर बुरा प्रभाव पडता है तथा 11.67 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि उनको पता नहीं कि कोई प्रभाव पड़ता भी है एवं 88.33 प्रतिशत महिलाओं ने घरेलू हिंसा से बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है।

सारणी –4.11
महिला ही महिला की शत्रु (दुश्मन) के आधार पर वर्गीकरण

क्र.स.	महिला ही महिला की शत्रु	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	138	57.50
2	नहीं	78	32.50
3	पता नहीं	24	10.00
	कुल	**240**	100.00

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता हैं कि चयनित उत्तरदाताओं में से महिलाओं 57.50 प्रतिशत महिलाओं ने माना कि एक महिला ही दूसरी महिला की शत्रु है। 32.50 महिलाओं ने माना कि नहीं है जबकि 10 प्रतिश्त उत्तरदाताओं का मानना था कि वह इसके बारे में कुछ नहीं जानती है।

सारणी से स्पष्ट होता है कि घरेलू हिंसा के लिए सास, ननद, पत्नि, जेठानी आदि सम्मिलित होती है अतः यह कहा जाना सार्थक है कि एक महिला ही महिला की शत्रु है।

सारणी – 4.12

प्रताड़ित महिला की जिम्मेदारी के आधार पर वर्गीकरण

क्र.स.	घरेलू हिंसा की शिकार महिला	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	60	25.00
	कोई जवाब नही	52	21.67
2.	पता नहीं	128	53.33
	कुल	**240**	**100.00**

7.

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता हैं कि चयनित उत्तरदाताओं में से 25 प्रतिशत महिलाएं यह मानती है कि घरेलू हिंसा के लिए वह स्वयं जिम्मेदार है। 21.67 प्रतिशत महिलाओं ने इसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया जबकि सबसे अधिक 53.33 प्रतिशत महिलाओं को यह पता नहीं है कि घरेलू हिंसा के लिए वह सबसे अधिक जिम्मेदार है।

सारणी –4.13

कम दहेज देने के आधार पर वर्गीकरण

क्र.स.	कम दहेज देने	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	132	55.00
2.	नहीं	90	37.50
3.	कोइ जवाब नहीं	18	07.50
	कुल	**240**	**100.00**

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता हैं कि चयनित उत्तरदाताओं में से 55 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते है कि घरेलू हिंसा का मुख्य कारण विवाह के समय कम दहेज देना है जबकि 37.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि दहेज घरेलू हिंसा का कारण नहीं है तथा 07.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कोई जवाब नहीं दिया।

सारणी – 4.14

परिवार के अन्य सदस्यों के साथ घरेलू हिंसा के आधार पर वर्गीकरण

क्र.स.	अन्य सदस्यों के साथ हिंसा के आधार पर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	49	**20.42**
2.	नहीं	156	**65.00**
3.	पता नहीं	35	**14.58**
	कुल	**240**	**100.00**

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि चयनित उत्तरदाताओं में से 65 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके अतिरिक्त घर में किसी के साथ अहिंसा नहीं होती जबकि 20.42 उत्तरदाताओं ने कहा कि परिवार में उनके अतिरिक्त दूसरों के साथ भी घरेलू हिंसा की जाती है जबकि 14.58 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि इसके बारे में उनको कोई पता नहीं है।

अध्याय –पंचम

महिला सशक्तिकरण, कानूनी प्रावधान एवं प्रभाव

भारत का संविधान कानून के समक्ष सभी नागरिकों की समानता की गारण्टी देता है, फिर भी वास्तविकता यह है कि सदियों से चली आ रही सामाजिक व्यवस्थाओं के दबाव में महिलायें अभी भी अधीनस्थ अवस्था में जी रही है और अपने संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करने में सफल नहीं हुई है। महिलाओं की वास्तविक स्थिति को मान्यता देते हुए, संविधान भीमहिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेद के लिए प्रावधान करता है। राजस्थान सरकार समानता, सामाजिक न्याय तथा लिंग,जाति, समुदाय, भाषा व धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करने की संवैधानिक गारण्टी हेतु कार्य करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दुहराती है। यह नीति संविधान की इस भावना को अपना प्रेरणा स्रोत मानती है।विश्व विकास के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान को महिलाओं के निम्न स्तर, पुरूष प्रधान समाज, सामन्ती प्रथाएॅ एवं मूल्यों, जातीयआधारपर घटित सामाजिक ध्रुवीकरण, अशिक्षा एवं अत्यधिक दरिद्रता के पर्याय स्वरूप देखा जाता रहा है। कुछ सीमा तकतो राजस्थान की यह छवि संचार माध्यमों व चलचित्रों की देन हो सकती है,

परन्तु एक कटु सत्य यह है कि राजस्थानी समाज में बालिकाओं व महिलाओं को अनचाहा बोझ समझा जाता है। यह राज्य में प्रतिकूल लिंगानुपात जहॉ (926) से स्पष्ट हो जाता है। इसमें क्षेत्रीय अन्तर बहुत अधिक है, यथा झुंझनु जिले में लिंगानुपात जहॉ 837 है वहां बांसवाडा जिले में 934 है। विपरीत लिंगानुपात की दृष्टि से सबसे निचले स्तर के जिले झुंझनु 837, सीकर, 848 करौली, 852 गंगानगर 854, धौलपुर 857, गंगानगर 877, बांसवाडा जिले में 934, प्रतापगढ़ 933, भीलवाड़ा 928, उदयपुर, डुगरपुर 922 है (भारत की जनगणना, 2011)। इस स्थिति के लिए अनेक सामाजिक कारण है तथा लिंगानुपात समाज में महिलाओं की वर्तमानसामाजिक–आर्थिक दशा एवं उनकी स्थिति का परिणाम है।

महिला शिशु मृत्यु दर, आयु विशेष पर महिलाओं कीअस्वस्थता एवं मृत्यु, शैक्षिक पहुंच एवं उपलब्धि, कार्य में सहभागिता, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुॅच, अपर्याप्त पोषाहार एवं अन्यविकास सूचक बिन्दु समाज में महिलाओं की निम्न स्थिति को निर्दिष्ट करते है। सती एवं बालिका वध प्रथा जैसी कुरीतियॉ कई शताब्दियों तक सामान्य प्रक्रिया के रूप में चलती रहीं। पर्दा प्रथा एवंदहेज प्रथा आज भी राज्य में व्यापक रूप से प्रचलित है। यह भी माना जाता है कि महिलाओं के विरूद्ध घरेलू एवं यौन हिंसा बहुतायत से

व्याप्त है। यहां महिला साक्षरता देश में सबसे निचले स्तर पर है। बीमारी एवं अनदेखी के कारण लड़कों की तुलना में बड़ी संख्या में 4 वर्ष की आयु में लड़कियों की मृत्यु हो जाती है। यह सर्व विदित है कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान की महिलाये एवं बालिकायें निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य, दमन, सामाजिक भेदभाव, दरिद्रता एवं निर्बलता के भार से अधिक दबी हुई है। बाल विवाह प्रथा की निरन्तरता एवं कन्याओं को 'पराया धन' समझने की प्रवृत्तिसे बहुत सही बालिकाओं का बचपन नष्ट हो जाता है तथा वे कामल आयु में ही घर की जिम्मेदारियों में डूब जाती है। शिक्षा एवं रोजगार के लिए घरों से बाहर निकलने वाली महिलाओं को परम्परागत सामाजिक तन्त्र की सुरक्षा से आगे भी सुरक्षा की आवश्यकता है जात पर्याप्त रूप में उपलब्ध नहीं है। नये सामाजिक मूल्यों, प्रभावी कानून एवं प्रवर्तन प्रथाओं के अभाव मे राजस्थान की महिलाओं को एक गंभीर संक्रमणकाल से गुजरना पड़ रहा है। वास्तव में यह चुनौतीपूर्ण समय है। दयनीय स्तर एवं विषम जीवन परिस्थितियों के रहते हुए भी, इस राजय की महिलाये अपने साहस, ताकत एवं दृढ़ निश्चय के लिए विख्यात है। ऐसे कठोर वातावरण में जीना, जहॉ पानी एवं ईधन की व्यवस्था हेतु कई घण्टे कठोर परिश्रम करना पड़े, अपने आप में एक प्रमुख उपलब्धि है।

राजस्थान की महिलायें अपनी कलात्मक भावना, गायन, नृत्य एवं पारस्परिक कलाओं के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। वे निर्माण स्थलों एवं सड़कों पर कठिन कार्य के वातावरण में कठोर मेहनत करने की अपनी क्षमता के लिए भी प्रसिद्ध है। जहॉ एक ओर महिलाये दिल्ली व अन्य पड़ौसी राज्यों में पुरूषों के साथकंधे से कंधा मिलाकर कठिन परिश्रम करती हुई देखी जा सकती है, वहीं दूसरी ओर कुछ समुदायों में जहॉ पुरूष जीविकोपार्जन के लिये बाहर गये हुए है, महिलाये कठिन परिस्थितिया ंमें अपनी गृहस्थी चलाती है।राजस्थान ही ऐसा पहला राज्य है जिसने 1984 में 6 जिलों में महिलाओं के विकास के लिए महिला विकास कार्यक्रमआरम्भ किया। तत्पश्चात् कार्यक्रम के आकलन के सकारात्मक परिणामों के फलस्वरूप वर्तमान में इस कार्यक्रम का विस्तारसम्पूर्ण राज्य में कर दिया गया है। यह अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में महिलाओं को निष्क्रियलाभार्थी के रूप में सेवायें एवं सुविधाऍ उपलब्ध कराना नहीं होकर इस कार्यक्रम का उद्धेश्य जानकारी, शिक्षा एवं प्रशिक्षणके माध्यम से महिलाओं का आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण करना तथा उन्हें विकास की मूल धारा से जोड़ना है। इस योजना की मुख्य रणनीति के अन्तर्गत इस कार्यक्रम में स्वयंसेवी

संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी का प्रावधान किया गया है। राज्य तथा जिला स्तर पर 'इदारा' (सूचना विकास एवं संदर्भ एजेन्सी) के रूप में किसी प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्था का चयन किया जाता है। 'इदारा' महिला विकास कार्यक्रम के लिए तकनीकी, अकादमिक एवं सन्दर्भ सहायता उपलब्ध कराता है।विभिन्न विभागों की अनेक योजनायें हैं जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उद्धेश्य महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना है।

महिला विकास कार्यक्रम इन सभी योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करता है। इसके लिए समस्त विकास कार्यो की जानकारी उन तक पहुॅचाना, उन्हें विकास की कड़ी बनाकर अधिक से अधिक लाभ अर्जित कराने का प्रयास करना है। सीमित संसाधनों के कारण कार्यक्रम की पहुॅच सीमित क्षेत्र तक है, परन्तु फिर भी इस तथ्य को नहीं नकारा जा सकताकि संबंधित क्षेत्र में चेतना जागृत करने, सामाजिक न्याय हेतु दृष्टिकोण के परिमार्जन एवं विकास कार्यो का लाभ ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचाने एवं नेतृत्व प्रदान करने में महिला विकास कार्यक्रम ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने दो और महत्वपूर्ण निर्णय लिये है जिनके तहत राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना की गई एवं महिलाओं के लिए सरकारी सेवाओं में 30

प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कदाचित् इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज राजस्थान की महिलायें लगभग सभी क्षेत्रों में आगे आने को आतुर है।महिला विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के अनुभवों से यह स्पष्ट होता है कि यदि उपयुक्त वातावरण तैयार कियाजावे, तो महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से सहजता से जोड़ा जा सकता है। हम उस दिन की आशा कर रहे है जब राजस्थान की महिलाओं को मानवीय विकास की निचली सीढ़ी पर नहीं रखा जायेगा। महिलाओं के लिए राजयसरकार द्वारा सीभी स्तरों पर समानता एवं सामाजिक न्याय हेतु महिलाओं के संघर्ष का समर्थन किया जाएगा। यह नीति उपयुक्त कानून बनाने तथा संसाधनों के न्यायपूर्ण आवंटन हेतु मार्गदर्शन प्रदानकरने का प्रयत्न करती है। यह दस्तावेज सरकार की नीति मात्र नही है अपितु यह समाज में समानता एवं सामाजिक न्याय के लिए महिलाओं के संघर्ष को प्रोत्साहित करने एवं बढ़ावा देने के लिए एक मंच है। अपेक्षा की जाती है कि नीति सभी प्रकार के संगठनों एवं संस्थाओं, न्यासों, कल्याणकारी निकायों एवं अन्य को समाज में व्यापक चर्चा एवं कार्य के लिए प्रेरित करेगी। गत कुछ वर्षो में महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश एवं तमिलनाडु राज्य सरकारों ने महिलाओं के लिए नीति की उद्घोषणा की है। भारत सरकार के महिला

एवं बाल विकास विभाग ने भी राष्ट्रय महिला नीति पर 1996–97 में एक चर्चा आरम्भ की थी। इन प्रयासों से समानता एवं सामाजिक न्याय के लिए महिलाओं के संघष में ऐसे दस्तावेज की उपादेयता पर चर्चा प्रारम्भ हुई। अनेक विशेषज्ञों का मत है कि प्रगतिशील नीतियॉ एवं कानूनी प्रावधान नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा में सहायक होते है। भारत का संविधान भी महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक विभेद को मान्यता प्रदान करता है। महिलाओं के पक्ष मे इससकारात्मक धारणा ने महिला समर्थक कानूनों, आरक्षण एवं विशेष कार्यक्रमों को वैधता प्रदान की है। राज्य सरकार की मान्यता है कि महिलाओं के पक्ष में उठाया गया प्रत्येक कदम समान अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष में महिलाओं की मदद करेगा। इस धारणा के साथ सरकार ने महिलाओं के लिए नीति उद्घोषित करने का निश्चय किया है। यह आशा की जाती है कि यह नीति पारम्परिक नीति दस्तावेजों से हटकर होगी। इसे एक कार्यकारी दस्तावेज, जोगतिशील एवं आशावादी दृष्टिकोण रखता है, के रूप में देखना उचित होगा। इस नीति में न तो सब प्रश्नों के उत्तर समाहित है और न ही महिलाओं से संबंधित सभी बिन्दुओं को शामिल करने का दंभ है। यह दस्तावेज परिधियों कोचिन्हित करने का प्रयास करता है तथा आशा है कि जैसे–जैसे अनुभव

प्राप्त होगा इसमें परिष्कार किया जाएगा। सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती नीतियों, कार्यक्रमों एवं आधारभूत वास्तविकता के बीच के अन्तर को पाटना है।

आज हमारा संविधान विश्व के सबसे अधिक प्रगतिशील संविधानों में से है। हमने जैण्डर क्षमता पर आधारित कानून एवं विधान बनाया है। हम समानता, भेदभाव न बरतने एवं सामाजिक न्याय के प्रति वचनबद्ध है। हम महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त करने वाले संयुक्त राष्ट्र के घोषणा–पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में से एक है (सीईडीएडब्ल्यू 1979)। इन्हें वास्तविक रूप में क्रियान्वित करने की चुनौती हमारे समक्ष है। इस दस्तावेज का उद्धेश्य कोई नई चीज न कहकर, इसदेश के कानूनों की क्रियान्विति सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करना है।

समाज में बालिकाओं तथा महिलाओं के स्तर एवं स्थिति में सुधार करने तथा शोषण एवं शोषणवादीकुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रक्रियाओं, पद्धतियों व तन्त्र को गतिशील बनाना व राज्य में महिलाओं एवं बालिकाओं के समग्र विकास हेतु सहायक वातावरण तैयार करना इस नीति

का उद्धेश्य है। इस उद्धेश्य की प्राप्ति के लिए उपाय निम्नानुसार उल्लेखित है :–

● ऐसी नीतियां एवं कार्यक्रम लागू करना जो लिंग समानता एवं सामाजिक न्याय (जैण्डर न्याय सहित) प्रदान करने तथा महिलाओं को अपने संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाएं।

● घर की अर्थव्यवस्था, समाज एवं राज्य में महिलाओं की उत्पादक भूमिका को मान्यता देना सरकार संसाधनों एवं विकास के परिमापों तक सबकी समान पहुॅच एवं नियंत्रण के लिए प्रयत्न करेगी।

● अत्यधिक दरिद्रता एवं विषम परिस्थितियों में बालिकाओं, किशोरी कन्याओं एवं महिलाओं की विशेष जरूरतों को मान्य ता देना व समाज के दुर्बल वर्गो के विकास हेतु प्रयासों को लक्षित करना।

● महिलाओं में कुपोषण, अस्वस्थता, जल्दी बच्चे पैदा होने एवं अधिक मृत्यु के जीवन–चक्र को मान्यता देना, महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति जीवन–चक्र के ऐसे दृष्टिकोण को अपनाना जो बचपन से वृद्धावस्था तक प्रत्येक चरण पर आवश्य कताओं को मान्यता देता है। महिलाओं को

प्रजनन स्वास्थ्य पर अधिक नियन्त्रण करने एवं अनचाहे गर्भधारण को रोकने के लिए सहायता प्रदान करना।

● सभी बालिकाओं को कम से कम प्राथमिक शिक्षा दिलाना, निरक्षर एवं नव–साक्षर किशोरियों एवं महिलाओं को बुनियादी एवं सतत शिक्षा के अवसर प्रदान कराना तथा महिलाओं को शिक्षा के सभी स्तरों पर समान सुविधा दिलाना।

● सभी स्तरों पर सभी विभागों में सरकारी कार्यकर्ताओं की जैण्डर संवेदनशीलता के लिए सहायक वातावरण एवं उपयुक्त तन्त्र सृजित करना तथा राजनीतिज्ञों, राय निर्माताओं एवं मीडिया को संवेदनशील करना।

● राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को प्रोन्नत करना एवं समर्थन देना तथा विकास में निर्णायक भूमिका निभाने वाली सरकारी व गैर–सरकारी संस्थाओं व संगठनों तक महिलाओं की पहुॅच को प्रोत्साहित करना। किसी भी नीति में व्यापक रूप से महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी कारकों को सूचीबद्ध करना संभव नही है। राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश में यह कार्य और भी दुष्कर हो जाता है जहॉ एक ओर क्षेत्रीय स्तर पर भौगोलिक विषमताऍ है,वही दूसरी ओर भिन्न–भिन्न सामाजिक व

पारस्परिक दृष्टिकोण महिलाओं के लिए असमानता के वातावरण को प्रभावित करते है।

सारणी –5.1

घरेलू हिंसा एक अपराध है के आधार पर वर्गीकरण

क्र.स.	घरेलू हिंसा एक अपराध	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	24	10.00
2	नहीं	180	75.00
3	जवाब नहीं	36	15.00
	कुल	**240**	**100.00**

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता हैं कि चयनित उत्तरदाताओं में सबसे अधिक संख्या 75 प्रतिशत उत्तरदाता घरेलू हिंसा को हिंसा मानते ही नही है। 10 प्रतिशत उत्तरदाता घरेलू हिंसा को हिंसा मानते है जबकि 15 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कोई जवाब नहीं दिया।

प्रत्येक समुदाय की अपनी कुछ परम्पराएँ एवं संस्कृति है जिनके स्वरूप को संरक्षित करते हुए उनमें व्याप्त कुप्रथाओं को दूर कर जैण्डर

समता का उद्धेश्य प्राप्त करना एक कठिन कार्य है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता के अनुरूप एक सकारात्मक सहयोग की भूमिका अदा करते हुए कार्य करे व इस प्रकार का वातावरण तैयार करे जिससे सभी वर्ग की महिलाएँ सशक्त व संगठित होकर समाज में सही स्थान पा सकें। इस नीति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह नीति एक व्यूह रचना के रूप में संविधान द्वारा प्रतिपादित समानता, सामाजिक न्याय व समान नागरिकता को आधार–स्तम्भ मानकर प्रारूपित की गई है। इस नीति की क्रियान्विति के लिए इसे त्रि–आयामी रूप प्रदान किया गया है। जिससे सरकार की भावना यथर्थ रूप में चित्रित होती है।

ये त्रिआयाम निम्नानुसार है–

प्रथम आयाम इस नीति को दार्शनिक आधार पर प्रदान करते हुए हमें कल्याणकारी विचारधारा के स्थान पर सशक्तिकरण व अधिकार प्रदत्त करेन की भावना को अधिक महत्व देता है। वर्तमान परिदृश्य में यह आवश्यक है कि इस प्रकार का वातावरण तैयार किया जाए जिससे कि महिलाएँ सामाजिक व राजकीय तंत्र पर पूर्णतः आश्रित न होकर स्वयं सशक्त हों तथा अपने अधिकारों व दायित्वों को समझते हुए विकास की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाएँ। इसके लिए प्रशासकों,नीति–निर्माताओं,

राजनीतिक व सामाजिक नेताओं एवं सेवा प्रदानकर्ताओं की महिलाओं के प्रति अधिष्ठायी मानसिकता को बदलना आवश्यक है।

द्वितीय आयाम हमारे समाज के दुर्बल वर्गो को चिन्हित करता है तथा यह स्वीकार करता है कि सभी महिलायें एक ही श्रेणी की नहीं है। इससे प्रशासकों, सेवा प्रदानकर्ताओं को अपने प्रयत्नों को उन समूहों पर लक्षित करने में मदद मिलेगी जिन्हेंउनकी नितान्त आवश्यकता है।

तृतीय आयाम उन प्राथमिकताओं को अनुसूचित करता है जिन पर सरकारी व गैर–सरकारी संगठनों, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं व अन्य क्षेत्रों से कार्य अपेक्षित है। इससे सभी को अपने–अपने क्षेत्र में कार्य योजनाएँ तैयार कर प्राथमिकताओं को ध्यानमें रखते हुए क्रियान्वयन की दिशा निर्धारित करने में मदद मिलेगी। अधिकारों के परिप्रेक्ष्य की पुनः अभिपुष्टि समान अधिकारों की संवैधानिक गारण्टी से अभिप्रेत यह नीति महिलाओं के मौलिक अधिकारों की प्राप्ति हेतु कार्य करने की सरकार की वचनबद्धता की अभिपुष्टि करती है। महिला दशक (1975–85) की अवधि में महिला विकास के प्रति सरकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया व सरकार महिलाओं को निष्क्रिय लाभग्राही न मानकर उसको सशक्त बनाने की ओर उन्मुख हो गई। भारत सरकार ने महिलाओं के विरूद्ध सब प्रकार

के भेदभावों को समाप्त करने सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ के दिसम्बर, 1979 के समझौते पर हस्ताक्षर किये। यह समझौता भारतीय संविधान की भावना की पुष्टि करता है। यह नीति दस्तावेज इस समझौते की अधिकार–परक परिप्रेक्ष्य की भावना पर आधारित है। विशेष रूप से यह नीति निम्नलिखित अधिकारों का वर्णन करती है–

- जीवन, उत्तरजीविता, जीविका के साधनों, आश्रय एवं मूलभूत आवश्यकताओं (Basic Needs) का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, भेदभावरहित वातावरण तथा प्रजनन में महिलाओं के योगदान की अभिस्वीकृति तथा कामकाजी महिलाओं के लिए बालरक्षा सेवाओं के लिए सह–प्रतिबद्धता का अधिकार।
- प्राकृतिक संसाधनों एवं सामान्य सम्पत्ति संसाधनों तक पहुंच का अधिकार।
- ऐसे सुरक्षित वातावरण का अधिकार जो वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों के जीवन में सहायता करे।
- अबोध शिशु से लेकर वृद्धावस्था तक जीवन के प्रत्येक स्तर पर स्वास्थ्य की देखभाल का अधिकार।

- स्वयं के शरीर पर अधिकार एवं स्वेच्छा से गर्भधारण करने का अधिकार।
- शिक्षा, सूचना, कौशल विकास एवं ज्ञान के अन्य साधनों का अधिकार।
- हिंसा, अतिक्रमणों एवं दासता के विरूद्ध संरक्षण का अधिकार। गरिमा एवं व्यक्तित्व का अधिकार, हिंसा एवं सभी प्रकार के अतिक्रमणों से मुक्ति का अधिकार।
- गरीब महिलाओं के लिए विधिक सहायता सहित विधिक एवं सामाजिक न्याय का अधिकार।
- सभी समुदायों एवं जातियों की महिलाओं के लिए अविभेदकारी वैयक्तिक कानून का अधिकार।
- सार्वजनिक स्थानों, संस्थाओं एवं रोजगार के लिए समान पहुॅच का अधिकार।
- राजनीतिक, प्रशासनिक एवं शासन की सामाजिक संस्थाओं में समान भागीदारी का अधिकार। ये अधिकार नीति निध्रारण के लिए दार्शनिक आधार प्रदान करते है एवं स्वीकार करते है कि महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल प्रशिक्षण, जीविका आदि तक पहुॅच अपने आप में ही

महत्वपूर्ण है न कि केवल वंश वृद्धि के सहयोगी साधन के रूप में। यह नीति महज जनन दृष्टिकोण से दूर हटने तथा शक्ति प्रदन्त करने एवं अधिकारों में पैठ करने की अभिपुष्टि करती है। आशा है कि यह परिप्रेक्ष्य, यदि पूर्ण समक्ष के साथ इसे स्वीकार किया जाता है, जो प्रशासकों, नीति निर्माताओं एवं सभी स्तरों पर सेवा प्रदान करने वालों की मानसिकता में परिवर्तन लायेगा। यह अपेक्षा की जाती है कि महिलाओं को अब और अधिक समय तक कल्याण कार्यो में निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं देखा जाएगा। अपितु अधिक स्वायत्तता, विश्वास, ज्ञान, सूचना, गतिशीलता एवं दक्षता प्रदान करने के लिए बने कार्यक्रमों की प्रकृति एवं विषय–सामग्री को सुनिश्चितकरने में सक्रिय सहभागी के रूप में देखा जाएगा संक्षेप में, यह अवधारणा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कार्य करने में सरकार को समर्थ बाएगी। महिलाओं को एक ही अविभेदिक एवं समान श्रेणी में नही रखा जा सकता है। अलग–अलग सामाजिक एवं आर्थिक समूहों की महिलाओं की समस्यायें भी अलग–अलग होती है। यह आमतौर पर स्वीकार किया गया है कि राजस्थान में महिला, बच्चों एवं किशोरी कन्याओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रचलित सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के कारण विषम परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं की संख्या में

निरन्तर वृद्धि हो रही है। शारीरिक एवं मानसिक बाधा पुरूषों एव महिलाओं को अलग–अलग तरीकों से प्रभावित करती है। इसी प्रकार हिंसा, सामाजिक मतभेद एवं बलात् प्रवास पुरूषों एवं महिलाओं को अलग–अलग प्रकार से प्रभावित करता है। विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत वाले समूहो को परिचिन्हित एवं सूचीबद्ध करने के महत्व को स्वीकार करते हुए यह नीति सभी समूहों, समुदायों, क्षेत्रों एवं आयु वर्गो में तथा कठिन परिस्थितियों में महिलाओं एवं कन्याओं तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है।

(क) बालिकाएँ एवं किशोरी कन्याएँ

कोई भी समाज तब तक प्रगति करने की आशा नहीं कर सकता जब तक कि वह बच्चों के सर्वांगीण विकास के महत्व को समझ कर उनके उचित पालन–पोषण की ओर ध्यान नही देगा। कुपोषण, निरक्षरता एवं हिंसा के शिकार शिशुओं का स्वस्थ्य एवं प्रसन्नचिन्त वयस्क बनना संभव नहीं। वे अभाव, विभेदीकरण, अव–पोषण, निरक्षरता एवं खराब स्वास्थ्य के चक्र में घूमते रहेंगे। महिला, बच्चों एवं किशोरियों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं उनकी खुशी पर पूंजी विनिवेश सार्वजनिक कार्य का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। राजस्थान में तो यह और अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यहॉ लिंगानुपात में चिन्ताजनक दर से कमी आ रही है। महिलाओं के

विवाह की औसत आयु अब भी 15.4 वर्ष तथा प्रभावी विवाह की औसत उम्र 17.9 वर्ष है। किशोरी बालिकाएं घरेलू जिम्मेदारियॉं निभाती रही है, जिनमें उनके शरीर को मातृत्व के बोझ को झेलने हेतु तैयार होने से पूर्व ही बच्चे पैदा करना भी शामिल है। सरकार किशोरी बालिकाओं के लिए ऐसे कार्यक्रम चालू करने के लिए वचनबद्ध है जो उनको सकारात्मक रूप से प्रभावित करे। यथार्थ स्थिति एवं इस समस्या की संवेदनशील प्रकृति को स्वीकार करते हुए, कार्य करने के लिए निम्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है।

- घटते हुए लिंगानुपात, लिंग चयन के आधार पर गर्भपातों, बालिकाओं के महत्व, महिलाओं को संवैधानिक अधिकारों की गारण्टी, पोषात्मक विसंगतियों एवं तत्परिणमस्वरूप कन्याओं में कुपोषण एवं रक्ताल्पता, बाल विवाह एवं अठारह वर्ष से कम उम्र में गर्भधारण के विपरीत प्रभाव एवं बुनियादी शिक्षा के महत्व पर एक व्यापक जनजागरण अभियान चलाना।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक बालिका को (औपचारिक/अनौपचारिक) शिक्षा के लिए अवसर प्राप्त है तथा वह अपने स्वास्थ्य की रक्षा पर, विशेषकर कुपोषण एवं रक्ताल्पता के निवारण हेतु, विशेष ध्यान देती है, विविध प्रकार से कन्याओं तक पहुॅंचना तथा सहायक

सेवाएं प्राप्त करना एवं ऐसा प्रभावी वातावरण सृजित करना जिससे कन्याये स्वस्थ एवं विश्वासपूर्ण महिला के रूप में अपना विकास कर सकें।

● औपचारिक स्कूल पद्धति के भीतर एवं उसके बाहर बालिकाओं एवं किशोरी कन्याओं के साथ कार्य करने के लिए गैर–सरकारी प्रयत्नों को प्रोत्साहन एवं समर्थन देना। बालिकाओं के लिए ऐसे कार्यक्रम उपलब्ध करना जो स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रति जागरूकता परामर्शी सेवाओं तथा व्यतिव विकास की ओर केन्द्रित हों।

● बाल विवा (प्रतिबन्ध) अधिनियम, 1978 को क्रियान्वित करने के लिए प्रभावी उपाय करना।

(ख) कमजोर वर्ग

प्रगति के लगभग सभी सूचक समुदायों, क्षेत्रों एवं जातियों में गम्भीर भेदों को प्रदर्शित करते है। राजस्थान में आदिवासी, घुमन्तू एवं अनुसूचित जाति के लोग रहते है जहॉ मातृत्व एवं शिशु मुत्यु दर अविश्वसनीय रूप से अत्यधिक है तथा साक्षरता 0.5 प्रतिशत तक कम है। कुछ क्षेत्रों में अपनी व अपने बच्चों की जीविका हेतु, निर्वाह के साधनों की कमी से महिलाओं को मजबूरी में वेश्यावृत्ति अपनाने के उदाहरण भी असामान्य नहीं है। इन गरीब एवं विशेषाधिकार से वंचित जातियों एवं जनजातियों के पास पहनने

के लिए आवश्यक वस्त्र भी नहीं होते जिसके कारण भी बच्चों को स्कूल एवं सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना पड़ता है। घर एवं समाज में हिंसा के कारण यह विषम आर्थिक परिस्थिति और भी भयावह बन जाती है। इन जातियो, आदिवासी समुदायों, घुमन्तू एवं अल्पसंख्यक समुदायों की तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

● प्रथम उपाय के रूप मे सरकार इन ग्रुपों को जिलेवार सूचीबद्ध करने एवं उनकी रूप–रेखा और तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। आशा की जाती है कि इससे योजनाकारों, प्रशासकों तथा सेवा प्रदान करने वालों को अपने कार्यक्रमों को अधिक सावधानी के साथ लक्षित करने की तरफ ध्यान आकर्षित होगा।

● इन वर्गो के लिये समेकित कार्यक्रमों को इस तरह तैयार कर विकसित करना जिससे इन समुदायों की विविध आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जा सके,

● गैर–सरकारी संगठनों को अपने प्रयत्नों को इन समुदायों की ओर केन्द्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना।

समाज में प्रचलित व्यवस्था में कतिपय महिलाएँ स्वयं को मुख्य धारा से जोड़ नहीं पाती है। वे अक्सर स्वयं को कमजोर महसूस करती है तथा

उनके साथ अत्याचारपूर्ण बर्ताव किया जाता है। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, अविवाहित एवं सन्तानहीन महिलाये, इन सभी को घर एवं समाज पर बोझ समझा जाने लगता है। उनमें से बहुतो को निकाल दिया जाता है या आश्रय एवं भोजन की व्यवस्था के लम्बे समय तक काम करना पड़ता है। इस प्रकार की महिलाओं की शोषण की दास्तानें इतिहास में उपलब्ध है। बढ़ते हुए सामाजिक दबाव व गरीबी के चलते दरिद्रता का सबसे अधिक भार महिलाओं को वहन करना पड़ता है। इसे दरिद्रता का महिलाकरण कहा गया है जहॉ सामाजिक एवं आर्थिक सीढ़ी के सबसे निचले भाग पर अधिकांश स्त्रियॉ हैं।

● 1950 के प्रारम्भ से सरकार ने विषम परिस्थितियों में महिलाओं के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएॅ एवं कार्यक्रम लक्षित किए है। ऐसी महिलाओं के राज्यभर में विखराव के कारण, उनके लिए प्रीााावी कार्यक्रम तैयार करने मेंकठिनाईयॉ आती है। सरकार ऐसी महिलाओं तक पहुंचने के लिए नवीन उपाय तलाशने तथा शिक्षा, कौशल विकास, आय अर्जित करने एवं रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए वचनबद्ध है। यह नीति स्वीकार करती है कि ऐसे प्रयत्न सशक्तिकरण एवं अधिकारों के समग्र ढांचे के अन्तर्गत तैयार किए जाएंगे।

● शारीरिक एवं मानसिक बाधायें महिलाओं पर भिन्न प्रकार से प्रभाव डालती है। वे समाज से बहिष्कृत कर दी जाती है तथा यदि वे अपने परिवार के साथ रहती भी है तो उनकी दशा अति सोचनीय होती है। अनेक विकलांग महिलाये घर पर अवैतनिक श्रमिक की भांति कार्य करती है। दृष्टिहीनता, वाणी एवं श्रवण आदि की अपंगता महिलाओं को सामाजिक सोपान की सबसे निचली सीढ़ी पर रहने को मजबूर करती है। सरकार उनकी शिक्षा के लिए अवसर सृजित करने एवं उनकी आय के साधनों को जुटाने की महत्ता को स्वीकार करती है। यह इसे भी स्वीकार करती है कि समुदाय आधारित संगठनों, गैर–सरकारी संगठनों तथा परोपकारी संस्थाओं को इस क्षेत्रमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी।

● मनोचिकित्सालयों की चारदीवारी के भीतर बन्द महिलाओं की दुर्दशा को समय–समय पर संचार माध्यमों के द्वारा उजागर किया जाता रहा है। हो सकता है कि इनमें से अनेक महिलाएँ मानसिक रूप से विक्षिप्त हों। किन्तु यह भी सम्भावना प्रबल है कि काफी बड़ी संख्या में महिलाओं को उनके परिवारों के द्वारा विक्षिप्त (या अभिशप्त डायन) करार कर इन चिकित्सालयों में भेज दिया गया हो। अनेको परिवार उपचार पूरा हो जाने के बाद भी इन चिक्त्सिालयों अथवा इस प्रकार की संस्थाओं से महिलाओं

को वापस ले जाने में रूचि नहीं रखते। सरकार उनके पुनर्वास हेतु मार्गोपायों की तलाश करने के लिए प्रतिबद्ध है।

● अत्यन्त दरिद्रता एवं शक्तिशून्यता कभी–कभी बालिकाओं एवं महिलाओं को असहाय बनाकर जीविकापार्जन के लिए अनैतिक यौनाचार की ओर ले जाती है। इनमें से अनेक बालिकाओं को उनके घरो से अपहत कर अथवा क्रय कर इस प्रकार के व्यवसायों में बलात् डाल दिया जाता है। राजस्थान में मुख्य राजमार्गो के निकट रहने वाली महिलाओं द्वारा कभी–कभी अपने घर की स्वल्प आय को सम्बल देने के लिए इस व्यवसाय को अपनाने को मजबूर होने के प्रकरण भी असामान्य नही है। ऐसी महिलाएॅ अपने और अपने बच्चों के स्वास्थ्य को जोखिम में डालते हुए येन–के–प्रकारेण अपना अस्तित्व बनाये रखती है। इन्हें प्राय हिंसा व शोषण का शिकार भी होना पड़ता है।विभिन्न प्रकार के यौन रोग व एड्स जैसी जानलेवा बीमारियों एवं अन्य प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का इलाज नहीं हो पाता है। आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान की अत्यधिक कमी व भीषण असुरक्षा की भावना के चलते वे सुरक्षित यौन सम्पर्क नही अपना पाती है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण व दयनीय स्थिति का सामना ये महिलाएं तब करती है जब परिवार के लिए धनोपार्जन में असमर्थ होने के फलस्वरूप उन्हें अपने ही

परिवारजनों द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। सरकार ऐसी महिलाओं तक पहुंचने एवं उनके लिए गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता को स्वीकारती है। यहॉ पर भी समुदाय आधारित संस्थानों, संगठनों एव परोपकारी समूहों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यद्यपि यह नीति राज्य सरकार द्वारा सभी से सहयोग एवं विचार–विमर्श से निर्धारित की गई है किन्तु राज्य सरकार की यह मान्यता है कि इसका सफल क्रियान्वयन केवल राज्य सरकार एवं इसके तन्त्र द्वारा न तो संभव होगा और न ही वांछित होगा। फलस्वरूप गैर–सरकारी एवं स्वैच्छिक संगठनों/ अकादमिक संस्थानों, सामाजिक एवं सामुदायिक संगठनों, सभी स्तर के जनप्रतिनिधियों तथा अन्य नेतृत्व प्रदान करने वाले वर्गो को इस नीति के क्रियान्वयन से जोड़ना आवश्यक होगा।इस बात को भी आत्मसात् करने की आवश्यकता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये केवल कतिपय विभागों या कतिपय संगठनों की अलग–अलग कार्ययोजनाओं के स्थान पर एक सर्वागीण तथा एकीकृत कार्यक्रम की आवश्यकता होगी। महिलाओं की अधिकांश समस्यायें एक–दूसरे की पूरक है, अतः उनके समाधान में भी इस तथ्य का समावेश करना होगा। सामाजिक सेवाओं जैसे बच्चों की देख–रेख, स्वच्छ पेयजल, उचित सफाई सुविधाये, आय अर्जित करने के

अवसर तथा घर एवं समाज में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा से निपटने के लिए तन्त्र आदि सबको एक साथ कार्य करना होगा। जनसंख्या वृद्धि में कमी लाना असम्भव होगा जब तक पुरूष एवं महिलायें दोने, अपने बच्चों के उत्तरजीवी होने के बारे में निश्चित न हो जाएँ एवं उन्हे अपने जीविकापार्जन के अवसर प्राप्त न हो। प्रजनन का भार महिलाओं पर डालने एवं जनसंख्या नियन्त्रण के लिए उन्हें लक्ष्य बनाए जाने से कोई परिणाम नहीं निकलेगा।आगे आने वाले अनुच्छेदों में महिला विकास से संबंधित मुख्य बिन्दुओं की पहचान की गई है एवं मुख्य–मुख्य विभागों की सूची दी गई है तथा सबंधित राजकीय विभागों को चिन्हित कर उनका उत्तरदायित्व निर्धारित किया हुआ है। यह महिला विकास के लिये एक एकीकृत कार्ययोजना बनाने में सुविधा की दृष्टि से किया गया है। राज्य सरकार समस्त विभागों से यह अपेक्षा करती है कि उनके द्वारा बनायी जाने वाली कार्ययोजना में सभी सरकारी एवं गैर–सरकारी संगठनों, संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों एवं अन्य नेतृत्व प्रदान करने वाले वर्गो की महत्वपूर्ण भागीदारी होगी।

यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि कृषि, पशुओं की देखभाल, वनोत्पादों के संग्रह, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों (खनन निर्माण

आदि) में मजदूर श्रमिक, खाद्य प्रसंस्करण में गृह आधारित कार्य, हस्तकला एवं लघु व्यापार तथा अन्य असंगठित क्षेत्रों में महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी को अनदेखा कर दिया जाता है। गृहस्थी में महिलाओं के सम्पूर्ण योगदान के बावजूद उन्हें प्रायः परजीवी तथा परिवार के अनुत्पादक सदस्य के रूप में माना जाता है। राजस्थान में महिलाओं को अपने घर पर एक आर्थिक दायित्व तथा ससुराल में एक बोझ के रूप देखा जाता है। महिलायाओं के कार्य की अदृश्यता एवं स्वयं द्वारा अर्जित धनराशि पर उनका नियन्त्रण न होने के कारण परिवार, समाज एवं राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को अब तक नगण्य समझा जाता है। महिलाओं को मजबूरन अनौपचारिक क्षेत्र में तथा कम कौशल एवं कम वेतन वाले व्यवसायों में काम करना स्वीकार करना पड़ता है। महिलाओं के पास गैर–परम्परागत व्यवसाय में काम करने के बहुत कम अवसर है और यदि अवसर उपलब्ध भी है तो पारिवारिक व सामाजिक बंधनों के रहते वे इन अवसरों का लाभ नहीं ले पाती है।महिलाओं के लिए बहुत से आर्थिक कार्यक्रम तैयार किए गए है किन्तु वे कौशल विकास, आय–अर्जन, आत्मविश्वास पैदा करने, गतिशीलता प्रदान करने व जागरूकता पैदा करने में समग्र रूप से सफल नहीं रहे है। महिलाओं की शक्ति एवं उनके

सामाजिक स्तर का निश्चय उनकी शिक्षा व ज्ञान के माध्यम से बौद्धिक संसाधनों तक उनकी पहुॅच, सकारात्मक आत्मसम्मान तथा सामूहिक एवं आर्थिक संसाधनों में उनकी सहभागिता व भागीदारी के आधार पर किया जा सकता है। विगत पचास वर्षो में आय संवर्धन के विभिन्न कार्यक्रमों में सारा दबाव आय अर्जित करने पर रहा है परन्तु उस आय पर उनका स्वयं का नियंत्रण न हो पाने के कारण आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है। इसकी महत्ता को स्वीकार करते हुए सरकार महिलाओं को वित्तीय एवं आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाने के लिए कृतसंकल्प है।

इस नीति के पुमुख बिन्दु इस प्रकार है–

● वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना– ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों के विभिन्न विकास कार्यक्रमों एवं बैंक पोषित योजनाओं में वित्तीय सहायता हेतु महिला लाभार्थियों की न्यूनतम सीमा निर्धारित करना। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी सम्पत्तियॉ अथवा नगरीय क्षेत्रों में कच्ची बस्तियों के पुनर्वास के समय भूखण्ड के आवंटन पति एवं पत्नी के संयुक्त नाम पर अथवा परिवार की महिला मुखिया के नाम पर दिये जाने हेतु प्रयास करना।महिला समूहों एवं स्व–सहायता समूहों को वित्तीय संस्थाओं

में ऋण की सहज सुविधा उपलब्ध करना तथा रोजगार गारण्टी योजनाओं एवं दरिद्रता उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित महिलाओं की न्यूनतम सीमा निर्धारित करना।

● महिला समूहों एवं सहकारी समितियों के गठन को प्रोत्साहन देना– विशेष योजनाओं एवं कार्यक्रमों के द्वारा महिलाओं के स्वयं–सहायता समूहों, महिला समूहों एवं सहकारी समितियों के गठन को प्रोत्साहित करने हेतु नये आयामों को खोजना एवं उसके लिए आवश्यकतानुसार कानूनों, नियमों व प्रक्रियाओं में बदलाव के लिए प्रयास करना ताकि वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई नहीं हो। समूहों के सुदृढ़ीकरण एवं कार्य को गति देने के लिए समय–समय पर विषय से संबंधित प्रशिक्षण एवं पुनः प्रशिक्षण आयोजित करना एवं समूह की गतिविधियों का पुनरीक्षण करना।

● महिलाओं में अपनी बात कहने व मनवाने की क्षमता को बढ़ावा देना व आत्मविश्वास पैदा करना – महिलाओं के सशक्तिकरण ने उनमें आत्मविश्वास पैदा करने के उद्धेश्य से वर्तमान में चल रहे इस प्रकार के कार्यक्रमों को और बढ़ावा देने की आवश्यकता को पहचानते हुए सरकार इस दिशा में प्रभावी प्रयास करने के लिए कृतसंकल्प है।

● प्रशिक्षण, कौशल–विकास एवं प्रबन्ध में सुधार– ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिए अवसर उत्पन्न करना तथा औद्योगिक प्रशिक्षण, पैरामेडिकल प्रशिक्षण (ए.एन.एम.), शिक्षक प्रशिक्षण आदि में महिलाओं के प्रवेश को सुगम बनाना। यह सुनिश्चित करना कि जो महिलायें शिशु पालन की जिम्मेदारी को पूर्ण कर व्यावसायिक या अन्य अर्द्ध–व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहें, तो उन्हे बच्चों की जिम्मेदारी के कारण अयोग्य नहीं समझा जाये। इस प्रकार की माताओं के लिए आवश्यकता के अनुरूप विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित करना जहॉ उनके बच्चों की देखभाल व उनके शिक्षा संवर्धन के कार्यक्रम संचालित किये जा सकें। प्रशिक्षण सुविधाओं को सुधार कर पुनः तैयार करना ताकि उनके द्वारा रोजगार एवं स्व–रोजगार प्राप्त करने के अवसर प्राप्त हो जाएं। इन प्रशिक्षणों में उच्च दक्षता–प्राप्त एवं गैर–परम्परागत व्यवसायों पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जाए।

● महिला कृषकों के योगदान को मान्यता देना एवं प्रोन्नत करना– महिला कृषकों को प्रशिक्षण, अनुसंधान, आर्थिक सहायता (सब्सिडी) एवं विपणन सहायता प्रदान करने से कृषि में उनका योगदान अधिक दृश्यगत होगा।

- महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देना– महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण, परामर्श सेवा एवं वित्तीय संस्थाओं के द्वारा ऋण दिलाये जाने के लिए समुचित व्यवस्था करना।

- महिलाओं के हित के लिए रोजगार नीतियॉ– समान कार्य के लिए समान वेतन तथा कार्य स्थलों पर भेदभव न बरतने को प्रोत्साहन– समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना महिलाओं के हित के लिए रोजगार नीतियॉ चलाने की ओर प्रथम प्रयास है। सरकार द्वारा प्रवर्तित रोजगार गारण्टी योजनाओं एवं दरिद्रता उन्मूलन कार्यक्रमों में इसका विशेष महत्व है। औपचारिक क्षेत्र में प्रवेश एवं निकास प्रणाली को सुगम बनाना– महिलाओं की प्रजनन व पालन–पोषण संबंधी जिम्मेदारियों, साथ ही विधवा, परित्यक्ता व तलाकशुदा महिलाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए औपचारिक क्षेत्र में विद्यमान नियमों एवं विनियमों को संशोधित करना जिससे उनके लिए रोजगार सुलभ हो सके।

सारणी –5.2

महिला सूरक्षा कानून सही होने के आधार पर वर्गीकरण

क्र.स.	महिला सुरक्षा कानून	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	220	91.67
2	पता नहीं	20	08.33
	कुल	**240**	**100.00**

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता हैं कि चयनित उत्तरदाताओं में सबसे अधिक 91.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने महिला सुरक्षा कानून को सही माना है तथा 08.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने महिला सुरक्षा कानून का पता नहीं है।

औपचारिक संस्थाओं में समय में परिवर्तन की सुविधा– यह ध्यान में रखते हुए कि महिलाओं को अपनी घरेलू जिम्मेदारियों के कारण अपने कैरियर एवं घर के बीच किसी एक को चुनने के लिए मजबूर होना पड़ता है, अतः औपचारिक संस्थाओं (सरकारी, निजी एवं गैर–सरकारी) में कार्य समय को लचीला व सुगम बनाना। शिशु पालन केन्द्र या शिशु पालना

गृह– कोई भी ऐसी संस्था या कार्यस्थल जहॉ 25 या उससे अधिक स्त्री या पुरूष काम करते हों, वहॉ बच्चों की देखरेख के लिए पालना गृह संबंधी कानून का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। यौन उत्पीड़न के प्रति संरक्षण एवं प्रतिशोध– कार्यस्थलों पर यौन–उत्पीड़न रोकने संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के दिशा–निर्देशों को लागू करना, सुनिश्चित करना तथा इनके आधार पर विभिन्न कानूनों, नियमों जैसे आचरण नियम आदि में उपयुक्त प्रावधान करना जिससे इनकी अनुपालन में कोई कमी न रह पाये। सुरक्षित कार्य के लिए वातावरण सृजित करना– सरकार महिला कार्यकर्ताओं के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण के महत्व को स्वीकार करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं स्वास्थ्य, बाल विकास, शिक्षा तथा ग्रामीण विकास कार्यकर्ताओं के लिए इसका विशेष महत्व है। कार्यस्थल में भेदभव के विरूद्ध संरक्षण– कार्यस्थलों पर महिलाओं के प्रति भेदभाव बरतने तथा पदोन्नति एवं आगे बढ़ने के समुचित अवसर नहीं होने आदि संबंधी मुद्धे औपचारिक क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं में से है। सरकार उपयुक्त कानूनों के द्वारा औपचारिक क्षेत्र में भेदभवरहित प्रक्रियाओं को प्रोन्नत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सुदूर/ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाली महिलाओं को आवास एवं आधारभूत सुविधाये प्रदान करना– ग्रामीण एवं

सुदूर क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं के लिए प्राथमिकता के आधार पर आवास, कार्यस्थलों पर शौचालय एवं सुरक्षित पेयजल स्रोतों की व्यवस्था करना। प्रसूति अवकाश एवं पितृ प्रसूति अवकाश– कानूनी प्रसूति अवकाश के अलावा, दो सप्ताह तक पितृ अवकाश तथा माताओं के लिए छह माह तक का अर्द्ध–वेतन अवकाश प्रदान करना।

नोडल विभागः विशिष्ट योजना संगठन

प्रमुख विभाग :

1 श्रम एवं नियोजन 2 वित्त 3 कार्मिक 4 उद्योग 5 कृषि 6 पशुपालन 7 विज्ञान एवं प्रौद्यागिकी 8 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा 9 नगरीय विकास व आवासन 1950 के प्रारम्भ मे सरकार ने सकारात्म कार्रवाई के रूप में समर्थक कानूनों व सहयोगात्मक ढांचे का प्रावधान कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिलाओं के मामले मे, कामकाजी महिलाओं के लिए शिशु पालन केन्द्रों की व्यवस्था करने, ग्रामीण विद्यालयों की अध्यापिकाओं एवं ए. एन.एम. के लिए आवास सुविधा की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है। वर्तमान में विद्यालयों, शैक्षिक संस्थओं, कार्यस्थलों एवं सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय सुविधा प्रदान करने को सामाजिक समर्थक सेवा के रूप में स्वीकार किया गया है।एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम को ऐसी

ग्राम आधारित संस्था माना गया जो 6 वर्ष से कम उम्र के बालकों के लिए पूर्व–विद्यालय सुविधायें एवं पूरक पोषाहार की सुविधा प्रदान करेगी। इसमें ग्रामीण शिशु पालन केन्द्र की स्थापना पर भी विचार किया गया। इसी प्रकार समाज कल्याण विभाग के कार्यक्रम में कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल निर्माण किया गया। इसी प्रकार समाज कल्याण विभाग के कार्यक्रम में कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल निर्माण किया जाना भी शामिल है।उक्त उल्लेखनीय कार्य किए जा चुके है, परन्तु सरकार यह स्वीकार करती है कि गरीब महिलाओं को सामाजिक समर्थक सेवायें प्रदान करने हेतु बहुत कुछ किया जाना शेष है। पक्ष समर्थन एवं कार्रवाई के लिए तीन वयापक क्षेत्रों को परिचिन्हत किया गया है–

- ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में समस्त कामकाजी महिलाओं के लिए शिशु पालन सुविधाओं का प्रावधान। प्रवासी कार्यकर्ताओं, निर्माण कार्यो में लगे मजदूर श्रमिकों, अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं को जहॉ महिलाओं को कृषि कार्य हेतु बाहर जाने पर उनके बच्चों को कई घण्टे छोड़ना पड़ता है, के लिए इनका महत्व बहुत अधिक है। सरकार आवश्यक नियम एवं विनियम बनाकर निजी क्षेत्रो में न्यूनतम निर्धारित व्यक्तियों को नियोजित करने वाले संगठनों/कार्यस्थलों पर शिशुपालन सुविधायें प्रदान कराने को

आवश्यक बनाने का प्रयास करेगी। इन शिशु पालन केन्द्रों के लिए अनिवार्य कल्याणकारी अंशदान की व्यवस्था के लिए भी प्रयत्न किया जाएगा।

● विद्यालयों, शैक्षिक संस्थओं, सार्वजनिक स्थानों तथा ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों में शौचालय की सुविधायें मुहैया कराना। महिलाओं के स्वास्थ्य एवं सामान्य हित के लिए यह महत्वपूर्ण है। शैक्षिक संस्थाओं में बालिकाओं के लिए शौचालय सुविधाये प्रदान करना एक ऐसा आवश्यक पूंजी निवेश है जो कि उनकी विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थिति व उनको विद्यालय में रोकने के लिए भी सहायक होगा। विद्यमान ग्रामीण सफाई कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना, उन्हे लागू करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों मे शौचालयों के प्रावधान के लिए नए कार्यक्रम तैयार करना।

● गैर–सरकारी संगठनों को कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल तथा विद्यालयों, महाविद्यालयों, व्यावसायिक तथा रोजगारोन्मुखी शिक्षण एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (विशेष रूप से छोटे कस्बों में जहां ऐसी सुविधायें उपलब्ध नहीं है) की संस्थापना करने एवं उन्हे चलाने के लिए प्रोत्साहन व समर्थन देना।

● गैर–सरकारी संगठनों, परोपकारी संस्थाओं एवं महिला समूहों को हिंसा, उत्पीड़न एवं गृह–संघर्ष से पीड़ित महिलाओं हेतु अल्पकाल तक ठहरने के लिए घरों की स्थापना हेतु कार्यक्रमों एवं योजनाओं को प्रारम्भ करने व उनमें सुधार करने के लिए प्रेरित करना।

● नगरीय क्षेत्र की कच्ची बस्तियॉ, झोपड़पट्टियों में एवं सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए, शौचालय बनवाने के लिए नगरपालिका एवं सार्वजनिक निकायों, निजी संस्थाओं एवं गैर–सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन एवं समर्थन देना।

● महिलाओं एवं बालिकाओं के अत्यधिक श्रम वाले कामों को कम करने के लिए गैर–परम्परागत ऊर्जा एवं ऊर्जा की बचत करने वाली प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना तथा निर्धूम रसोई वाला पर्यावरण प्रोन्नत करना।

● विधवा, अविवाहित तथा परित्यक्ता महिलाओं के लिए आय अर्जित करने व गरिमा के साथ जीवन यापन में उनकी सहायता करने की दृष्टि से, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए गैर–सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन एवं समर्थन देना।

● विचाराधीन एवं दोषी महिलाओं के पुनर्वास हेतु योजनाएं तैयार करने के लिए गैर–सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन एवं समर्थन देना।

नोडल विभागः समाज कल्याण विभाग

प्रमुख विभागः

● नगरीय विकास व आवासन ● परिवहन ● पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास

(ग) स्वास्थ्य, पोषण एवं जन स्वास्थ्य (पानी, सफाई आदि)

राज्य की विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य, जिला, उपखण्ड, ग्राम पंचायत व परिवार स्तर पर विशेष कार्यक्रम लागू करने की आवश्यकता है। इतनी अधिक बढ़ी हुई जनसंख्या का कमजोर आर्थिक प्रणाली और राजस्थान के लोगो की जिन्दगी पर क्या असर होगा ? समझ से परे नहीं है।शिशु एवं बाल मृत्यु दर भी राजस्थान में काफी अधिक है, जो चिन्ता का विषय है। आधे से अधिक नवजात शिशुओं की मृत्यु का कारण समयपूर्व प्रसव होना है। जो महिला के स्तर, निरक्षरता, गरीबी, प्रसव के समय देशभाल, कम आयु में गर्भाधान, प्रसवपूर्व सेवाओं की उपलब्धता एवं स्तर तथा उनका उपयोग एवं प्रसव के समय उपलब्ध परिचारिका आदि पर निर्भर करता है। इसके

अतिरिक्त तीव्र श्वसन संक्रमण, नवजात बच्चे को दस्त अथवा निमोनिया, शिशु नाल में संक्रमण आदि रोगों के कारण शिशु मृत्यु होती है। बाल मृत्यु के कारण कुपोषण, समय पर टीकाकरण नहीं होना एवं परिवार का बच्चियों के प्रति उपेक्षित व्यवहार आदि है।हालांकि प्रामाणिक साक्ष्य के अभाव में यह सिद्ध करना कठिन है परन्तु विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं के अनुसार यह स्पष्टतया बताते है कि समाज में लड़कों की तुलना में कम ध्यान रखा जाता है। लड़को की अपेक्षा लड़कियों को चिकित्सा देर से सुलभ होती है। राजस्थान में प्रजनन योग्य आयु के बाद ही महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिये विशिष्ट चिकित्सा सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता है। सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण के स्तर में सुधार लाने के लिए कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता को स्वीकार करती है। इस कार्य की सफलता के लिये सरकार समाज के व्यापक सहयोग की अपेक्षा करती है।

सारणी –5.3

घरेलू हिंसा के कारण दहेज, मृत्यु या आत्महत्या बढने के आधार पर वर्गीकरण

क्र.स.	घरेलू हिंसा के कारण मृत्यु या आत्महत्या के बढने	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	156	65.00
2	नहीं	18	07.50
3	पता नहीं	66	27.50
	कुल	**240**	**100.00**

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता हैं कि चयनित उत्तरदाताओं में 65 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि घरेलू हिंसा के कारण मृत्यु या आत्महत्या होती है जबकि 07.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने घरेलू हिंसा को मृत्यु या आत्महत्या का कारण नहीं माना है जबकि 27.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इस बारे में पता नही है।

महिलाओं पर हिंसा एक ज्वलंत मुद्दा है। भारत सरकार ने महिला पर होने वाले अपराधों से निपटने के लिए कई कानून पारित किए हैं। इन

कानूनों में भारतीय दण्ड संहिता में धारा 498ए को जोड़ना, दहेज निषेध कानून, बाल विवाह निवारण कानून, अनैतिक खरीद फरोख्त की रोकथाम कानून इत्यादि शामिल हैं। अभी हाल ही भारत सरकार ने महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण कानून 2005 पारित किया है। यह दीवानी कानून है जो पीड़ित महिला को राहत देता है। इसके बावजूद ऐसी कई परिस्थितियां हैं जहां महिलाओं को अत्याचार व प्रताड़ना को झेलना पड़ता है। उदाहरण के लिए बहुत सारी लड़कियां तेजाब हमलों की शिकार होती हैं जिससे न केवल उनका चेहरा झुलस जाता है बल्कि पूरा शरीर जल जाता है। कुछ क्षेत्रों में महिलाओं पर डायन होने का आरोप लगा अनावश्यक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। कई बार महिलाओं को गांव के बीच में निर्वस्त्र कर जबरन घुमाया जाता है और उन्हें अश्लील गालियां व अपमानजनक स्थितियों से गुज़रना पड़ता है। ऐसा कोई समग्र कानून नहीं है जो महिलाओं पर हो रहे सब तरह के अत्याचारों का मुकाबला कर सके। न ही कोई मुआवज़े, पुनर्वास व पुनर्भरण के कोई विशेष प्रावधान हैं। 1989 का एससीएसटी अत्याचार निवारण कानून में पीड़ित को मुआवजा देने के प्रावधान हैं परन्तु उसका प्रभाव सीमित है और जहां एसटी एससी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अत्याचार कारित किया गया हो उन्हीं

विशेष घटनाओं पर यह लागू होता है। कई बार यह आवश्यकता महसूस की गई कि एक ऐसा विधेयक पेश किया जाए जो उन परिस्थितियों में भी लागू हो सके जिनके लिए फिलहाल कोई कानून नहीं है और पीड़ित को उपयुक्त मुआवजा प्रदान किया जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु ''राजस्थान महिला (अत्याचार निवारण व संरक्षण) विधेयक 2011'' बनाया गया हैं।

इस विधेयक में अन्य बातों के साथ निम्न प्रकार से प्रावधान किए गए हैं–

(i) महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार के अपराध में सजा/विधेयक का भाग 3 विभिन्न अत्याचारों का अपराध के रूप में परिभाषित करता है और अपराध की तीव्रता के आधार पर सजा का प्रावधान करता है।

(ii) भाग 3 के तहत परिभाषित अपराध असंज्ञेय है।

(iii) कुछ अपराधों के लिए कोर्ट द्वारा समरी ट्रायल का प्रावधान।

(iv) महिलाओं के विरुद्ध गंभीर अपराधों को संज्ञेय व अजमानतीय बनाया गया है।

(v) आरोपी से हर्जाना वसूल कर पीड़ित को मुआवजे के रूप में देना। यह मुआवजा सरकार द्वारा दिए जाने वाली अन्य राहत या धारा 13 के तहत 2

पुनर्वास अनुदान के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। इस प्रावधान के कारण आरोपी को अपने अपराध के बदले भुगतान करना होगा।

(vi) पुनर्वास अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा। अपराध की गम्भीरता के आधार पर दर तय होगी जिसका प्रावधान नियमों में किया जाएगा। (vii) इस तरह के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए अलग कोर्ट या सेशन कोर्ट को विशेष दर्जा दिया जाएगा।

(viii) सामूहिक हर्जाने के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। जहां सरकार द्वारा सामूहिक हर्जाना लगाया जाएगा उसमें जाति पंचायतें व खाप पंचायतें भी शामिल होगी।

(ix) कोर्ट व पुलिस द्वारा रोकथाम के उपाय किए जाएंगे। यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु है। कानून की धाराओं से संबंधित तालिका में विधेयक के विभिन्न प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है।

सारणी –5.4

अशिक्षा के कारण घरेलू हिंसा के आधार पर वर्गीकरण

क्र.स.	अशिक्षा	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	138	57.50
2	नहीं	16	06.67
3	कोई जवाब नहीं	86	35.83
	कुल	**240**	**100.00**

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता हैं कि चयनित उत्तरदाताओं में से 57.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि अशिक्षा ही घरेलू हिंसा का कारण है जबकि 06.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अशिक्षा को घरेलू हिंसा का कारण नहीं माना है तथा 35.83 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस पर कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया।

यह कानून महिला को अत्याचार से निवारण व संरक्षण प्रदान करने, अत्याचार करने वाले को सजा देने व अपराधों की सुनवाई के लिए है। ऐसे अपराधों के लिए पीड़ित महिला को राहत व पुनर्वास व उससे संबंधित या प्रासंगिक मामलों के लिए यह कानून है। भारतीय गणतंत्र के 63वें साल में यह राजस्थान विधानसभा द्वारा निम्नोक्त स्वरूप में पारित किया है।

(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान महिला (अत्याचार निवारण एवं संरक्षण) अधिनियम 2011 है।

(2) यह पूरे राजस्थान राज्य में लागू है।

विशेष न्यायालयों की स्थापना

शीघ्र व त्वरित परीक्षण के लिए सरकार उच्च न्यायालय की सहमति से अधिकृ त गजट में अधिसूचना जारी करके विशिष्ट क्षेत्र के लिए किसी सैशन कोर्ट को अधिघोषित कर सकती है ताकि इस कानून के तहत जो अपराध हैं उनका शीघ्र परीक्षण हो सके। भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता में निहित प्रावधानों होने के बावजूद इस कानून की धारा 3 की उपधारा (1) में दर्ज अपराध असंज्ञेय होंगे और उनका परीक्षण दण्ड संहिता में दर्ज संक्षिप्त प्रक्रिया के अनुसार होगा।

संज्ञेय अपराध : इस कानून की धारा 3 की उपधारा (1) के अलावा सभी अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे।

न्यायालय की शक्ति यां (1) धारा 16 की उपधारा 2 के तहत जिस किसी के खिलाफ पुलिस अधिकारी या उनकेमार्फत कोई अन्य व्यक्ति आदेश पारित करे उसके 15 दिन के अन्दर न्यायालय उसकी अर्जी पर तथा जो सामग्री व साक्ष्य पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं उनका सावधानीपूर्वक परीक्षण करके व पर्याप्त सन्तुष्टि के बाद पुलिस के उस आदेश को रद्द या संशोधित कर सकेगा। उसके कारण लिखित में दर्ज किए जाएंगे।

(2) कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत सामग्री व साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने के बाद कोर्ट इस बात के लिए सन्तुष्ट हो जाए कि महिला की सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक प्रतीत होता है कि कानूनी तौर पर आरोपी को प्रतिबन्धित किया जाए तो कोर्ट आरोपी को कोर्ट में निश्चित तारीख को उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी करेगा और आरोपी को सुनने के बाद या अन्यथा भी कोर्ट परिस्थिति के अनुसार ऐसा आदेश पारित करेगा जो कोर्ट को उचित लगेगा।

(3) सामग्री व परिस्थितियों पर पूर्ण विचार के बाद कोर्ट को आवश्यक लगे तो पुलिस को संबंधित कानून में केस रजिस्टर करने के लिए निर्देश दे

सकेगा। 10. कोर्ट के आदेश की पालना न होने पर दण्ड : धारा 9 की उपधारा 2 के तहत वो व्यक्ति दण्ड का भागी होगा जो कोर्ट के आदेश की पालना नहीं करेगा। यह दण्ड 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही 2000 रुपए का जुर्माना या दोनों दण्ड दिए जा सकते हैं। जुर्माना अदा न करने पर जेल की सजा : अगर कोई अपराधी, जानबूझ कर या अन्य किसी कारण से कोर्ट द्वारा जुर्माना के आदेश की पालना न करे तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 64 में दिए गए दण्ड का भागी होगा।

पीड़ित को मुआवजे के रूप में जुर्माना देना (1) इस कानून के तहत अपराधी से दण्ड के रूप में जो जुर्माना वसूल किया जाएगा वह पीड़ित को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। (2) उपधारा (1) के तहत जो मुआवजा दिया जाएगा वह पीड़ित को तात्कालिक राहत के लिए सरकार द्वारा तय किए गए अन्य मुआवजे या वित्तीय सहायता व इस कानून की धारा 13 के तहत दिए जाने वाले पुनर्वास अनुदान के साथ जोड़ा नहीं जाएगा। 13. पीड़ितों को पुनर्वास अनुदान अत्याचार से पीड़ित को इस कानून की धारा 3 के तहत परिभाषित पुनर्वास अनुदान राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। अन्य कोई अत्याचार जिसको इस कानून में परिभाषित नहीं किया गया है परन्तु अन्य अपराधिक कानूनों में परिभाषित

किया गया है उनके बारे में नियमों में जो लिखा है वैसा किया जाएगा। अपील दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार असन्तुष्ट व्यक्ति अगले उच्च कोर्ट में प्रथम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के 30 दिन के अन्दर अपील कर सकता है। पीड़ित महिला को मुफ्त कानूनी सेवा नीड़ित महिला लीगल सर्विसेज आथोरिटि कानून 1987(1987 का 39) के तहत मुफ्त कानूनी सेवा के लिए हकदार है।

महिला अत्याचार के निवारण व संरक्षण के तरीके महिला को अत्याचारों से निवारण व संरक्षण के तरीके जब कोई पुलिस अधिकारी को कोई सूचना मिले या यह रिपोर्ट मिले कि किसी तरह का अत्याचार हुआ है या इस तरह के पूर्ण आधार हैं कि अमुक तरह का अत्याचार किसी महिला के विरुद्ध हुआ है तो पुलिस उस स्थान पर जाएगी और वह सारे तरीके अपनाएगी जिससे अत्याचार की रोकथाम हो और महिला को संरक्षण प्रदान करेवही, जिसमें मान्यताप्राप्त आश्रय स्थल में भर्ती कराना भी शामिल है, अगर उसके लिए कोई आश्रय नहीं है। पुलिस अधिकारी तुरन्त उस व्यक्ति को वहां से बाहर करेगा जिसके कारण महिला को क्षति पहुंची है। पुलिस अधिकारी मौखिक या लिखित में उस व्यक्ति या व्यक्ति यों को चेतावनी देगा जो महिला को नुकसान पहुचा चुका हो या पहुचा सकता हो उसे

तुरन्त वह स्थान छोडने के लिए कहेगा और महिला को कोई क्षति न पहुंचाने के लिए बाध्य करेगा। अगर परिस्थिति ऐसी है कि पुलिस अधिकारी को यह आवश्यक लगे कि व्यक्ति या व्यक्ति यों को गिरफ्तार करना जरूरी है तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत कार्यवाही की जाएगी। जिन्हें गिरफ्तार किया गया उन्हें उस क्षेत्र के कार्यपालिका मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा तथा उन पर धारा 107 व 116 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी। (i) जब कभी इस कानून के तहत किसी महिला के विरुद्ध किए गए किसी अपराध की रिपोर्ट अपराध के घटित होने वाले क्षेत्र के पुलिस अधिकारी के पास दर्ज होती है तो संबंधित अधिकारी एफआईआर दर्ज करके कानून के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही करेगा। (ii) अगर पुलिस अधिकारी के पास उसके क्षेत्राधिकार से बाहर की घटना की रिपोर्ट दर्ज होने आए तो वह अधिकारी संबंधित पुलिस अधिकारी को तुरन्त सूचना देगा और लिखित शिकायत की कॉपी अगर उपलब्ध है तो आगे की आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजेगा।

जाति/खापं पंचायत के संबंध में कार्रवाई (1) जब कभी अधिकारियों के ध्यान में यह लाया जाए कि किसी महिला द्वारा अन्तर्जातीय विवाह करने या सगौत्र विवाह करने या अन्य किसी कारण से जाति/खाप पंचायत या

अन्य किसी संगठन ने महिला के खिलाफ कोई कार्यवाही प्रारम्भ की है जो कि वैधानिक रूप से ऐसा करने के लिए अधिकृ त नहीं है तो संबंधित अधिकारी उस मामले का प्रसंज्ञान लेकर उस घटना को घटित होने से रोकेंगे और यदि संगठनों द्वारा कोई गैर कानूनी आदेश पारित किया गया है तो तत्कालीन कूनन के अनुसार कार्यवाही करेंगे। (2) जब कभी किसी राजस्व अधिकारी जैसे पटवारी, गिरदावर या सरपंच या ग्राम पंचायत का कोई अन्य सदस्य या हेडमास्टर या स्कूल का कोई अध्यापक या मेडिकल ऑफिसर को यह पता लगे कि कोई गैर कानूनी कार्य किया गया है या जाति/खाप पंचायत ऐसा कोई निर्णय या कार्य करने जा रही है तो वे तुरन्त पास के पुलिस स्टेशन या उस सत्र के मजिस्ट्रेट के समक्ष रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। उस समय अगर ये व्यक्ति ऐसा नहीं करते हैं तो उस समय के प्रचलित उपयुक्त कानून के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही के दायरे में आएंगे। (3) उस क्षेत्र के मजिस्ट्रेट को अगर जाति व खाप पंचायत द्वारा की जारी दमनकारी घटनाओं की सूचना मिले तो धारा 144 के तहत आदेश जारी करेंगे और जाति/खप पंचायत को ऐसा करने से रोकेंगे और आदेश को लागू करने के लिए आवश्यक/उपयुक्त तरीके अपनाएंगे। (4) जाति/खप पंचायत द्वारा किए गए अपराध की प्रकृ ति के हिसाब से राज्य

सरकार इसके अलावा भी इस कानून की धारा 19 में वर्णित दण्ड के अनुसार सामूहिक दण्ड लगा सकती है। 18. पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा मदद अत्याचार पीड़ित को खासकर धारा 3 की उपधारा (6) व उपधारा 7 के संदर्भ में तथा बलात्कार पीड़िताओं के संदर्भ में सरकार पीड़ित को मुफ्त चकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगी जिसमें दवा व अन्य सहायक व्यवस्थाएं शामिल है।

इस कानून के अन्तर्गत किसी दण्डनीय अपराध को उन्होंने कारित किया है या अपराध करने वाले को शरण दे रहे हैं या उन्हें खोजने में मदद नहीं कर रहे हैं या वे अपराधियों को जानते हैं और चुप हैं या उपलब्ध साक्ष्य को दबा रहे हैं तो राज्य सरकार अधिकृत गजट अधिसूचना से उन लोगों पर सामूहिक जुर्माना लगा सकती है जो उन सब पर लागू होगा जो इसमें शामिल थे और वे सामूहिक रूप से उसका भुगतान करेंगे और इसके अनुपात को राज्य सरकार के निर्णय के आधार पर तय किया जाएगा जिसमें निवासियों के साधनों को ध्यान में रखा जाएगा। बशर्ते एक आवासी पर जो जुर्माना लगा है वह तब तक वसूला नहीं जाएगा जब तक उसके द्वारा यदि उपधारा (3) के तहत कोई याचिका है इसका निस्तारण नहीं हुआ है। (2) उपधारा (1) के तहत जारी अधिसूचना जो उस क्षेत्र

विशेष के लिए जो घोषित होगी वह राज्य सरकार परिस्थिति को देखकर करेगी ताकि सामूहिक जुर्माना उक्त क्षेत्र के सभी निवासियों के ध्यान में आए। (3) (अ) सामूहिक जुर्माना लगाने के कारण या अनुपात में आए जुर्माने से यदि कोई व्यक्ति परेशान या असन्तुष्ट है तो नियत समय में वह सरकार के समक्ष या सरकार जिसे प्राधिकृ त करे उसके समक्ष याचिका दायर कर सकता है और इस तरह के जुर्माने को माफ करने के लिए या आदेश को संशोधित करनेके लिए अनुरोध कर सकता है।

इस तरह की याचिका के लिए कोई फीस नहीं वसूली जाएगी। (ब) राज्य सरकार या इसके लिए अधिकृ त प्राधिकरण याचिकाकर्ता को पर्याप्त अवसर देकर या सुनने के बाद जो वह उपयुक्त समझे वैसा आदेश दे सकते है।। बशर्ते जो जुर्माना माफ किया गया है या कम किया गया है वह किसी अन्य से वसूला नहीं जाएगा और उस क्षेत्र विशेष के लोगों पर उपधारा (1) के तहत जो कुल जुर्माना लगाया गया है वह उस सीमा तक कम करके समझा जाएगा। (4) उपधारा (3) में जो कुछ है उसके बावजूद राज्य सरकार उस अपराधी को अपराध से बाहर कर सकती है जो इस कानून के तहत दण्डनीय है या जो सरकार की राय में व्यक्ति या कई व्यक्ति यदि उपधारा (1) की श्रेणी में नहीं आते हैं, यानि जिन्हें सामूहिक

जुर्माने की श्रेणी से बाहर किया जा सकता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 या प्रोबेशन ऑफ आफेण्डरर्सएक्ट उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो इस कानून के तहत दोषी हैंः दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 व 1958 का (1958 का 20) प्रोबेशन ऑफ ऑफेन्डर्स एक्ट, 21 वर्ष या उससे बड़ी उम्र के उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जिसे इस कानून के तहत अपराध का दोषी पाया जाता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 इस कानून के तहत अपराधी पर लागू नहीं होगी। इस कानून के तहत अपराध करने वाले आरोपी जिसमें गिरफ्तारी का प्रावधान शामिल है उस पर धारा 438 लागू नहीं होगी। अपराध की स्वीकार्यता इस कानून के तहत अत्याचार पीड़ित अपराध होने के सन्दर्भ में साक्ष्य दे दे तो कोर्ट यह मान लेगा कि अपराध घटित हुआ है और उसको असिद्ध करने की जिम्मेदारी आरोपी की होगी। भारतीय दण्ड संहिता के कुछ प्रावधानों का लागू होनाः इस कानून के अन्य प्रावधानों के अलावा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34, अध्याय 3, 4, 5, 5ए, धारा 149 व अध्याय 23 (1860 का 45) इस कानून के लिए उसी तरह लागू होंगे जैसे भारतीय दण्ड संहिता में लागू होते हैं।

अन्य कानूनों को रद्द करने वाला कानून इस कानून के प्रावधान सभी परम्पराओं, प्रथाओं से विरोधाभासी होने के बावजूद प्रभावी होंगे।अच्छी नीयत के साथ किए कार्य को संरक्षण : राज्य सरकार या अन्य अधिकारी या प्राधिकरण जो नेकनीयत के साथ इस कानून के अनुसार कार्य करेगा उसके खिलाफ कोई वाद या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं होगी।

अध्याय – षष्ठम्

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध के प्रथम अध्याय ''घरेलू हिंसा अवधारणात्मक विवेचन के अन्तर्गत भारत में परिवार से जुड़े मुद्दो का बच्चों के जीवन पाने और जीवन रक्षा के अधिकार पर सीधा असर पड़ता है। परिवार के जिस ढ़ांचे में वंश वृद्धि का अधिकार पुरूषों को दिया गया है, वही से बेटों की चाहत की परम्परा जन्म लेती है। देश के अधिकांश हिस्सों में यही परम्परा चली आ रही है और अनेक अध्ययनों में भारतीय दम्पतियों ने इसकी पुष्टि की है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2 से पता चलता है कि 36 प्रतिशत महिलाओं को बेटियों से ज्यादा बेटों की चाहत है और सिर्फ दो प्रतिशत महिलाएं बेटों से ज्यादा बेटियाँ चाहती है। बेटों की चाहत शहरी क्षेत्रों में पढ़ी–लिखी महिलाओं, अधिक शिक्षित महिलाओं, अधिक पढ़े–लिखे पतियों वाले परिवारों की महिलाओं और ऊंचे रहन–सहन वाले परिवारों की महिलाओं में अपेक्षाकृत कम है। बेटों की चाहत उत्तर भारत और मध्य भारत पर खासतौर पर अधिक तथा दक्षिणी एवं पश्चिमीं भारत में कुछ कम दिखाई देती है। भारत के कुछ

हिस्सों में बालिका भ्रूण हत्या के चलन के प्रमाण मिले है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रिकॉडर्स का उपयोग करते हुए नवजात शिशु मौतों में लिंग भेद के एक अध्ययन से पता चलता है कि बालिकाओं की मौते अधिक होने के पीछे सामाजिक कारण जिम्मेदार है। भारतीय दण्ड संहिता में शिशु हत्या को हत्या माना गया है और इसे रोकनें के लिए इस कानून की कई धाराओं का सहारा लिया जा सकता है। दुर्भाग्यवश, अधिकांश मामलों में इस काम की जिम्मेदारी अकेले माता पर होती है।

भ्रूण के लिंग निर्धारण के लिए एम्नियोसिन्टेसिस या अल्ट्रासाउण्ड़ परीक्षण का उपयोग शुरू होने के बाद लिंग भेद ने खतरनाक रूप धारण कर लिया है। जाँच के बाद अगर भ्रूण मादा पाया जाए तो उसके गर्भपात का चलन भी है। बालिका भ्रूण हत्या के लिए प्रसवपूर्व निदान तकनीकों का उपयोग महिला एवं भ्रूण के लिए खतरनाक होने के साथ–साथ समाज में महिलाओं की हैसियत की और नीचे गिराता है। भारत में प्रसवपूर्व निदान के लिए सोनोग्राफी और कोरियोनिक विल्ली बायोप्सी जैसी अनेक तकनीकें प्रचलित है, किन्तु इन परीक्षणों की व्यापारिक वहनीयता ने नैतिक–अनैतिक की सोच को झूठला दिया है। यह देखा गया है कि लिंग निर्धारण परीक्षण बड़े शहरों तक सीमित नहीं है बल्कि छोटे कस्बों में भी इनका खूब चलन है। चिकित्सा तकनीक के

दुरूपयोग की सच्चाई को पहली बार 1982 को समझा गया और फिर इसके नियमन के लिए अभियान छेड़ा गया। 1994 में प्रसवपूर्व निदान तकनीक (नियमन एवं दुरूपयोग की रोकथाम) अधिनियम (पी. एन.डी.टी) को कानूनी रूप दिया गया है। इसके अन्तर्गत पंजीकृत आनुवंशिक क्लीनिकों, आनुवांशिक प्रयोगशालाओं और आनुवंशिक परामर्श केन्द्रों में प्रसवपूर्व निदान तकनीकों का उपयोग करते समय अधिनियम में निर्धारित शर्तो का पूरी तरह पालन किया जाना चाहिए और इसकी अनुमति सिर्फ भ्रूण की विकृतियों का पता लगाने के लिए ही दी गई है। इतने वर्षो में महिला लिंग अनुपात में तेजी से गिरावट से संकेत मिलता है कि इसका प्रमुख कारण आमतौर पर बालिका की उपेक्षा की बजाय बालिका शिशु और बालिका भ्रूण हत्या हो सकता है। सेक्स अनुपात किसी भी समाज में महिलाओं की हैसियत का संवेदी सूचकांक हो सकता है और कुछ राज्यों में सेक्स अनुपात में गिरावट बहुत चिन्ताजनक है। एन.एफ.एच.एस.–2 सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा में प्रति 1000 पुरूषों पर 872 महिलाओं के साथ सेक्स अनुपात सबसे कम है।

आज भारत चीन के बाद दुनिया का दुसरा 100 करोड़ से अधिक आबादी वाला देश हो गया है।1991 से 2001 के दशक में देश की आबादी में 28.43 प्रतिशत की वृद्धि हुई किन्तु भौंचक्काने वाली बात

यह रही कि इतनी जनसंख्या वृद्धि के बावजूद बालक बालिका का लिंग अनुपात और कम हो गया ।

लड़को की जनसंख्या दर लड़कियों की तुलना में अधिक रही है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह अनुपात लगभग 940 से 950 प्रति 1000 लड़को पर रहता है। बालक–बालिका लिंग अनुपात प्रति 1000 बालकों में 0–6 वर्ष तक की बालिकाओं के सापेक्ष लिया जाता है। भारत में यह अनुपात 1991 जनगणना के आधार पर 1000 बालकों पर 945 बालिकाएं थी जो 2001 की जनगणना में घटकर 1000 : 927 हो गया । इससे पूर्व 1961 में 1000 : 976, 1971 में 1000 : 964 और 1981 में 1000 : 962 की दर से कम होता गया एवं 2011 में 940 हो गई।

जल्द ही ऐसी स्थिति आ सकती है जब इन कम होती बालिकाओं की संख्या को संभालना मुश्किल हो सकता है। असन्तुलित लिंग के कारण होने की सामाजिक समस्याओं से पैदा विकृतियाँ पूरे सामाजिक ढ़ांचे को ढ़ला सकती है और दूरगामी परिणाम बहुत भयानक हो सकते है।

हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और गुजरात, इन चार राज्यों में यह अनुपात प्रति हजार लड़को पर 900 लड़कियाँ रह गयी है। 16 राज्यों

के 70 जिलों व केन्द्र शासित प्रदेशों में 1991–2001 के दशक में इस अनुपात में 50 अंक की कमी अभी है, कुरूक्षेत्र में 770 अहमदाबाद (गुजरात) में 814, और दक्षिण दिल्ली में 845 की संख्या प्रति हजार लड़कों पर है, जबकि ये सभी स्थान देश के सबसे समृद्धिशालीं जगहों में से है।

कुछ तथाकथित सामाजिक कारणों, जैसे वंश का चलना, वृद्धावस्था में माँ–बाप की देखभाल, मृत्योपरान्त अन्तिम संस्कार, विवाहोपरान्त कन्या का दूसरे घर में चला जाना, दहेज प्रथा आदि कुछ कारण है जिनकी वजह से बालिकाओं के वनिष्पत बालकों को हमारें समाज में प्राथमिकता दी जाती है। सम्पूर्ण भारत में यह एक सामान्य प्रथा सी बनती जा रही है कि अजन्में बच्चें का लिंग मालूम किया जाये और लिंग के बालिका होने पर उसे नष्ट कर दिया जाये। परन्तु इसे नहीं भूलना चाहिए कि ईश्वर के विधान में संसार को सन्तुलित रखने के लिए नर एवं नारी दोनो का बराबर योगदान है। संकुचित, स्वार्थी एवं अदूरदर्शिता वश हमारा समाज इस कन्या वध के पाप से अपने दुष्कर्मो को पोषित ही कर रहा है जिसकी सजा प्रकृति उसे अवश्य देगी। समय रहते, आइये हम सभी मिलकर समाज की इस निर्दयी सोच को सुधार दें।

वैज्ञानिक आधार से निश्चित हो चुका है कि बालिकाएँ जन्म से ज्यादा मजबूत पैदा होती है किन्तु असंवेदनशील पुरूष प्रधान समाज में उपेक्षित होने के कारण उनकी अवहेलना होती है। स्वजनों के ही द्वारा निरन्तर अन्यायपूर्ण व्यवहार के कारण हमारें समाज में बालिकाएं घटती जा रही है। जिनके कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार है–

1. पर्याप्त स्तनपान न मिलना
2. कुपोषण एवं साफ सफाई का अभाव
3. कन्या सन्तान की परवरिश में उदासीनता या लापरवाही
4. खानें में कटौती और इलाज में कंजूसी
5. परिवारजनों से स्नेह व सम्मान न मिलना
6. पारिवारिक व कृषि कार्यों में अत्यधिक बोझ
7. शिक्षा का अभाव
8. अपमानजनक एवं प्रायः क्रूर बर्ताव का शिकार होना
9. यौन प्रताड़ना व यौन सम्बन्धी आघात
10. दहेज सम्बन्धी हिंसा का शिकार होना

द्वितीय अध्याय ''समग्र एवं पद्धतिशास्त्र'' मे सर्वप्रथम भरतपुर जिले की सामान्य जानकारी दी गई है। वैज्ञानिक पद्वति का प्रयोग करते हुए आंकड़ो को एकत्रित किया गया है एवं इसके विभिन्न चरणों

पर प्रकाश डाला गया है। प्रस्तुत अध्याय में अध्ययन के उद्देश्यों, अनुसंधान के प्रकार, अनुसंधान की समस्या, निदर्शन चयन, वैज्ञानिक पद्धति एवं विशेषताएं उसके विभिन्न चरण, तथ्यों के संकलन की प्रविधियां आदि पर प्रकाश डाला गया है।

प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, अवलोकन आदि को यथास्थान समझाया गया है एवं उनसे आंकड़े एकत्रित किये गये हैं। यह अध्याय सामाजिक जीवन के वैज्ञानिक अनुसंधान पर बल देता है साथ ही सामाजिक घटनाओं, समस्या के कारणों, उनमें अन्तः संबंध व अन्तर्निहित प्रक्रियाओं का अध्ययन व विश्लेषण किया गया है।

निरीक्षण, परीक्षण, तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण एवं निष्कर्षीकरण की व्यवस्थित विधि को अपनाया गया है। आंकड़ो का संकलन प्राथमिक एवं द्वितियक स्रोतों से किया गया है। पांच तहसीलों के विभिन्न नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों में से 300 उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के आधार पर किया गया है। प्रस्तुत शोध वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है अतः इसके माध्यम से उपलब्ध निष्कर्षो की पृष्ठभूमि में संदर्भगत विषय का एक विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। सामाजिक शोध के प्रकारों का उल्लेख करते हुए

परिभाषित किया गया है तथा अनुसंधान समस्या के चयन के आधार की व्याख्या की गई है।

तृतीय अध्याय ''उत्तरदाताओं की सामाजिक–सांस्कृतिक पृष्ठभूमि'' के अन्तर्गत श्रीगंगानगर की पांचों तहसीलों के नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों के चयनित उत्तरदाताओं की सामाजिक–सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का प्रयास किया गया है।

चतुर्थ अध्याय ''घरेलू, हिंसा– सामाजिक एवं आर्थिक कारक'' के अन्तर्गत भारतीय समाज में आज भी लड़के–लड़की के बीच भेदभाव साफ दिखाई देता है। पारम्परिक दृष्टि से भारतीय समाज में लड़कों को पूजा जाता है। लड़के की कामना इसलिए की जाती है क्योंकि माता–पिता की मृत्यु के बाद उनके अन्तिम संस्कार का अधिकार उसे ही है। इसके अलावा वे परिवार का नाम व वंश भी चलाते है। उनको यह भी आशा की जाती है कि वे बूढ़े माता–पिता का सहारा बनेगा। भारत में धर्म पर आधारित कानूनी व्यवस्थाओं में लड़के–लड़की के बीच भेदभाव होता है। जन्म देने के सम्बन्ध में, वैवाहिक अलगाव, संपत्ति के अधिकार और बच्चों को रखने के अधिकार से सम्बद्ध विधान में यह भेदभाव स्पष्ट हो जाता है। लड़की को हमेशा अपने बचपन के सभी अधिकार नही मिलतें और इसका कारण वह कभी नही समझ पाती।

अभी हाल तक उसे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा से लगभग पूरी तरह वंचित रखा जाता था तथा वह सिर्फ घर के काम में जुटी रहती थी। वास्तव में यह भेदभाव इतना बढ़ गया है कि कुछ क्षेत्रों और समुदायों में माँ की कोख में ही महिला भ्रूण को मरवा दिया जाता है। तथा उसे जन्म लेने का अधिकार भी नही मिलता। संसद व कुछ राज्य सरकारों ने कन्या भ्रूण की इस हत्या को रोकने के लिए लिंग निर्धारण परिक्षण पर रोक लगाने का प्रयास किया है। बालिकाआकं की स्थिति को निम्नांकित सारणी द्वारा जाना जा सकता है।

घटते लिंग अनुपात का एक मुख्य कारण है कन्या भ्रूण हत्या क्योकि भारतीय समाज में लड़की के ज्न्म को अक्सर परिवार पर अभिशाप के रूप में माना जाता हैं और लड़की को एक बोझ की तरह समझा जाता है। कुछ लोग कह सकते है की यह बात पूर्व में तो सत्य थी किन्तु यह बात आज के नये जमाने में सत्य नही है। जहां महिलाओं को शिक्षा, कारोबार एवं अन्य क्षेत्रों में समान अवसर दिए जाते है जहाँ वे अपनी श्रेष्ठता साबित कर सकती है। कुछ यह कह सकते है कि विज्ञान, विकास, शिक्षा और सूचना के क्षेत्र ने लोगों के सोचने के तरीके को बदल दिया है। लेकिन वास्तविकता यह है कि आज भी देश के विभिन्न भागों में बच्चे के रूप में लड़की से स्थिति बहुत सकारातमक

नही है। धनवान और गरीब दोनों ही वर्गों में लड़की के जन्म को बुरे भाग्य के रूप में देखा जाता है और लड़के की प्राप्ती के लिए ऐसे परिवार किसी भी हद तक जा सकते है। आज लोग गर्भ में बच्चे के लिंग का पता लगाने के लिए अत्याधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग कर रहे है और जब गर्भ में कन्या शिशु के बारे में जानकारी होने पर गर्भस्थ शिशु का गर्भपात करवा दिया जाता है।

जब लिंग निर्धारण जाँच, जिसे प्रसव पूर्व लिंग जाँच के नाम से जाना जाता है के पश्चात् यह पाया जाता है कि गर्भस्थ शिशु कन्या है तो उस कन्या शिशु का गर्भपात करना कन्या भ्रूण हत्या कहलाता है। प्रसव पूर्व लिंग जाँच मूल रूप से सोनोग्राफी व अन्य प्रकार की जाँच होती है जो गर्भवती महिला के गर्भस्थ शिशु की विषमता या कमियों की जानकारी के लिए की जाती है। भ्रूण की अनियमितताओं या विषमताओं की जानकारी करने के क्रम में यह भी सम्भव होता है की गर्भस्थ शिशु के लिंग का पता लगाया जा सके।

पूर्व काल में जब इस प्रकार की जाँच उपलब्ध नही थी तो लोग तुरंत जन्मी हुई लड़की को मारकर कन्या शिशु हत्या किया करते थे या अन्ध विश्वासों से यह निर्धारित कर लेते थे कि स्त्री के गर्भ में लड़की है और ऐसे गर्भधारण को रोकने के लिए गर्भपात हेतु प्रेरित करते थे

लेकिन अब नई आसानी से उपलब्ध एवं वहनीय वैधानिक तकनीकों जैसे प्रसव पूर्व लिंग जाँच के जरिए लोगों ने गर्भस्थ शिशु के लिंग का पता लगाना शुरू कर दिया और यदि गर्भस्थ शिशु कन्या पायी जाती है तो उसका गर्भपात करवा दिया जाता है।

कन्या भ्रूण हत्या कारण –

अ. पुत्र प्राप्त करने के लिए

ब. दहेज : लोग लड़कियों का पैदा होना इसलिए पसन्द नही करते क्योंकि उन्हें उनके विवाह के समय दहेज देना पड़ता है।

स. कुछ राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा अभिरोपित दो बच्चों के मानक ने कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ाया दिया है क्योंकि जहाँ लोगों को केवल दो बच्चे पैदा करने का ही विकल्प हो तो वे लड़कों को ही प्रधानता देते हैं।

द. लिंग निर्धारण जाँच की आसानी, इसकी उपलब्धता एवं सुगम पहुँच गर्भपात आसानी से करवाया जा सकता।

य. सिद्धान्त हीन चिकित्सकों एवं चिकित्साकर्मियों ने खुद को धनवान बनाने के लिए कन्या भ्रूण हत्या को आसान बना दिया है।

कन्या भ्रूण हत्या एक समस्या है जिसने महिलाओं के जीवन को लम्बे समय तक नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। स्वाभाविक है

यह केवल आज भी बालिकाओं को प्रभावित नही करता बल्कि सामान्य महिलाओं को भी बुरी तरह से प्रभावित करता है।

अ. प्रसव पूर्व लिंग जाँच जो कि कन्या शिशु को जन्म लेने से रोकने के आश्य से करवायी जाती है महिलाओं के प्रति हिंसा का ही एक रूप है तथा यह उनके मानव अधिकारों का हनन है।

ब. महिलाएँ पुत्र को जन्म देने के लिए पारिवारिक दबाव में होती है इसलिए वे जब कभी भी गर्भवती होती है तो लिंग निर्धारण जाँच का सहारा लेती है तब वे या तो गर्भपात करवाना स्वीकार करती है या यदि वे पुत्री को जन्म देने की इच्छा जाहिर करती है तो गर्भपात करवाने के लिए बाध्य की जाती है। यह महिला के स्वास्थ्य को शारीरिक एवं मनौवैज्ञानिक दोनो रूप से अनेकों प्रकार से बुरी तरह प्रभावित करती है।

स. लिंग निर्धारित गर्भपात भविष्य में पुरुष जाति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, भविष्य में समाज में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से बहुत अधिक होगी और यह लिंगानुपात समाज के लिए कई प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न करेगा।

द. समाज में बालिकाओं की घटती संख्या बालिकाओं। महिलाओं के प्रति हिंसा को बढ़ावा देती है समस्याएँ जैसे बल पूर्वक विवाह,

वधू का विक्रय, दहेज की माँग में बढ़ोत्तरी, विवाह के लिए अपहरण आदि को बढ़ावा मिलता है।

य. राजस्थान में ऐसे कुछ गाँव हैं जहाँ स्त्रियों की संख्या बहुत कम है और जहाँ की उन्हें एक से अधिक पुरुषों से विवाह करने के लिए बाध्य किया जाता है।

र. चूंकि जहाँ विवाह के लिए बहुत कम लड़कियाँ हैं वहाँ कुछ स्थानों पर बाल विवाह में बढ़ौतरी दिखाई देती है।

समाचार पत्रों की सूचनाएँ कहती है कि हरियाणा के कुछ भागों में पुरुष अन्य राज्यों जैसे असम और पश्चिम बंगाल से वधुओं को खरीद रहे है क्योंकि उन क्षेत्रों में विवाह हेतु स्त्रियाँ उपलब्ध नही हैं। वे महिलाएँ जिन्हे खरीदा गया है उनके साथ अपमान जनक बदसलूकी भरा व्यवहार किया जाता है तथा उन्हे शारीरिक व मानसिक दुर्व्यवहार को सहन करना पड़ता है। चूंकि वे अपने घरों से बहुत देर है इसलिए वे सहायता के लिए अपने माता–पिता के पास जाने के योग्य भी नही रह जाती है और अत्याचार सहन करती रहती है।

पंचम अध्याय ''महिला सशक्तिकरण, कानुनी प्रावधान एवं प्रभाव'' के अन्तर्गत मीडिया से प्राप्त रिपोर्टों से ज्ञात होता है कि देश के अनेक भागों में उल्व–वेधन (एम्नियोसेंटोसिस) और अल्ट्रासाउण्ड जैसी

चिकित्सा तकनीकों की सहायता से गर्भ के लिंग का निर्धारण करके लिंग–चयनी गर्भपात हो रहे हैं। इसी कारण भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से जन्म पूर्व लिंग निर्धारण के प्रति अपना विरोध व्यक्त किया है और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 लागू कर ऐसी जाँचों को कानूनी अपराध ठहराया है।

इसी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत आनुवंशिक परामर्श केन्द्रों, आनुवंशिक प्रयोगशालाओं एवं आनुवंशिक क्लिनिक में जहाँ जन्म पूर्व निदान तकनीक के संचालन की व्यवस्था है वहाँ जन्म पूर्व निदान तकनीकों का उपयोग निम्नलिखित विकारों की पहचान के लिए ही किया जा सकता है :–

1. गुणसूत्र सम्बन्धी विकृति।
2. आनुसंशिक उपपचय रोग।
3. रक्त वर्णिका संबंधी रोग।
4. लिंग संबंधी आनुवंशिक रोग।
5. जन्म जात विकृतियां।
6. केन्द्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड द्वारा संसूचित अन्य असमानताएं व रोग।

इस अधिनियम के अन्तर्गत यह भी व्यवस्था है कि प्रसव पूर्व निदान तकनीक के उपयोग या संचालन के लिये चिकित्सक

निम्नलिखित शर्तों को भली प्रकार जाँच कर लेवें कि गर्भवती महिला के भ्रूण की जांच की जाने योग्य है अथवा नहीं :–

1. गर्भवती स्त्री की उम्र 35 वर्ष से ऊपर है।
2. गर्भवती स्त्री को दो या उससे अधिक स्वतः गर्भपात या गर्भस्त्राव हो चुके हैं।
3. गर्भवती स्त्री नशीली दवा, संक्रमण या रसायनों जैसे सशक्त विकलांगतजनक पदार्थों के संसर्ग में रही है।
4. गर्भवती स्त्री का मानसिक मंदता या संस्तंभता जैसे किसी शारीरिक विकार या अन्य किसी आनुवंशिक रोग का पारिवारिक इतिहास है।
5. केन्द्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड द्वारा संसूचित कोई अन्य अवस्था है। राज्य सरकार ने गर्भवती महिला के भ्रूण के लिंग को प्रकट करने की विधि के दुरुपयोग को रोकने के लिए दिनांक 16.6.2001 एवं 25.7.2001 को अलग–अलग अधिसूचनाएं जारी कर प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनिमयन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रदेश एवं समस्त जिलो एवं उपखण्डों के लिये निम्न प्रकार से समुचित प्राधिकारी (एप्रोप्रिएट आथोरिटी) नियुक्त किये हैं :–

1. राज्य स्तर पर :

निदेशक (परिवार कल्याण) : चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र के लिये

2. जिला स्तर पर

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी : सम्पूर्ण जिले के लिये

3. उपखण्ड स्तर पर :

उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) : जिला मुख्यालय पर सिति उपखण्ड के लिये

उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी : संबंधित उपखंड के लिये (जिला मुख्यालय पर स्थित उपखंड के अतिरिक्त)

इसी के साथ राज्य सरकार ने तीन अधिसूचनाएं जारी कर अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उपधारा (5) के द्वारा प्रदत्त प्राधिकारियों को उनके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने एवं सलाह देने के लिये सम्पूर्ण राज्य के लिए, प्रत्येक जिले के लिये एवं प्रत्येक उपखंड क्षेत्र के लिये एक–एक सलाहकार समिति का गठन किया है जिसे निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

राज्य स्तर के लिये :–

1. सवाई मानविंस मेडिकल कॉलेज, जयपुर के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग का विभागाध्यक्ष;
2. सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर के शिशु रोग विभाग का विभागाध्यक्ष;
3. आनुवंशिकी विज्ञानी (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत);
4. तीन विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें से कम से कम एक महिला संगठन के प्रतिनिधि में से होगा (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत);
5. निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. (आई.ई.सी) विभाग, जयपुर में कार्यरत जन सम्पर्क अधिकारी; तथा
6. निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर में कार्यरत उप विधि परामर्शी।

प्रत्येक जिले के क्षेत्र के लिये :–

1. वरिष्ठतम वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ।
2. वरिष्ठतम वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ।
3. आनुवंशिकी विज्ञानी (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)

4. तीन विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें से कम से कम एक महिला संगठन के प्रतिनिधि में से होगा (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)

5. जिला सूचना एवं प्रसार अधिकारी।

6. विधि विशेषज्ञ (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)।

प्रत्येक उपखंड क्षेत्र के लिये :–

1. वरिष्ठतम कनिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ।

2. वरिष्ठतम कनिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ।

3. आनुवंशिकी विज्ञानी (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)।

4. तीन विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें से कम से कम एक महिला संगठन के प्रतिनिधि में से होगा (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)।

5. जिला सूचना एवं प्रसार अधिकारी अथवा उसका प्रतिनिधि।

6. विधि विशेषज्ञ (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)।

राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समुचित प्राधिकारियों के कार्य निम्नलिखित हैं :–

1. आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लीनिकों का पंजीकरण प्रदान करना, उसका निलम्बन या निरस्तीकरण करना।
2. आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशकि क्लीनिक के लिये निर्धारित मानकों का प्रवर्तन करना।
3. इस अधिनियम के प्रावधानों अथवा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों को भंग करने की शिकायतों की जांच करके अविलम्ब कार्यवाही करना।

अधिनियम के अन्तर्गत बिना पंजीकरण करवाये आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लीनिक चलाना एवं परीक्षण करना कानूनन अपराध है, अतः ऐसी सभी संस्थाओं को निर्देश दिये जाते हैं कि वे तत्काल अपने क्षेत्र के समुचित प्राधिकारी के पास अपना पंजीकरण करवाकर प्रमाण–पत्र प्राप्त करें अन्यथा : अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

स्वयंसेवी संगठनों, जन प्रतिनिधियों की भूमिका

कोई भी स्वास्थ्य कार्यक्रम स्वयं सेवी संगठनों एवं जन प्रतिनिधियों की भागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकता है। अतः स्वयं सेवी संगठनों एवं जन प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इस अधिनियम

की भावना को समझते हुए लिंग परीक्षण निदान तकनीक द्वारा होने वाले गर्भपात को रोकने में राज्य सरकार की सहायता करें ताकि कन्या भ्रूण हत्याओं को रोका जा सके। इस बात को हाल ही में दिल्ली में सम्पन्न विभिन्न धर्मों के गुरुओं ने भी अपना समर्थन देते हुए कन्या भ्रूण हत्या को धार्मिक दृष्टि से गलत बताया है।

प्रस्तुत अध्ययन में बालिका भेदभाव की स्थिति के स्तर का पता लगाया गया हैं जिसमें निम्न निष्कर्ष निकलते है।

- अध्ययन से निष्कर्ष निकलता हैं कि समाज में बालिकाओं के साथ आज भी भेदभाव कायम है। परिवार में आज भी अधिकांशतः पुत्र जन्म को ही प्राथमिकता दी जाती है तथा पुत्री जन्मोंत्सव नहीं मनाया जाता है। इसके पीछे यह कारण निकल कर आए हैं कि आज भी पुत्री को परायाधन माना जाता है। परम्परागत रूप से यदि पुत्री जन्म नहीं मनाया जाता हैं तो वह आज भी कायम है।
- यह निष्कर्ष निकलता हैं कि हर वर्ग के लोग भ्रूण परीक्षण की तकनीकों के बारे में जानकारी रखते है। इससे स्पष्ट है कि वे भ्रूण परीक्षण भी करवाते होगें और कन्या भ्रूण हत्या भी। इनमें निम्न और मध्यम वर्ग भ्रूण परीक्षण को उचित भी मानते है।

- निष्कर्ष निकलता हैं कि छोटे परिवार होने के कारण कन्या भ्रूण हत्याएं बढ गई है। लोग दो संतान ही चाहते है ऐसे में वह यह मानते है कि एक पुत्र होना अनिवार्य है। इसी चाहत में वह कन्या भ्रूण हत्याएं करवा देते है।
- निष्कर्ष निकलता है कि पुत्र की इच्छा, वंश परम्परा और कन्या की सुरक्षा की भावना व स्वयं के सम्मान के कारण आज भी कन्या भ्रूण हत्याएं करवाते है।
- निष्कर्ष निकलता हैं कि भ्रूण परीक्षण की नई तकनीक आ जाने से भी कन्या भ्रूण हत्याएं बढी है। पहले लोग अनुमान ही लगा पाते थे परंतु अब यह पूर्ण पता हो जाता है कि गर्भ में पुत्र है या पुत्री ऐसे में लोग कन्या भ्रूण हत्याएं अधिक करवाने लगे है।
- यह भी निष्कर्ष निकलता हैं कि बाल विवाह, दहेज प्रथा, बालिकाओं को लेकर सामाजिक कारण, बालिकाओं पर परिवार की इज्जत का बोझ उनकी सुरक्षा, असमान समाजीकरण भी कन्या भ्रूण हत्या के कारण आज भी बने हुए है।
- निष्कर्ष निकालता है कि कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए जनजागृति ही कारगर उपाय है। अधिकांश लोग मानते है कि

कानून द्वारा कन्या भ्रूण हत्या में काफी कमी आई है। वहीं लोग इस हेतु जनजागृति और समाज सुधारकों की भूमिका को भी महत्व देते है।

- निष्कर्ष निकलता है कि लोगों को महिला और बालिका संबंधी कानूनों जैसे दहेज निवारण कानून, कन्या भ्रूण हत्या संबंधी कानून, लिंग पता करवाने संबंधी कानून, घरेलू हिंसा संबंधी कानून आदि की जानकारी रखते है। जिससे स्पष्ट है कि कानून बालिकाओं की स्थिति सुधारने और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने में कारगर साबित हो रहा है।
- निष्कर्ष निकलता है कि लोगों को मानना है कि लोगों में पोस्टर, नाटक मंचन, मीडिया प्रचार और गैर सरकारी संगठनों के कार्यक्रमों से भी कन्या भ्रूण हत्या के विरोध में जनजागृति पैदा करके इसे रोका जा सकता है।
- यह भी निष्कर्ष निकलता हैं कि कानून और संस्थाओं ने कन्या भ्रूण हत्या रोकने की काफी कोशिश की है लेकिन लोगों में जागरूकता नहीं आ पाई है। लोग कानून के डर से इसे छिपकर करते है, लेकिन समाज में कन्या भ्रूण हत्या आज भी बनी हुई है।

महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा

एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

कोटा विश्वविद्यालय की डॉक्टर ऑफ फिलॉसिफी
(समाजविज्ञान) उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध प्रबन्ध

निर्देशिका

प्रोफेसर (डॉ.) सुषमा सूद
पूर्व विभागाध्यक्ष
समाजशास्त्र विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

शोधार्थी

कविता चौधरी

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

2016

परम पूज्य
माता-पिता को
समर्पित

अध्याय 1

घरेलू हिंसा अवधारणात्मक विवेचन

अध्याय 2

समग्र एवं पद्धतिशास्त्र

अध्याय 3

उत्तरदाताओं की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि

अध्याय 4

घरेलू हिंसा– सामाजिक एवं आर्थिक कारक

अध्याय 5

महिला सशक्तिकरण, कानुनी प्रावधान एवं प्रभाव

अध्याय 6

निष्कर्ष

अनुक्रमणिका

अध्याय	अध्ययन विन्यास	पृष्ठ संख्या
अध्याय –प्रथम	घरेलू, हिंसा अवधारणात्मक विवेचन	1 – 72
अध्याय –द्वितीय	पद्धतिशास्त्र	73 – 93
अध्याय –तृतीय	उत्तरदाताओं की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि	94 – 119
अध्याय –चतुर्थ	घरेलू, हिंसा– सामाजिक एवं आर्थिक कारक	120 – 188
अध्याय –पंचम	महिला सशक्तिकरण, कानूनी प्रावधान एवं प्रभाव	189 – 241
अध्याय – षष्ठम	निष्कर्ष	242 - 263
	संदर्भ ग्रन्थ सूची	**i-viii**
	परिशिष्ठ	**i-vii**

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

नोट :– यह अनुसूची शोध कार्यों के लिए तैयार की गई है। इसमें आपसे प्राप्त जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा।

अनुसूची

उत्तरदाता की सामाजिक पृष्ठभूमि

1. नाम (गुप्त रखा जाएगा)

.....

2. जन्म स्थान

(अ) ग्राम (ब) कस्बा (स) नगर

3. आयु प्रस्थिति

(अ) 20 से कम (ब) 20 से 30 वर्ष

(स) 31 से 40 वर्ष (द) 40 से अधिक

3. धार्मिक प्रस्थिति

(अ) हिन्दू (ब) मुस्लिम

(स) सिक्ख (द) ईसाई

(य) जैन (र) अन्य

5. जाति / जनजाति प्रस्थिति

(अ) अनुसूचित जाति (ब) अनुसूचित जनजाति

(स) अन्य पिछड़ा वर्ग (द) सामान्य जाति

6. **शिक्षा का स्तर**

(अ) अशिक्षित (ब) माध्यमिक तक

(स) उच्च माध्यमिक तक (द) स्नातक तक

(य) स्नातकोत्तर तक

7. **पारिवारिक आय / मासिक आय**

(अ) 5,000 से 10,000 (ब) 10,000–15,000

(स) 15,000–20,000 (द) 20,000 से अधिक

8. **व्यवसायिक प्रस्थिति**

(अ) कृषि / मजदूरी (ब) सरकारी नौकरी

(स) घरेलू उद्योगों में (द) अन्य

9. **पारिवारिक संरचना**

(अ) एकांकी परिवार (ब) संयुक्त परिवार

10. **परिवार की सामाजिक संरचना**

सम्बन्ध	आयु	शैक्षणिक स्तर	आय	वैवाहिक प्रस्थिति	व्यवसाय

11. क्या आपके साथ घरेलू हिंसा होती है ?

(अ) हाँ

(स) नहीं

(ब) कोई जवाब नहीं

12. क्या आपको घरेलू हिंसा के कानून की जानकारी है ?

(अ) हाँ

(स) नहीं

(ब) कोई जवाब नहीं

13. आपके अनुसार घरेलू हिंसा कौन करता हैं ?

(अ) पति (ब) सास

(स) ननद (द) अन्य

14. क्या आपको लगता है कि घरेलू हिंसा व्यक्तिगत मामला है ?

(अ) हाँ

(ब) नहीं

15. आपके परिवार में निर्णय कौन लेता हैं ?

(अ) केवल महिला

(ब) केवल पुरूष

(स) महिला पुरूष दोनों

16. क्या आप घरेलू हिंसा को हिंसा मानते है ?

(अ) हाँ (ब) नहीं

17. घरेलू हिंसा के लिए दोषी कौन हैं ?

(अ) पति (ब) पत्नि

(स) सास (द) सभी

18. क्या प्रचलित कानून महिलाओं को जागरूक करता है ?

(अ) हाँ

(ब) नहीं

(स) पता नहीं

19. क्या घरेलू हिंसा से बच्चों पर प्रभाव पडता हैं ?

(अ) अच्छा (ब) बुरा (स) पता नहीं

20. क्या घरेलू हिंसा के कारण वर्तमान में परिवार टूट रहे है ?

(अ) हाँ

(ब) नहीं

(स) पता नहीं

21. क्या महिला ही महिला की शत्रु (दुश्मन) है ?

(अ) हाँ

(ब) नहीं

(स) पता नहीं

22. क्या घरेलू हिंसा की शिकार महिला ही इसकी जिम्मेदार है ?

(अ) हाँ

(ब) नहीं

(स) पता नहीं

23. क्या घरेलू हिंसा का कारण विवाह के समय कम दहेज देना है ?

(अ) हाँ

(ब) नहीं

(स) पता नहीं

24. आपके परिवार में आपके अतिरिक्त भी किसी ओर के साथ घरेलू हिंसा होती है ?

(अ) हाँ

(ब) नहीं

(स) पता नहीं

25. यदि हा तो किसके साथ ?

(अ) देवरानी

(ब) जेठानी

(स) अन्य कोई

26. क्या आप जानती है कि घरेलू हिंसा एक अपराध है ?

(अ) हाँ

(ब) नहीं

(स) पता नहीं

27. आपके मतानुसार घरेलू हिंसा विरोधी कानून (महिला सूरक्षा कानून) सही है ?

(अ) हाँ

(ब) नहीं

(स) पता नहीं

28. कितनी प्रतिशत महिलाओं को इन कानूनों की जानकारी है ?

(अ) 25 प्रतिशत

(ब) 50 प्रतिशत

(स) 75 प्रतिशत

(द) 100 प्रतिशत

29. क्या घरेलू हिंसा के कारण दहेज, मृत्यु या आत्महत्या बढ रही है ?

(अ) हाँ

(ब) नहीं

(स) पता नहीं

30. क्या विवाह टूटने का मुख्य कारण घरेलू हिंसा है ?

(अ) हाँ

(ब) नहीं

(स) पता नहीं

31. आपके मतानुसार घरेलू हिंसा विरोधी कानून (महिला सूरक्षा कानून) सही है ?

(अ) हाँ

(ब) नहीं

(स) पता नहीं

32. घरेलू हिंसा को रोकने में आपके विचार–

.....

.....

33. महिला सुरक्षा से सम्बन्धित कानूनों के बारे में आपके सूझाव–

.....

.....

34. घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए प्रेस/मीडीया की भूमिका पर आपके विचार–

.....

.....

35. महिला नीति और वर्तमान राजनीति पर आपके विचार–

.....

.....

36.. महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाने के लिए मनरेगा के अर्न्तगत और क्या किया जाना चाहिए ? दो सुझाव दीजिए।

1. .....

2. .....

महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा

एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

कोटा विश्वविद्यालय की डॉक्टर ऑफ फिलॉसिफी
(समाजविज्ञान) उपाधि हेतु

प्रस्तुत

शोध सारांश

निर्देशिकाः

प्रोफेसर (डॉ.) सुषमा सूद

पूर्व विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

शोधार्थी

कविता चौधरी

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

2016

शोध सारांश

प्रस्तुत अध्ययन विषय **''महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा एक समाजशास्त्रीय अध्ययन''** में राजस्थान राज्य के जिले भरतपुर का अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयन करते हुए भरतपुर जिलें से 240 महिलाओं उत्तरदाताओं का चयन करके संपूर्ण अध्ययन किया गया हैं। इस अध्ययन में महिलाओं के प्रति बढ़ रही हिंसाओं में वर्तमान में घरेलू हिंसा एक अभिशाप के रूप में ज्वलन्त समस्याएं है। आज भारत में ही नहीं विश्व में एक एक गम्भीर समस्या के रूप में समाज के सामने है जो समाज को पिछड़ा बना रही है। आधुनिक समाज विकास की ओर बढ़ रहा है परन्तु आज भी इस पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। आज महिला ही महिला की शत्रु है इसी क्रम में यह शोध महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के संदर्भ में एक अध्ययन है।

शोध के **प्रथम अध्याय** में यह बताने का प्रयास किया गया है कि घरेलू हिंसा के अवधारणात्मक विवेचन घरेलू हिंसा के कारण, अवस्था तथा महिलाओं के प्रति प्राचीन समय से लेकर मध्यकाल होते हुए वर्तमान समय तक हो रही हिंसा के प्रकारों एवं व्यवहारों का विवेचन किया गया है।

शोध के **द्वितीय अध्याय** में यह बताने का प्रयास किया है कि एक शोध कार्य को पूरा करते समय किन–किन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है प्रत्येक शोध के लिए आवश्यक है कि वह वैज्ञानिक पद्धति द्वारा आंकडों का एकत्रीकरण करें और फिर उसका विशलेषण उन्हीं के आधार पर करें क्योंकि इनके अभाव में कोई भी निश्चित निष्कर्ष निकालना सम्भव नहीं हो पाता है। किसी भी सामाजिक शोध की सफलता तभी संभव हैं, जब विषय से संबंधित शोध प्ररचना का निर्माण कर लिया जाए। इसके लिए शोधार्थी को शोध प्ररचना में शोध विषय के प्रत्येक पक्ष का निर्धारण करके हर पक्ष से संबंधित योजनाबद्ध रूप से शोध प्ररचना का निर्माण करना चाहिए।

इसमें निरीक्षण, परीक्षण, तथ्यों के संकलन, वर्गीकरण तथा सामान्यीकरण द्वारा सामाजिक घटनाओं या सामाजिक समस्याओं के कारणों का पता लगाया और वस्तु–स्थिति की तार्किक ढंग से विवेचना की जाती हैं। कोई भी अध्ययन कार्य उस समय तक प्रारंभ नहीं किया जा सकता जब तक कि विषय या समस्या का चुनाव नहीं कर लिया जाता, लेकिन मनुष्य के मस्तिष्क के प्रत्येक विचार को भी शोध विषय नहीं बनाना चाहिए। शोध विषय अध्ययनकर्त्ता की रूचि के अनुरूप होना चाहिए अर्थात् किसी भी अनुसंधानकर्त्ता के लिए शोध समस्या का विषय सुस्पष्ट हो तथा

उसे विषय की व्याख्या का सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक पक्षों का ज्ञान होना आवश्यक है, अन्यथा अनुसंधानकर्त्ता शोध कार्य की पूर्ण करने में असुविधा महसूस करेगा।

शोध के **अध्याय तृतीय** में यह बातने का प्रयास किया है कि प्रस्तुत शोध के अध्याय तृतीय में यह बताने का प्रयास किया है कि प्रत्येक समाज में व्यक्ति के पद, प्रतिष्ठा एवं अधिकार सम्बन्धी मान्यताऐं उस समाज की परम्पराओं तथा सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणाओं पर आधारित होती है। ''किसी सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है, वहीं उस व्यक्ति की सामाजिक प्रस्थिति हैं।'' प्रत्येक समाज में जीवन के लिए अनेक पक्षों का वितरण करना पड़ता हैं। कौन सा पद किस व्यक्ति को मिलेगा? इसके लिए कुछ आधार तय करने पड़ते है, जैसे परिवार में वृद्ध व्यक्ति को उच्च स्तर पर व उससे नीचे के स्तर पर अन्य सदस्य होते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मण परिवार में जन्मा बालक जन्म से ही उच्च स्तर को प्राप्त करता हैं तथा निम्न जाति में जन्मा बालक जन्म से ही निम्न स्तर प्राप्त करता है। अतः समाज में और समाज की छोटी इकाई परिवार में लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह तथा सम्पत्ति भी प्रस्थितियों के निर्धारण के आधार है।

शोध के **अध्याय चतुर्थ** में यह बताने का प्रयत्न किया है कि घरेलू हिंसा सामाजिक एवं आर्थिक कारकों के कारण व प्रभाव क्या है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, सामाजिक न्याय के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए मूलभूत अधिकार, दायित्व एवं निदेशक सिद्धान्तों के अनुरूप देश के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पुनर्रचना प्राप्त कराने का उल्लेख है। लेकिन गत छः दशकों में हमारे सारे प्रयासों के बावजूद सामाजिक असमानता, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विपन्नता की दरार कम होने की अपेक्षा दिन–ब–दिन बढ़ती ही गई है। महिला विकास के संदर्भ में पश्चिमी देशों की तुलना में भारत काफी पीछे हैं,

शोध के **अध्याय पंचम** में यह बताने का प्रयास किया है कि भारत में महिला सशक्तिकरण कानूनों एवं प्रावधानों के बारे में जानकारी एवं उनके प्रभावों का वर्तमान समाज में क्या महत्व है क्या इन कानूनों के द्वारा महिलाओं की प्रस्थिति में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन संभव हो सका है। आज किसी भी महिला को एक देश या समाज के दायरे में बांध कर रखना उचित नहीं है, फिर भी भारत जैसे महान देश महिलाओं के प्रति हो रहे दुर्व्यवहारों की विवेचना है, जो इस देश की गरिमा के विपरीत है।

शोध के अन्तिम **अध्याय षष्ठम्** में अध्ययन से सम्बन्धित निष्कर्षों को बताने का प्रयास किया है अतः निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है कि भारत जैसे विशाल देश में महिलाओं के प्रति बढ़ रही हिंसात्मक घटनाओं में घरेलू हिंसा एक मुख्य मुद्दा है, पुरूष प्रधान समाज में आज भी महिलाओं को उपेक्षा एवं प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है क्योंकि अधिकांश लोग इस प्रकार हिंसा को हिंसा मानते ही नहीं है। पुरूषों की निकृष्ट मानसिकता एवं द्वेषपूर्ण नीति का परिणाम ही घरेलू हिंसा है जो वर्तमान समाज को दूलित कर रहा है।